[1][**35घघ. समामेलन या निर्विलयन की दशा में व्यय का क्रमिक अपाकरण**—(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् किसी उपक्रम के समामेलन या निर्विलयन के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या अनन्यत: कोई व्यय उपगत करता है वहां निर्धारिती को उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो उस पूर्ववर्ष से, जिसमें समामेलन या निर्विलयन होता है, प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में से हर एक वर्ष के लिए उस व्यय के एक बटा पांच के बराबर है ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[2][**35घघक. स्वेच्छया सेनानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण**—(1) जहां कोई निर्धारिती किसी पूर्ववर्ष में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किसी कर्मचारी को [3][उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के संबंध में] किसी रकम के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती चार ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी ।

[4][(2) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है और ऐसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व समामेलन की किसी स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे समामेलक कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि समामेलन न हुआ होता ।

(3) जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व किसी अविलयन की स्कीम में अन्य कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अविलयित कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि अविलयन न हुआ होता ।

(4) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा धारा 47 के खंड (xiii) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए किसी फर्म की उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है या धारा 47 के खंड (xiv) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए कोई स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है तो इस धारा के उपबंध, उत्तरवर्ती कंपनी को, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, मानो फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता ।

[5][(4क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली कोई सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती हो जाती है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता ।]

(5) इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी की दशा में [6][उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में और उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी की दशा में] उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें, यथास्थिति, समामेलन, अविलयन या उत्तराधिकार हुआ है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]]

35ङ. कतिपय खनिजों के लिए पूर्वेक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती—(1) जहां कोई निर्धारिती जो भारतीय कंपनी है या (कंपनी से भिन्न) कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, खनिज के लिए, पूर्वेक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या उस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ है, और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् उपगत करता है, वहां उस निर्धारिती को सुसंगत पूर्ववर्षों में से हर एक के लिए ऐसे व्यय की रकम के दशमांश के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यय वह है जो निर्धारिती द्वारा उस उपधारा में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् किसी समय, वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष के दौरान और उसके ठीक पूर्ववर्ती चार वर्षों में से एक या अधिक के दौरान सप्तम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट क्रमश: किसी खनिजों या सहचारी खनिजों में समूह के लिए पूर्वेक्षण से संबंधित किन्हीं संक्रियाओं पर या ऐसे किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह की खान या अन्य प्राकृतिक निक्षेप के विकास पर पूर्णत: तथा अनन्यत: किया जाता है :

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 11 द्वारा (1-4-2004 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-2011 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-2011 से) प्रतिस्थापित ।

परन्तु ऐसे व्यय में किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: चुकाया गया व्यय का भाग और ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई किसी संपत्ति या अधिकारों की बाबत निर्धारिती द्वारा आप्त विक्रय, उद्धारण, प्रतिकर या बीमा का धन निकाल दिया जाएगा ।

(3) कोई व्यय जो,—

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी खनिज या सहचारी खनिजों के समूह के स्रोतस्थल के अथवा ऐसे स्थल में या उस पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन के लिए किया गया है;

(ii) ऐसे खनिज या सहचारी खनिजों के समूह के निक्षेपों के या उनमें या उन पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन के लिए किया गया है; अथवा

(iii) पूंजीगत प्रकृति का है और किसी ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत किया गया है; और जिसके लिए अवक्षयण के रूप में मोक धारा 32 के अधीन अनुज्ञेय है,

उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय नहीं समझा जाएगा ।

(4) किसी सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय कटौती—

(क) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय के दशमांश के (जिस दशमांश को इस धारा में, इसके पश्चात् किस्त कहा गया है) बराबर रकम होगी; या

(ख) ऐसी रकम होगी जो उस पूर्ववर्ष की आय की (इस धारा के अधीन कटौती करने के पूर्व यथा संगणित) जो किसी खान या किसी खनिज के अन्य प्राकृतिक निक्षेप के या यथापूर्वोक्त खनिज अथवा सहचारी खनिजों के समूह में से एक या अधिक खनिजों के, जिनकी बाबत व्यय उपगत किया गया था, वाणिज्यिक विदोहन से [चाहे ऐसा वाणिज्यिक विदोहन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट संक्रियाओं या विकास के परिणामस्वरूप हो या नहीं] उद्भूत है, शून्य बनाने के लिए पर्याप्त है,

इनमें से जो भी रकम कम हो :

परन्तु किसी सुसंगत पूर्ववर्ष से संबंधित किस्त की रकम, जहां तक वह अनुज्ञात रहे, अग्रनीत की जा कर ठीक बाद के पूर्ववर्ष से सम्बन्धित किस्तों में जोड़ी जाएगी तथा उस किस्त का भाग समझी जाएगी और इसी प्रकार पश्चात्वर्ती पूर्ववर्षों के लिए किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि कोई किस्त वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से संगणित दस वर्ष से आगे अग्रनीत न की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पूर्वेक्षण से संबंधित संक्रिया", से ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है जो किसी खनिज के निक्षेपों की खोज करने, उनका स्थान का पता लगाने या उनकी परख करने के प्रयोजन के लिए की जाए और इसके अंतर्गत कोई ऐसी संक्रिया भी है जो निष्फल या व्यर्थ सिद्ध होती है;

(ख) "वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष" से अभिप्रेत है वह पूर्ववर्ष जिसमें सर्वेक्षण संबंधी किसी संक्रिया के परिणामस्वरूप सप्तम अनुसूची के क्रमश: भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज का या सहचारी खनिजों के समूहों में से एक या अधिक खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होता है;

(ग) "सुसंगत पूर्ववर्ष" से वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से प्रारम्भ होने वाले दस पूर्ववर्ष अभिप्रेत हैं ।

(6) जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है ।

(7) जहां किसी ऐसी भारतीय कंपनी का, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती की हकदार है, उपक्रम, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को किसी समामेलन की स्कीम के अधीन अंतरित किया जाता है वहां—

(i) समामेलक कंपनी की दशा में, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें समामेलन होता है उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी, तथा

(ii) इस धारा के उपबंध समामेलित कंपनी को, यथाशक्य, ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी को लागू होते यदि समामेलन न हुआ होता ।

[1][(7क) जहां किसी ऐसी भारतीय कंपनी का, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती की हकदार है, उपक्रम उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दस वर्ष की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को किसी निर्विलयन की स्कीम के अधीन अंतरित किया जाता है वहां,—

(i) निर्विलीन कंपनी की दशा में, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें निर्विलयन होता है, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ii) इस धारा के उपबंध परिणामी कंपनी को, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे जैसे वे निर्विलीन कंपनी को लागू होते यदि निर्विलयन नहीं हुआ होता ।]

(8) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का इस धारा के अधीन कोई दावा किया गया है और वह अनुज्ञात की गई है वहां उस व्यय के आधार पर जिसकी बाबत इस प्रकार कटौती अनुज्ञात की गई है उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती नहीं की जाएगी ।]

36. अन्य कटौतियां—(1) धारा 28 में निर्दिष्ट आय संगणित करने में ऐसी कटौतियां जो निम्नलिखित खंडों में उपबंधित हैं, उनमें चर्चित मामलों की बाबत अनुज्ञात की जाएगी—

(i) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्टाक या स्टोरों के नुकसान या विनाश के जोखिम के विरुद्ध बीमे की बाबत संदत्त किसी प्रीमियम की रकम;

[2][(iक) किसी परिसंघ दुग्ध सहकारी सोसाइटी द्वारा सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन पशुओं के जीवन का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने की बाबत संदत्त प्रीमियम की रकम जहां वह सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध का प्रदाय उस परिसंघ दुग्ध सहकारी सोसाइटी को करने में लगी हुई प्राथमिक सोसाइटी है;]

[3][(iख) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में,—

(अ) साधारण बीमा कारबार (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ; या

(आ) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा इस निमित्त बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित,

किसी स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए [4][नकद से भिन्न संदाय के किसी ढंग द्वारा संदत्त] किसी प्रीमियम की रकम;]

(ii) की गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसको लाभ और लाभांश के रूप में संदेय न हुई होती यदि वह बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त न हो गई होती ।

[5]* * * * *

[6]* * * * *

(iii) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की रकम :

[7][परंतु [8]*** नई आस्ति (चाहे लेखाबहियों में पूंजीगत हो या नहीं) के अर्जन के लिए उधार ली गई पूंजी की बाबत उस तारीख से, जिसको आस्ति के अर्जन के लिए पूंजी उधार ली गई थी, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक की, जिसको ऐसी आस्ति पहली बार प्रयोग में लाई गई थी, किसी अवधि के लिए, संदत्त ब्याज, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—पारम्परिक फायदा सोसाइटियों में जो ऐसी शर्तें पूरी करती हैं जो विहित की जाएं, शेयरधारकों या अभिदायकर्ताओं द्वारा कालित: दिए गए आवर्ती अभिदाय इस खंड के अर्थ में उधार ली गई पूंजी समझे जाएंगे ।

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 21 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1980 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (1-4-2007 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा (1-4-2000 से) लोप किया गया ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।

[1][(iiiक) जीरो कूपन बंधपत्र पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिकलित ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि को ध्यान में रखते हुए, छूट की यथाअनुपात रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "छूट" से बंधपत्र जारी करने वाली अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी [2][या अनुसूचित बैंक] द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य रकम और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर उस कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी [2][या अनुसूचित बैंक] द्वारा संदेय रकम के बीच का अंतर अभिप्रेत है;

(ii) "बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि" से बंधपत्र के जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

[3]* * * * * *

(iv) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि के लिए अभिदाय के तौर पर नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ऐसी परिसीमाओं के अधीन जैसी, यथास्थिति, भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवार्षिकी निधि को अनुमोदित करने के लिए विहित की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी बोर्ड उन दशाओं में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे जिनमें अभिदाय नियत रकमों के वार्षिक अभिदायों के या निधि के सदस्यों की संख्या के प्रतिनिर्देश से किसी निश्चित आधार पर नियत वार्षिक अभिदायों के प्रकार के नहीं हैं;

[4][(ivक) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में किसी कर्मचारी के खाते में धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम उस सीमा तक जहां तक वह पूर्ववर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत यदि नियोजन के निबंधन इस प्रकार उपबंध करते हैं, मंहगाई भत्ता भी है, किन्तु इसके अंतर्गत सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां नहीं हैं;]

(v) अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अपने कर्मचारियों के अनन्य फायदे के लिए अपने द्वारा सृष्ट किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदाय के तौर पर नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि;

[5][(vक) निर्धारिती द्वारा अपने किसी कर्मचारी से प्राप्त कोई राशि जिसको धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के उपबंध लागू होते हैं, यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा निश्चित तारीख को या उसके पूर्व सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निश्चित तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तक निर्धारिती से यह अपेक्षित है कि वह नियोजक के रूप में कर्मचारी के अभिदाय को किसी अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन या किसी स्थायी आदेश, अधिनिर्णय, सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा निकाली गई अधिसूचना के अधीन कर्मचारी के सुसंगत निधि के खाते में जमा करे ।

(vi) ऐसे जीव-जन्तुओं की बाबत जो व्यापार स्टाक के रूप में प्रयुक्त किए जाने से अन्यथा कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और मर गए हैं या ऐसे प्रयोजनों के लिए स्थायी रूप से अनुपयोगी हो गए हैं, और निर्धारिती को जीव-जन्तुओं की वास्तविक लागत और जीव-जंतुओं के शवों की बाबत प्राप्त रकम का, यदि कोई हो, अंतर;

(vii) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन किसी [6][ऐसे डूबे ऋण की रकम या उसका भाग जो पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं में अवसूलीय रकम के रूप में अपलिखित कर दिया गया है :]

[7][परन्तु ऐसे [8][किसी निर्धारिती] की दशा में जिसको खंड (viiक) लागू होता है ऐसे ऋण या उनके भाग के संबंध में कटौती की रकम की सीमा वह रकम होगी जिससे ऐसे ऋण या उसका भाग उस खंड के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था लेखे में जमा अतिशेष से अधिक है :]

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 9 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 10 द्वारा (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][परंतु यह और कि जहां ऐसे ऋण या उसके भाग की रकम को निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे ऋण या उसके भाग की रकम अवसूलीय बन जाती है, या किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में धारा 145 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना और प्रकटन मानकों के आधार पर, उसे लेखाओं में लेखबद्ध किए बिना, हिसाब में लिया गया है, वहां ऐसे ऋण या उसके भाग को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा ऋण या उसका भाग अवसूलीय बन जाता है, अनुज्ञात किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि ऐसे ऋण या उसके भाग को इस खंड के प्रयोजनों के लिए लेखाओं में अवसूलीय रूप में अपलिखित कर दिया गया है ।]

[2][**स्पष्टीकरण** [3]**[(1)]**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के लेखाओं में अवसूलीय रूप में अपलिखित किसी डूबे ऋण या उसके भाग में निर्धारिती के लेखाओं में किए गए डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए कोई उपबंध सम्मिलित नहीं होगा ।]

[3][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (vii) के परंतुक और उपधारा (2) के खंड (v) के प्रयोजनों के लिए उसमें निर्दिष्ट लेखा, खंड (viiक) के अधीन डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के उपबंध की बाबत केवल एक लेखा होगा और ऐसा लेखा सभी प्रकार के अग्रिमों, जिनके अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी हैं, से संबंधित होगा;]

(viiक) [4][डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए की गई व्यवस्था की बाबत—

(क) जहां ऐसी व्यवस्था किसी ऐसे अनुसूचित बैंक [5]*** या भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक नहीं है] या किसी अधिसूचित बैंक [6][या प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक] द्वारा की जाती है, वहां कुल आय (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन कटौती करने के पूर्व संगणित) के [7][[8][साढ़े आठ प्रतिशत] से अनधिक] रकम और ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए, विहित रीति से संगणित कुल औसत अग्रिम के [9][दस प्रतिशत] से अनधिक रकम :

[10][परंतु इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक को, उसके विकल्प पर, सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई ऐसी आस्तियों के लिए उसके द्वारा किए गए किसी उपबंध की बाबत कटौती उतनी रकम के लिए अनुज्ञात की जाएगी जितनी पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को बैंक के खातों में दर्शित ऐसी आस्तियों की रकम के पांच प्रतिशत से अधिक न हो :]

[11][परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए प्रथम परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द रखे गए हों :]

[12][परंतु यह भी कि इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी अनुसूचित बैंक या किसी गैर अनुसूचित बैंक को, उसके विकल्प पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसरण में प्रतिभूतियों के मोचन से व्युत्पन्न आय से अनधिक रकम के लिए पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की और कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की विवरणी में प्रकट न कर दी गई हो ।]

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 के पहले समाप्त होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्ष अभिप्रेत हैं ;]

(ख) जहां ऐसी व्यवस्था किसी ऐसे बैंक द्वारा की जाती है, जो भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक है वहां कुल आय (इस खंड के अध्याय 6क के अधीन कटौती करने के पूर्व संगणित) के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम ;]

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1986 के आय-कर (संशोधन) अधिनियम सं० 26 की धारा 12 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा (1-4-1995 से) "केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड (viiiक) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित बैंक या" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 2007 के अधिनियमसं० 22 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 14 द्वारा (1-4-2018 से) प्रतिस्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा (1-4-1995 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[11] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[12] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 18 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित ।

[1][(ग) जहां ऐसी व्यवस्था किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम द्वारा की जाती है वहां (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन कटौती करने के पूर्व संगणित) कुल आय के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम :]

[2][परंतु यह कि इस उपखंड में निर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था या कोई राज्य वित्तीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को उनके विकल्प पर 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किसी आस्ति के लिए इसके द्वारा बनाए गए किसी उपबंध की बाबत, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन, यथास्थिति, ऐसी संस्था या निगम के खातों में दर्शित ऐसी आस्तियों की रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती अनुज्ञात होगी ;]

[3][(घ) जहां ऐसी व्यवस्था, किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा की जाती है, वहां (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन कटौती करने से पूर्व संगणित) कुल आय के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

[4][(i) "अननुसूचित बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित ऐसी बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है जो अनुसूचित बैंक नहीं है;]

[4][(iक)] "ग्रामीण शाखाओं" से किसी [5][अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक] की ऐसी शाखा अभिप्रेत है जो ऐसे स्थान में स्थित है जिसकी जनसंख्या उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के पहले दिन के पूर्व प्रकाशित हो गए हैं दस हजार से अधिक नहीं है;

[6][(ii) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक, या कोई ऐसा अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, अभिप्रेत है [7]*** ;

[8][(iii) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;

(iv) "राज्य वित्तीय निगम" से अभिप्रेत है राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 3 या धारा 3क के अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित कोई संस्था;

(v) "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कम्पनी जो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगी हुई है और [9][इस उपधारा के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है] ;

[10][(vi) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं;]

[11][(vii) "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (च) में उसका है;]

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 14 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा (1-4-1983 से) खंड (i) को खंड (iक) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और खंड (i) अन्त:स्थापित किया गया ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 10 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 14 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 18 द्वारा (1-4-2000 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(viii) किसी विनिर्दिष्ट एकक द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षिति की बाबत कोई रकम, जो उस आरक्षित खाते को अग्रनीत "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के (इस खंड के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व) अधीन संगणित पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है :

परंतु जहां उन रकमों का योग, जो ऐसे आरक्षित खाते को समय-समय पर अग्रनीत की जाती रही हों, विनिर्दिष्ट एकक की, समादत्त शेयर पूंजी की दो गुनी रकम और साधारण आरक्षितियों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस खंड के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में,—

(क) "विनिर्दिष्ट एकक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय निगम;

(ii) कोई वित्तीय निगम, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है;

(iii) कोई बैंककारी कंपनी;

(iv) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न सहकारी बैंक;

(v) आवास वित्त कंपनी; और

(vi) कोई अन्य वित्तीय निगम, जिसके अंतर्गत पब्लिक कंपनी भी है;

(ख) "पात्र कारबार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

[2][(i) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में,—

(अ) औद्योगिक या कृषि विकास;

(आ) भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास; या

(इ) भारत में आवास विकास,

के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार;]

(ii) खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में, भारत में, आवासिक प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार;

(iii) खंड (क) के उपखंड (vi) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में, भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार;

(ग) "बैंककारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है;

(घ) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और विकास बैंक" के वही अर्थ हैं, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं;

(ङ) "आवास वित्त कंपनी" से ऐसी पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है, जो आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के संन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में विरचित या रजिस्ट्रीकृत है;

(च) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छ) "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,—

(i) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कोई अवसंरचना सुविधा या इसी प्रकार की कोई अन्य पब्लिक सुविधा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो उन शर्तों को पूरा करती हो, जो विहित की जाएं;

(ii) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम; और

(iii) धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम;

(ज) "दीर्घकालिक वित्त" से ऐसा कोई उधार या अग्रिम अभिप्रेत है, जहां वे निबंधन, जिनके अधीन ऐसा धन उधार या अग्रिम दिया जाता है, पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के दौरान ब्याज सहित उसके प्रतिसंदाय के लिए उपबंध करते हैं;]

[1]* * * *

[2][(ix) कोई ऐसा व्यय जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किया गया हो :

परन्तु जहां ऐसा व्यय या उसका कोई भाग पूंजीगत प्रकार का है, वहां ऐसे व्यय के पंचमांश की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए की जाएगी जिसमें वह उपगत किया गया था और उसके अतिशेष की कटौती ठीक उत्तरवर्ती चार पूर्ववर्षों में से हर एक वर्ष के लिए बराबर किस्तों में की जाएगी :

परन्तु यह और कि धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (2) के उपबंध इस खंड के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के संबंध में लागू होते हैं :

परन्तु यह और भी कि [3][धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और उपधारा (5) के, धारा 41 की उपधारा (3) के तथा धारा 43 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के उपबंध किसी ऐसी आस्ति के संबंध में जो परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत प्रकार के व्यय के रूप की है यावत्शक्य उस प्रकार लागू होंगे जैसे उस आस्ति के संबंध में लागू होते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकार के रूप की है;]

[4]* * * *

[5][(xi) निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व नॉन-वाई-2 के कम्प्लाइन्ट कंप्यूटर प्रणाली की बाबत, जो उसके करबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के स्वामित्वाधीन है और उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिससे कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली को वाई-2 के कम्प्लाइन्ट कम्प्यूटर प्रणाली बनाया जा सके, पूर्णत: और अनन्यत: उपगत कोई व्यय :

परंतु ऐसी कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय की बाबत अनुज्ञात नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसी कोई कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कटौती का इस खंड के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है, विहित प्ररूप में देता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्प्यूटर प्रणाली" से अभिप्रेत है ऐसी किसी युक्ति या युक्तियों का संग्रह, जिसके अन्तर्गत इनपुट और आउटपुट सहायक युक्तियां हैं और जिसके अन्तर्गत ऐसे गणक नहीं हैं जिन पर प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है और जो बाह्य फाइलों के साथ उपयोग किए जाने में सक्षम है या जिसमें से अधिकांश में कम्प्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा अंतर्विष्ट हैं, जो ऐसे कृत्य करते हैं, जिसके अन्तर्गत तर्कसम्मत, अंकगणितीय,

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा (1-4-1983 से) खंड (viiiक) का लोप किया गया ।
[2] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 11 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 15 द्वारा (1-4-1967 से) "धारा 35 की उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

डाटा भण्डारण और उनको बाहर निकालना, संचार और नियंत्रण भी हैं किन्तु जो इन तक सीमित नहीं हैं;

(ख) "वाई-2-के कम्प्लाइन्ट कम्प्यूटर प्रणाली" से ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली अभिप्रेत है जो बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी के भीतर और उसके बीच की तारीख से संबंधित डाटा का सही रूप में प्रसंस्करण करने, उन्हें उपलब्ध कराने या प्राप्त करने में सक्षम है ;]

[1][(xii) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), यदि,—

(क) वह किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित है;

(ख) ऐसा निगम या निगमित निकाय है, जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है; और

(ग) उक्त व्यय, उस अधिनियम द्वारा, जिसके अधीन वह गठित या स्थापित किया जाता है, प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत किया जाता है;]

[2][(xiii) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर संदत्त बैंककारी नकद संव्यवहार कर की कोई रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" और "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" पदों के वही अर्थ हैं, जो वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 6 में क्रमश: उनके हैं ;]

[3][(xiv) किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऐसे उधार गारंटी निधि न्यास को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है ;]

[4][(xv) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीनसंगणित आय में सम्मिलित की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति संव्यवहार कर" और "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त (सं० 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) के अध्याय 7 में हैं;]

[5][(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के दौरान किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत आय को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पदों का वही अर्थ होगा जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में क्रमश: उनका है ;]

[6][(xvii) चीनी के विनिर्माण के कारबार में लगी किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा गन्ने का उस कीमत पर, जो सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के बराबर या उससे कम है, क्रय करने के लिए उपगत व्यय की रकम ।]

(2) किसी डूबे ऋण या उसके किसी भाग के लिए कटौती करने में, निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे,—

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(i) कोई भी ऐसी कटौती तब के सिवाय अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब ऐसा ऋण या उसका कोई भाग निर्धारिती की ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा ऋण या उसका भाग अपलिखित कर दिया जाता है या किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में हिसाब में ले लिया गया है, अथवा बैंककारी या साहूकारी के ऐसे कारबार के मामूली अनुक्रम में, जो निर्धारिती द्वारा चलाया जाता है, उधार दिए गए धन के रूप में है;]

(ii) यदि कोई रकम जो ऐसे किसी ऋण या ऋण के भाग की बाबत अंतत: वसूल की गई है, जब ऋण या उसके भाग और इस प्रकार की कटौती की गई रकम के अंतर से कम है, तो ऐसी कमी उस पूर्ववर्ष में कटौती योग्य होगी जिसमें अंतत: वसूली की गई है;

(iii) ऐसी किसी ऋण या भाग की कटौती तब की जा सकेगी जब उसको किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष [2][जो 1 अप्रैल, 1988 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है] के लेखाओं में अवसूलीय रकम के रूप में पहले ही अपलिखित कर दिया गया है, किन्तु [@][निर्धारण अधिकारी] ने उसकी कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की थी कि सिद्ध नहीं किया गया कि उस वर्ष में वह डूबा ऋण हो गया था;

(iv) जहां ऐसा कोई ऋण या ऋण का भाग पूर्ववर्ष के [2][जो 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है] लेखाओं में अवसूलीय रकम के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है और [@][निर्धारण अधिकारी] का समाधान हो जाता है कि ऐसा ऋण या उसका भाग किसी ऐसे पूर्वतर पूर्ववर्ष में डूबा ऋण हो गया था जो उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा ऋण या उसका भाग अपलिखित कर दिया जाता है ठीक पहले के चार पूर्ववर्षों की कालावधि के बाहर नहीं पड़ता है, वहां धारा 155 की उपधारा (6) के उपबंध लागू होंगे।

[3][(v) जहां ऐसा ऋण या उसका भाग ऐसे किसी निर्धारिती द्वारा, जिसको उपधारा (1) का खंड (viiक) लागू होता है, दिए गए अग्रिम के संबंध में है वहां ऐसी कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ने ऐसे ऋण या उसके भाग की रकम को उस पूर्ववर्ष में उस खंड के अधीन डूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए की गई व्यवस्था लेखे में विकलित किया है।]

37. साधारण—(1) कोई ऐसा व्यय (जो धारा 30 से 36 तक) [4]*** में वर्णित प्रकार का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का या निर्धारिती का वैयक्तिक व्यय नहीं है जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: और अनन्यत: उपगत या किया गया है "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाएगा।

[5][[6][**स्पष्टीकरण 1**]—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, निर्धारिती द्वारा उपगत कोई व्यय कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा और ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती या मोक नहीं दिया जाएगा।]

[7][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती द्वारा कपंनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को निर्धारिती द्वारा कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।]

[8]* * * * *

[9][(2ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका, विवरणिका, ट्रैक्ट, पुस्तिका या इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन किसी निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

[10]* * * * *

38. भवन आदि जिनका कारबार आदि के लिए भागत: प्रयोग किया जाता है या ऐसा प्रयोग अनन्यत: नहीं किया जाता—(1) जहां निर्धारिती द्वारा किसी परिसर के किसी भाग का प्रयोग निवास-गृह के रूप में किया जाता है, वहां—

(क) धारा 30 के खण्ड (क) के उपखंड (1) के अधीन की जाने वाली कटौती, किराए की दशा में, ऐसी रकम होगी जिसे [@][निर्धारण अधिकारी] कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त उस भाग के आनुपातिक वार्षिक मूल्य को ध्यान में

---

[1] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित।
[2] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए।
[3] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 11 द्वारा लोप किया गया।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 13 द्वारा पुन:संख्यांकित।
[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित।
[7] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित।
[8] 1977 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया।
[9] 1978 के अधिनियम सं० 29 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
[10] 1977 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा उपधारा (3), (4) और (5) का लोप किया गया।

रखते हुए अवधारित करे और मरम्मत के लिए संदत्त की गई किसी राशि की दशा में, ऐसी राशि होगी जैसी कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर के उस भाग का आनुपातिक है;

(ख) धारा 30 के खंड (क) के अधीन की जाने वाली कटौती ऐसी राशि होगी जैसी @[निर्धारण अधिकारी] इस प्रकार प्रयुक्त भाग को ध्यान में रखते हुए, अवधारित करे;

(2) जहां कोई भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए, अनन्यत: प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वहां धारा 30 के खंड (क) के उपखंड (ii) और खंड (ग), धारा 31 के खंड (i) और (ii) तथा [1][धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन] की जाने वाली कटौतियां उसके ऐसे उचित आनुपातिक भाग तक निर्बंधित होगी जैसा कि @[निर्धारण अधिकारी] कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे ।

[2]* * * * *

40. कटौती न करने योग्य रकमें—[3][धारा 30 से 38 तक] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में, निम्नलिखित रकमों की कटौती नहीं की जाएगी—

(क) किसी निर्धारिती की दशा में—

[4][(i) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज (जो अप्रैल, 1938 के प्रथम दिन से पूर्व सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत उधार पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि जो,—

(अ) भारत के बाहर; या

(आ) भारत में किसी अनिवासी को, जो कोई कम्पनी नहीं है, या किसी विदेशी कम्पनी को,

संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् [5][धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है] :

[5][परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत कर की कटौती किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किन्तु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां उस राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(आ) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(iक) [5][किसी निवासी को संदेय किसी राशि का तीस प्रतिशत] जिस पर कर, अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य है, और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या [6][धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है] :

[6][परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किन्तु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है वहां उस राशि [5][के तीस प्रतिशत] को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :]

[7][परंतु यह और कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 38 की उपधारा (2) में, "उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (iiक) और(iii) तथा उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि संशोधन अधिनियम सं० 4 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 39 का लोप किया गया ।

[3] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि संशोधन अधिनियम सं० 4 की धारा 13 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 30 से धारा 38 तक" शब्द प्रतिस्थापित ।

[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा (1-4-2005 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।

अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कमीशन या दलाली" का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में है;

(ii) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(iii) "वृत्तिक सेवाओं" का वही अर्थ है जो धारा 194ञ के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में है;

(iv) "काम" का वही अर्थ है जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण 3 में है;

[1][(v) "किराया" का वही अर्थ होगा जो धारा 194झ के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है;

(vi) "स्वामिस्व" का वही अर्थ होगा जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;]

[2][(iख) किसी विनिर्दिष्ट सेवा के लिए किसी अनिवासी को संदत्त या संदेय कोई प्रतिफल जिस पर वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के अध्याय 8 के उपबन्ध के अधीन समकरण उद्ग्रहण की कटौती की जानी है और ऐसे उद्ग्रहण की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात् उसका धारा 139 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व संदाय नहीं किया गया है :

परंतु जहां ऐसे किसी प्रतिफल के संबंध में किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में समकरण उद्ग्रहण की कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है तो ऐसी राशि को पूर्ववर्ष जिसमें ऐसे उद्ग्रहण का संदाय किया गया है कि आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

[3][(iग) अध्याय 12ज के अधीन सीमांत फायदा कर मद्दे संदत्त कोई राशि;]

(ii) किसी कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों पर उद्गृहीत अथवा किन्हीं ऐसे लाभ या अभिलाभों के अनुपात पर या अन्यथा उनके आधार पर निर्धारित किसी रेट या कर की बाबत संदत्त कोई राशि;

[4][**स्पष्टीकरण 1**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किसी रेट या कर के कारण संदत्त किसी राशि में, यथास्थिति, धारा 90 के अधीन कर की राहत या धारा 91 के अधीन संदेय भारतीय आय-कर से कटौती के लिए पात्र कोई रकम सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी ।]

[4][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किसी रेट या कर के कारण संदत्त किसी राशि में धारा 90क के अधीन कर की राहत के लिए पात्र कोई राशि सम्मलित है;]

[5][(iiक) धन-कर की बाबत संदत्त कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए धन-कर से अभिप्रेत है, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन प्रभार्य धन-कर या भारत के बाहर किसी देश में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभार्य वैसा ही कोई कर या निर्धारिती द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति की आस्तियों के मूल्य या उसमें लगाई गई पूंजी के प्रति निर्देश से ऐसी विधि के अधीन प्रभार्य कोई कर, चाहे उस रकम की संगणना में जिसके प्रतिनिर्देश से ऐसा कर प्रभारित किया गया है, कारबार या वृत्ति के ऋण कटौती के रूप में अनुज्ञात किए जाते हों या नहीं, किन्तु कारबार या वृत्ति की किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य कर इस के अन्तर्गत नहीं है ।

[6][(iiख) (अ) स्वामिस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस, विशेषाधिकार फीस, सेवा प्रभार या किसी अन्य फीस या प्रभार के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका अनन्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम पर उद्ग्रहण किया जाता है, संदत्त कोई रकम; या

[1] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 8 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 13 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

(आ) ऐसी कोई रकम जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के उपक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम;

(ii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित की जाती है;

(iii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट सत्ता द्वारा (चाहे एकल रूप से या एक साथ मिलकर) धारित की जाती है;

(iv) ऐसी कोई कंपनी या निगम, जिसमें राज्य सरकार के पास अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का अथवा प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके अंतर्गत उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक-करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति में, नियंत्रण रखने का अधिकार है;

(v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा गठित या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय;]

[1][(iii) कोई ऐसा संदाय, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, यदि यह,—

(अ) भारत के बाहर; या

(आ) किसी अनिवासी को,

संदेय है और यदि अध्याय 17ख के अधीन उस पर न तो कर संदत्त किया गया है, न ही उसकी उससे कटौती की गई है;]

(iv) कोई ऐसा संदाय जो निर्धारिती के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अन्य निधि में किया गया हो उस दशा के सिवाय जबकि निर्धारिती ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी इन्तजाम कर लिए हैं कि उस निधि में से किए गए किन्हीं ऐसे संदायों में से "वेतन" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है, कर स्रोत पर ही काट लिया जाएगा;

[2][(v) धारा 10 के खंड (10गग) में निर्दिष्ट किसी नियोजक द्वारा वास्तव में संदत्त कोई कर;]

[3][(ख) किसी ऐसी फर्म की दशा में, जो फर्म के रूप में निर्धारणीय है,—

(i) किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यकारी भागीदार नहीं है, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो (जिसे इसमें पश्चात् पारिश्रमिक कहा गया है) कोई संदाय; या

(ii) किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यकारी भागीदार है, पारिश्रमिक का, या किसी भागीदार को ब्याज का, कोई संदाय जो, दोनों में से प्रत्येक दशा में, भागीदार विलेख के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत नहीं है या उनके अनुसार नहीं है; या

(iii) किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यकारी भागीदार है, पारिश्रमिक का, या किसी भागीदार को ब्याज का, कोई संदाय जो, दोनों में से प्रत्येक दशा में, भागीदारी विलेख के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत है और उनके अनुसार है, किन्तु जो (ऐसे भागीदार विलेख की तारीख के पूर्व आने वाली) किसी ऐसी अवधि से सम्बन्धित है जिसके लिए ऐसा संदाय किसी पूर्वतर भागीदारी विलेख द्वारा प्राधिकृत नहीं था या उसके अनुसार नहीं है, किन्तु किसी पूर्वतर भागीदारी विलेख द्वारा ऐसे संदाय के लिए प्राधिकार की अवधि के अंतर्गत ऐसे पूर्वतर भागीदारी विलेख की तारीख के पूर्व की कोई अवधि नहीं है; या

(iv) किसी भागीदार को ब्याज का कोई संदाय जो भागीदारी विलेख के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत है और उनके अनुसार है तथा जो ऐसे भागीदारी विलेख की तारीख के पश्चात् आने वाली किसी अवधि से संबंधित है, जहां तक कि ऐसी रकम [4][बारह प्रतिशत] प्रतिवर्ष की दर से परिकलित साधारण ब्याज की रकम से अधिक है; या

(v) किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यकारी भागीदार है, पारिश्रमिक का कोई संदाय जो भागीदारी विलेख के निबंधनों द्वारा प्राधिकृत है और उनके अनुसार है तथा जो ऐसे भागीदारी विलेख की तारीख के पश्चात्

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 16 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आने वाली किसी अवधि से संबंधित है, जहां तक कि पूर्ववर्ष के दौरान सभी भागीदारों को किए गए ऐसे संदाय की रकम ऐसी संकलित रकम से अधिक है जो निम्नलिखित रूप में संगणित की जाए—

[1][(क) बही लाभ के प्रथम 3,00,000 रुपए पर या किसी हानि की दशा में	1,50,000 रुपए या बही लाभ के 90% की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो;
(ख) बही लाभ के अतिशेष पर	60% की दर से :]

परन्तु 1 अप्रैल, 1993 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान भागीदार को इस खंड के अधीन किसी संदाय के संबंध में, भागीदारी विलेख के निबंधनों में, उक्त पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे संदाय के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कोई व्यष्टि, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए, किसी फर्म में भागीदार है (ऐसे भागीदार और अन्य व्यक्ति को इसमें इसके पश्चात् क्रमश: "प्रतिनिधि की हैसयित में भागीदार" और "व्यक्ति जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है" कहा गया है) वहां—

(i) फर्म द्वारा ऐसे व्यष्टि को, जो प्रतिनिधि की हैसियत में भागीदार से भिन्न है, संदत्त किया गया ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ii) फर्म द्वारा ऐसे व्यष्टि को प्रतिनिधि की हैसियत में भागीदार के रूप में संदत्त किया गया ब्याज और फर्म द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, संदत्त किया गया ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कोई व्यष्टि किसी फर्म में कोई ऐसा भागीदार है जो प्रतिनिधि की हैसियत में भागीदार से भिन्न है वहां फर्म द्वारा ऐसे व्यष्टि को संदत्त किया गया ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा यदि ऐसा ब्याज उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "बही लाभ" से अभिप्रेत है अध्याय 4घ में अधिकथित रीति से संगणित किए गए सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में दिखाया गया शुद्ध लाभ जैसा कि फर्म के सभी भागीदारों को संदत्त या संदेय पारिश्रमिक की संकलित रकम को बढ़ाकर आए यदि शुद्ध लाभ की संगणना करते समय ऐसी रकम की कटौती की गई है ।

स्पष्टीकरण 4—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कार्यकारी सदस्य" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो ऐसी फर्म के जिसका वह भागीदार है, कारबार या वृत्ति के संचालन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है;]

[2][(खक) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में जो [किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के समान किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से भिन्न है] ऐसे संगम या निकाय के किसी सदस्य को दिए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई संदाय ।

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी संगम या निकाय द्वारा संगम या निकाय के किसी ऐसे सदस्य को, जिसने संगम या निकाय को ब्याज का संदाय कर दिया है, ब्याज का संदाय किया जाता है, वहां इस खंड के अधीन अनुज्ञात किए जाने वाले ब्याज की रकम ऐसी रकम तक परिसीमित की जाएगी, जिससे संगम या निकाय द्वारा सदस्य को किए गए ब्याज का संदाय, सदस्य द्वारा संगम या निकाय को किए गए ब्याज के संदाय से अधिक हो जाता है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कोई व्यष्टि, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए किसी संगम या निकाय का सदस्य है (ऐसे सदस्य और अन्य व्यक्ति को इसमें इसके पश्चात् क्रमश: "प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य" और "व्यक्ति जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है", कहा गया है) वहां—

(i) संगम या निकाय द्वारा ऐसे व्यष्टि को या ऐसे व्यष्टि द्वारा संगम या निकाय को, जो प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य से भिन्न है, संदत्त किया गया ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए संगणना में नहीं लिया जाएगा;

(ii) संगम या निकाय द्वारा ऐसे व्यष्टि को या ऐसे व्यष्टि द्वारा संगम या निकाय को प्रतिनिधि की हैसियत में सदस्य के रूप में संदत्त ब्याज और संगम या निकाय द्वारा ऐसे व्यष्टि को जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है या ऐसे व्यष्टि द्वारा, जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, संगम या निकाय को संदत्त ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा ।

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1989 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 9 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (खक) अन्त:स्थापित ।

स्पष्टीकरण 3—जहां कोई व्यष्टि किसी संगम या निकाय में कोई ऐसा सदस्य है जो प्रतिनिधि की हैसियत से सदस्य से भिन्न है, वहां संगम या निकाय द्वारा ऐसे व्यष्टि को संदत्त ब्याज इस खंड के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा, यदि ऐसा ब्याज उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए प्राप्त किया जाता है ।]

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3][**40क. व्यय का संदाय जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है**—(1) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की संगणना करने से सम्बन्धित इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

(2) (क) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत इस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संदाय किया गया है या किया जाना है और @[निर्धारण अधिकारी] की यह राय है कि ऐसा व्यय उस माल के उन सेवाओं या सुविधाओं के जिनके लिए संदाय किया गया है उचित बाजार मूल्य को या निर्धारिती के कारबार या वृत्ति की वास्तविक आवश्यकताओं को या उसे उसके द्वारा व्युत्पन्न या उसको प्रोद्भूत होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है, वह उतना व्यय जितना वह इस प्रकार अत्यधिक या अयुक्तियुक्त समझे कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

[4]* * * * *

[5][परंतु [6][1 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए] धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की बाबत किसी ऐसे व्यय मद्दे, जो उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अयुक्तियुक्त है, मोक को नामंजूर नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा संव्यवहार धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत पर है ।]

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्—

(i) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है;	निर्धारिती का कोई नातेदार;
(ii) जहां निर्धारिती कोई कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है;	कम्पनी का कोई निदेशक, फर्म का कोई भागीदार अथवा संगम या कुटुम्ब या कुटुम्ब का कोई सदस्य अथवा ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ।

(iii) कोई व्यष्टि जिसका निर्धारिती के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार;

(iv) ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जिसका निर्धारिती के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है अथवा ऐसी कम्पनी, फर्म, संगम या कुटुम्ब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार—[5][अथवा कारबार या वृत्ति में लगी हुई ऐसी कोई अन्य कंपनी, जिसमें प्रथमवर्णित कंपनी का पर्याप्त हित है]

(v) ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जिसके, यथास्थिति, निदेशक, भागीदार या सदस्य का निर्धारिती के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है अथवा ऐसी कम्पनी, फर्म, संगम या कुटुम्ब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार;

(vi) कोई ऐसा व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति चलाता है—

(क) जहां निर्धारिती का जो व्यष्टि है या ऐसे निर्धारिती के किसी नातेदार का, उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है; या

(ख) जहां निर्धारिती का, जो कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम, या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है अथवा ऐसी कम्पनी के किसी निदेशक, ऐसी फर्म के किसी भागीदार, या ऐसे संगम या कुटुम्ब के किसी सदस्य का, अथवा, ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का, उस व्यक्ति के कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी कारबार या वृत्ति में पर्याप्त हित है यदि—

---

[1] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 13 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 11 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।

[3] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 7 द्वारा (1-4-1968 से) अन्त:स्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[4] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) परन्तुक का लोप किया गया ।

[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) ऐसी दशा में जहां वह कारबार या वृत्ति किसी कम्पनी द्वारा चलाई जाती है, ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे शेयरों का जो (लाभांश की नियत दर के हकदार शेयर न होते हुए चाहे व लाभों में भाग लेने के अधिकार के सहित या उससे रहित हों) बीस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति को रखने वाले है, हिताधिकारी स्वामी है; और

(ख) किसी अन्य दशा में, ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे कारबार या वृत्ति के लाभों के बीस प्रतिशत के अन्यून के लिए हिताधिकारी रूप में हकदार है ।

[1][(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय [2][दस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग से भिन्न] किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3क) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अनुज्ञात किया गया है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट [3][या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग] से भिन्न किसी अन्य रीति से करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा तथा तदनुसार यदि किसी दिन व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय [2][दस] हजार रुपए से अधिक है तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परंतु जहां [2][दस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग से भिन्न] किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सेवाओं की प्रकृति और सीमा, कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय उपधारा (3) और इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा :]

[4][परंतु यह और कि माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के लिए किए गए संदाय की दशा में उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "[2][दस] हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पैंतीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों ।]

[5][(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यय की बाबत कोई संदाय [6][किसी बैंक के नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट [3][या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग] द्वारा] इसलिए किया जाना हो कि वह उपधारा (3) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात न कर दिया जाए, वहां वह संदाय ऐसे चेक या ड्राफ्ट [3][या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति] द्वारा किया जा सकेगा; और जहां संदाय ऐसे किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है वहां किसी व्यक्ति को किसी वाद या अन्य कार्यवाही में इस आधार पर अभिवचन न करने दिया जाएगा कि संदाय नकद रूप में या किसी अन्य रीति से नहीं किया गया था या प्रस्तुत नहीं किया गया था ।]

[7]* * * * *

[8][(7) (क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए की गई किसी व्यवस्था (चाहे उसे यही या कोई और नाम दिया जाए) की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) खंड (क) की कोई बात किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदाय के रूप में किसी राशि के संदाय के प्रयोजन के लिए या उस पूर्ववर्ष के दौरान संदेय हो गए ऐसे किसी उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा की गई किसी व्यवस्था के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए की गई किसी व्यवस्था को किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी व्यवस्था में से अनुमोदित उपदान निधि में उपदान के रूप में संदत्त राशि उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि इस प्रकार संदत्त की जाती है, निर्धारिती की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[9]* * * * *

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1969 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा (1-4-1969 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा (1-4-1989 से) उपधारा (5) और (6) का लोप किया गया ।
[8] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 23 द्वारा (1-4-2000 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1986 से) उपधारा (8) का लोप किया गया ।

[1][(9) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में किसी प्रयोजन के लिए किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या अन्य संस्था की स्थापना के लिए या उसके बनाने के लिए या उसमें अभिदाय के रूप में संदत्त किसी राशि की बाबत कोई कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब ऐसी राशि धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iv) [2][या खंड (ivक)] या खण्ड (v) द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित प्रयोजनों के लिए और उस विस्तार तक इस प्रकार संदत्त की जाती है ।

(10) उपधारा (9) में किसी बात के होते हुए भी, जहां [@][निर्धारण अधिकारी] का यह समाधान हो जाता है कि उस उपधारा में निर्दिष्ट निधि, न्यास, कम्पनी, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था ने 1 मार्च, 1984 के पूर्व उस उपधारा में निर्दिष्ट राशि में से कोई व्यय पूर्णत: और भागत: उस उपधारा (9) में निर्दिष्ट निर्धारिती के कर्मचारियों के कल्याण के लिए सद्भापूर्वक उपगत किया है या किया गया है (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का व्यय नहीं है) वहां ऐसे व्यय की रकम को, उस दशा में जिसमें निर्धारिती को ऐसी राशि के बारे में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसा व्यय इस प्रकार उपगत किया या किया गया है, निर्धारिती की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में कटौती की जाएगी मानो ऐसा व्यय निर्धारिती द्वारा उपगत, या किया गया व्यय हो ।

(11) जहां निर्धारिती ने 1 मार्च, 1984 के पूर्व उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था को कोई राशि संदत्त की है, वहां किसी अन्य विधि या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह—

(i) यह दावा करने का हकदार होगा कि उसे उतनी रकम का, जो ऐसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था द्वारा उपगत या व्यय नहीं की गई है (ऐसी रकम को इसके पश्चात्) अनुपयोजित रकम कहा गया है), प्रतिसंदाय किया जाए और जहां इस प्रकार दावा किया जाता है वहां अनुपयोजित रकम का यथाशीघ्र उसे प्रतिसंदाय किया जाएगा;

(ii) यह दावा करने का हकदार होगा कि ऐसी आस्ति, जो भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, या फर्नीचर है, और जो निर्धारिती द्वारा संदत्त राशि से निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, सोसाइटी या अन्य संस्था द्वारा अर्जित या सन्निर्मित है, उसे अन्तरित कर दी जाए, और जहां इस प्रकार दावा किया जाता है वहां ऐसी आस्ति यथाशीघ्र उसे अन्तरित कर दी जाएगी ।]

[3]* * * * *

41. कर से प्रभार्य लाभ—[4][(1) जहां निर्धारिती द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम वर्णित व्यक्ति कहा गया है) उठाई गई हानि, उपगत किए गए व्यय अथवा व्यापार संबंधी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के लिए निर्धारण में मोक दिया गया है या कटौती की गई है और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान :—

(क) प्रथम वर्णित व्यक्ति ने ऐसी हानि या व्यय की बाबत कोई रकम या ऐसे व्यापार संबंधी दायित्व की बाबत कोई फायदा, उसके परिहार अथवा समाप्ति के तौर पर चाहे नकदी में अथवा किसी भी अन्य रीति से, अभिप्राप्त किया है वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त रकम या उसको प्रोद्भूत फायदे के मूल्य को कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से तद्नुसार प्रभार्य होगा, चाहे वह कारबार या वृत्ति, जिसके बारे में मोक दिया गया है या कटौती की गई है, उस वर्ष में अस्तित्व में हो या नहीं; या

(ख) कारबार में उत्तरवर्ती ने प्रथम वर्णित व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि या उपगत किए गए व्यय की बाबत कोई रकम या खंड (क) में निर्दिष्ट व्यापार संबंधी दायित्व की बाबत कोई फायदा, उसके परिहार अथवा समाप्ति के तौर पर, चाहे नकदी में अथवा किसी भी अन्य रीति से, अभिप्राप्त किया है वहां कारबार में उत्तरवर्ती द्वारा अभिप्राप्त रकम या कारबार में उत्तरवर्ती को प्रोद्भूत फायदे के मूल्य को कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से तद्नुसार प्रभार्य होगा ।

[5][**स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "हानि या व्यय या ऐसे व्यापार संबंधी दायित्व की बाबत कोई फायदा, उसके परिहार अथवा समाप्ति के तौर पर" अभिव्यक्ति के अंतर्गत इस उपधारा के खंड (क) के अधीन प्रथम वर्णित व्यक्ति द्वारा या उस धारा के खंड (ख) के अधीन कारबार में उत्तरवर्ती द्वारा उसके लेखाओं में ऐसे दायित्व को अपलिखित करके किसी दायित्व का एकपक्षीय कार्रवाई द्वारा परिहार अथवा समाप्ति है ।]

स्पष्टीकरण [6]**[2]**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबार में उत्तरवर्ती" से अभिप्रेत है,—

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा (1-4-1980 से) उपधारा (9), (10) और (11) अन्त:स्थापित ।
[2] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 17 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 18 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा संख्यांकित ।

(i) जहां कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन हो जाता है वहां वह समामेलित कंपनी;

(ii) जहां कोई अन्य व्यक्ति, उस कारबार या वृत्ति में प्रथम वर्णित व्यक्ति का उत्तरवर्ती हो जाता है वहां वह अन्य व्यक्ति,

(iii) जहां कोई अन्य फर्म कारबार या वृत्ति चलाने वाली फर्म की उत्तरवर्ती हो जाती है वहां वह अन्य फर्म ।

[1][(iv) जहां कोई निर्विलयन हो गया है वहां परिणामी कंपनी ।]

(2) जहां कोई भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर,—

(क) जो निर्धारिती के स्वामित्वाधीन है;

(ख) जिसके संबंध में अवक्षयण का धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन दावा किया जाता है; और

(ग) जिसका कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था या किया गया है,

विक्रीत किया जाता है, त्यक्त किया जाता है, ढा दिया जाता है या नष्ट किया जाता है और यथास्थिति, ऐसे भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत संदेय धन, स्क्रैप मूल्य, यदि कोई है, की रकम सहित, अवलिखित मूल्य से अधिक है वहां ऐसी अधिक रकम, जो वास्तविक लागत और अवलिखित मूल्य के बीच के अंतर से अधिक नहीं है, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के लिए संदेय धन देय हो गया था, कारबार की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की बाबत संदेय धन ऐसे पूर्ववर्ष में देय हो जाते हैं जिसमें वह कारबार, जिसके प्रयोजन के लिए भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर का उपयोग किया जा रहा था, अस्तित्व में न रहे, वहां इस उपधारा के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में है ।]

[2]* * * * *

(3) जहां कोई आस्ति, जो धारा 43 के खण्ड (4) के साथ पठित [3][धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iv) या उपधारा (2ख) के खण्ड (ग)] के अर्थ में वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्रकार के व्यय के रूप में है, अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए बिना विक्रीत की गई है और विक्रय के आगम धारा 35 की उपधारा (2) के, यथास्थिति, खण्ड (i) के अधीन की गई कटौतियों की कुल रकम [4][या खण्ड (iक) के अधीन की गई कटौती की रकम या उपधारा (2ख) के खण्ड (ग) के अधीन की कटौती की रकम] के सहित, पूंजीगत व्यय की रकम से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य या इस प्रकार की गई कटौतियों की रकम में से जो भी कम हो, वह उस पूर्ववर्ष की जिसमें विक्रय हुआ था, कारबार या वृत्ति की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी आस्ति की बाबत संदेय धन, ऐसे पूर्ववर्ष में देय हो जाते हैं, जिसमें कारबार अस्तित्व में न रहे, वहां इस उपधारा के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में है ।

(4) जहां किसी डूबे ऋण के भाग की बाबत कटौती धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञात की गई है, वहां यदि किसी ऋण या उसके भाग पर तत्पश्चात् वसूल हुई रकम, उस ऋण या ऋण के भाग और इस प्रकार अनुज्ञात रकम के अन्तर से अधिक है, तो ऐसा आधिक्य कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और उस पूर्ववर्ष का जिसमें वह रकम वसूल होती है, आय के रूप में आय-कर से तद्नुसार प्रभार्य होगा, चाहे वह कारबार या वृत्ति जिसकी बाबत कटौती की गई है, उस वर्ष में अस्तित्व में हो या न हो ।

[5][**स्पष्टीकरण**—उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए,—

(1) किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में, "संदेय धन" के अन्तर्गत—

(क) उसकी बाबत संदेय बीमा, उद्धारण, या प्रतिकर धन है;

(ख) जहां भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर विक्रीत किया जाता है वहां वह कीमत है जिस पर उसको विक्रीत किया जाता है,

किन्तु जहां किसी मोटरकार की वास्तविक लागत, धारा 43 के खंड (1) के परन्तुक के अनुसार, पच्चीस हजार रुपए मानी जाती है वहां ऐसी मोटरकार की बाबत संदेय धन वह राशि मानी जाएगी जिसका अनुपात, यथास्थिति, उस रकम के साथ जितने में मोटरकार विक्रीत की जाती है या उसकी बाबत संदेय किसी बीमा, उद्धारण या प्रतिकर धन की रकम के साथ (जिसके अन्तर्गत स्क्रैप मूल्य, यदि कोई हो, भी है) वही है जो पच्चीस हजार रुपए की रकम का मोटरकार पर निर्धारिती को उस वास्तविक लागत के साथ है जो उक्त परन्तुक को लागू करने के पूर्व संगणित की गई होती;

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 46 की धारा 7 द्वारा मूल उपधारा (2) और (2क) का लोप किया गया ।
[3] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 11 द्वारा (1-4-1981 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 7 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

(2) "विक्रीत" के अन्तर्गत विनिमय के रूप में अंतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन भी है किन्तु इसके अन्तर्गत समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को, जहां समामेलित कंपनी भारतीय कंपनी है, किसी आस्ति का अंतरण नहीं है ।]

[1][(4क) जहां धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन सृष्ट और अनुरक्षित किसी विशेष रिजर्व की बाबत कटौती अनुज्ञात की गई है वहां ऐसे विशेष रिजर्व में से तत्पश्चात् वापस ली गई किसी रकम को कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और वह ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी रकम वापस ली गई है, आय के रूप में आय-कर से तद्नुसार प्रभार्य होगी ।]

स्पष्टीकरण—जहां किसी ऐसे पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा कारबार अस्तितव में नहीं रह गया है, विशेष रिजर्व में से कोई रकम वापस ली गई है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में हो ।]

(5) जहां इस धारा में निर्दिष्ट कारबार या वृत्ति अस्तित्व में न रहे और उस कारबार या वृत्ति की बाबत, उपधारा (1) [2]*** की उपधारा (3) [3][उपधारा (4) या उपधारा (4क)] के अधीन कर से प्रभार्य आय हो वहां सट्टा कारबार में [4]*** उठाई गई हानि न होने वाली कोई ऐसी हानि जो उस कारबार या वृत्ति में उस पूर्ववर्ष में उद्भूत हुई जिसमें वह अस्तित्व में नहीं रही और जिसका उस पूर्ववर्ष का किसी अन्य आय के प्रति मुजरा नहीं किया जा सका, पूर्वोक्त उपधाराओं के अधीन कर से प्रभार्य आय के प्रति यावत्शक्य मुजरा की जाएगी ।

[5][(6) उपधारा (3) में, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रति, जिसका प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधन किया गया है, या लोप किया गया है; निदेशों का, ऐसे संशोधन या लोप के होते हुए भी, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह अर्थ लगाया जाएगा मानो ऐसा संशोधन या लोप नहीं किया गया हो ।]

42. खनिज तेल के पूर्वेक्षण आदि के लिए कारबार की दशा में कटौतियों के लिए विशेष उपबंध—[6][(1)] खनिज तेलों के लिए पूर्वेक्षण या उनके निष्कर्षण या उत्पादन के किसी ऐसे कारबार के लाभों या अभिलाभों को संगणित करने के प्रयोजन के लिए, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने किसी व्यक्ति के साथ [7][केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ऐसे कारबार में सहयोजन या भाग लेने] के लिए करार किया है (जो करार संसद् के हर एक सदन के पटल पर रख दिया गया है) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय मोक के बदले में या उनके अतिरिक्त ऐसे मोक जो करार में विनिर्दिष्ट हो निम्नलिखित के सम्बन्ध में दिए जाएंगे—

(क) निर्धारिती द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने के पूर्व अभ्यर्पित किसी क्षेत्र की बाबत असफल या निष्फल खोज के खर्च के तौर पर व्यय;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ के पश्चात् ऐसे जो व्यय बरमाने या खोज सम्बन्धी क्रियाकलापों या सेवाओं की बाबत, या उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर धारा 32 के अधीन अवक्षयण के लिए मोक अनुज्ञेय है उस सम्बन्ध में प्रयुक्त की गई भौतिक आस्तियों की बाबत निर्धारिती द्वारा, चाहे ऐसे वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्व या उसके पश्चात् उपगत किया गया हो [8]***

[9][परन्तु 31 मार्च, 1981 के पश्चात् किए गए किसी करार के सम्बन्ध में इस खण्ड का प्रभाव इस उपान्तर के अधीन होगा कि "उन आस्तियों को छोड़कर जिन पर धारा 32 के अधीन अवक्षयण के लिए मोक अनुज्ञेय है" शब्दों और अंक का लोप कर दिया गया; और]

(ग) उस पूर्ववर्ष से जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाता है सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत और ऐसे पश्चात्वर्ती वर्ष या वर्षों के लिए जैसे करार में विनिर्दिष्ट किए जाएं खनन क्षेत्र में खनिज तेल का नि:शेषण,

और ऐसे मोक करार में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित किए और दिए जाएंगे जब कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के बारे में इस प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उस विस्तार तक उपांतरित कर दिए गए हैं जिस तक वे करार के निबंधनों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हैं ।

[10][(2) जहां निर्धारिती का कारबार जिसके अंतर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन का कारबार भी है, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करार के अनुसार, उक्त करार के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूर्णत: या भागत: अन्तरित कर

---

[1] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) "या पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 7 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 41 की उपधारा (5) में "उपधारा (2), उपधारा (2क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया ।

[5] 1987 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 17 द्वारा (1-4-1999 से) पुन:संख्यांकित ।

[7] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 8 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।

[8] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 8 द्वारा (1-4-1981 से) लोप किया गया ।

[9] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 8 द्वारा (1-4-1981 से) अन्त:स्थापित ।

[10] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 17 द्वारा (1-4-1999) से अंत:स्थापित ।

दिया जाता है या ऐसे कारबार का कोई हित अन्तरित हो जाता है और जहां अन्तरण के आगम (जहां तक उनके अन्तर्गत पूंजी राशि भी है)—

(क) ऐसे उपगत व्यय से कम है जो अनुज्ञात नहीं किया गया है वहां अंतरण के आगम के कारण कम हुए अननुज्ञात बने रहे व्यय के बराबर कटौती उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें, यथास्थिति, ऐसा कारबार या हित अन्तरित किया जाता है, अनुज्ञात की जाएगी;

(ख) ऐसे उपगत व्यय की रकम से जो अनुज्ञात नहीं किया गया है, अधिक हो जाते हैं, वहां उतनी अधिक रकम, जो कारबार के संबंध में उपगत व्यय या उसमें हित अभिप्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के बीच के अंतर से अधिक नहीं है और ऐसे व्यय की रकम जो अनुज्ञात नहीं किया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें, यथास्थिति, ऐसा कारबार या हित, चाहे पूर्णत: या भागत:, अन्तरित किया गया था, कारबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी :

परन्तु किसी ऐसे मामले में जहां इस खंड के उपबंध लागू नहीं होते वहां ऐसे उपगत व्यय के लिए जो अनुज्ञात नहीं किया गया है, अनुज्ञात की जाने वाली कटौती, उस व्यय में से जो अनुज्ञात नहीं किया गया है, अन्तरण के आगमों (जहां तक उनमें पूंजी राशि सम्मिलित है) को घटा कर होगी ।

स्पष्टीकरण—जहां कारबार या ऐसे कारबार में हित उस पूर्ववर्ष में अन्तरित किया जाता है जिसमें निर्धारिती द्वारा चलाया जाने वाला ऐसा कारबार अब अस्तित्व में नहीं है वहां इस खंड के उपखंड ऐसे लागू होंगे मानो वह कारबार उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में था;

(ग) उस उपगत व्यय की रकम से कम नहीं है जो अनुज्ञात नहीं किया गया है वहां ऐसे व्यय के लिए कोई कटौती उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें ऐसा कारबार या ऐसे कारबार में हित अन्तरित किया जाता है या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष या वर्षों की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

[1][परन्तु जहां समामेलन या निर्विलयन की किसी स्कीम में समामेलक या निर्विलीन कंपनी समामेलित या परिणामी कंपनी को (जो भारतीय कंपनी है) कारबार का विक्रय करती है या अन्यथा अंतरण करती है वहां इस उपधारा के उपबंध—

(i) समामेलक या निर्विलीन कंपनी की दशा में लागू नहीं होंगे; और

(ii) जहां तक हो सके, समामेलित या परिणामी कंपनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीन कंपनी को तब लागू होते, जब पश्चात्वर्ती कंपनी ने कारबार या कारबार में हित अंतरित नहीं किया होता ।]]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खनिज तेलों" के अन्तर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ।]

43. कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा—धारा 28 से धारा 41 तक में और इस धारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "वास्तविक लागत" से निर्धारिती को आस्तियों की ऐसी वास्तविक लागत अभिप्रेत है जैसे कि वह उसकी लागत के उस भाग को यदि कोई हो, घटा कर आए जिसकी पूर्ति किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: की गई हो ।

[3][परन्तु जहां किसी आस्ति का, जो ऐसी मोटरकार है जिसका 1967 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् [4][किन्तु 1975 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व] निर्धारिती द्वारा अर्जन किया जाता है और जिसका प्रयोग पर्यटकों के लिए किराए पर चलाए जाने वाले कारबार में से अन्यथा किया जाता है, वास्तविक लागत पच्चीस हजार रुपए से अधिक है, वहां वास्तविक लागत के उस आधिक्य की जो इस रकम से ऊपर हो उपेक्षा कर दी जाएगी, तथा उसकी वास्तविक लागत के बारे में यह माना जाएगा कि वह पच्चीस हजार रुपए है :]

[5][परन्तु यह और कि जहां निर्धारिती किसी ऐसी आस्ति या उसके भाग के अर्जन के लिए कोई व्यय उपगत करता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को किसी एक दिवस में किसी बैंक पर आहरित किसी खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके संदाय करने से भिन्न ऐसा कोई संदाय या कुल संदाय किए जाते हैं, जो दस हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसे व्यय को वास्तविक लागत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी आस्ति का प्रयोग किसी कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसका प्रयोग बंद हो जाने के पश्चात् उस कारबार में किया जाता है और उस आस्ति की बाबत [6][धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii)] के अधीन कटौती की जानी है, वहां निर्धारिती की उस आस्ति की वास्तविक लागत निर्धारिती की यह वास्तविक लागत होगी जो उसमें से धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के किसी तत्समान उपबंध के अधीन अनुज्ञात किसी कटौती की रकम को घटा कर आए ।

[1] 1997 के अधिनियम सं० 27 की धारा 25 द्वारा (1-4-2000 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 8 द्वारा (1-4-1981 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (1-4-1975 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण 1 में, "उपधारा (1) के खंड (i), खण्ड (ii) या खंड (iii) या धारा 32 की उपधारा (1क) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण 2**—जहां निर्धारिती द्वारा आस्ति, दान या विरासत से अर्जित की जाती है वह निर्धारिती को आस्ति की वास्तविक लागत पूर्ववर्ती स्वामी की वास्तविक लागत होगी और उसमें से निम्नलिखित घटा दिया जाएगा—

(क) इस अधिनियम और भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत, वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण की रकम; और

(ख) अवक्षयण की वह रकम जो 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञेय होती, मानो वह आस्ति सुसंगत आस्ति समूह की एकमात्र आस्ति हो];

स्पष्टीकरण 3—जहां निर्धारिती द्वारा अर्जन की तारीख से पूर्व आस्तियों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी समय अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया था और [@][निर्धारण अधिकारी] का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती को ऐसी आस्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अन्तरण का मुख्य प्रयोजन (वर्धित लागत के आधार पर अवक्षयण का दावा जता कर) आय-कर के दायित्व को घटाना था, वहां निर्धारिती की वास्तविक लागत ऐसी रकम होगी जैसी मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, [@][निर्धारण अधिकारी] सहायक आयुक्त (निरीक्षण) की पूर्व अनुमति से अवधारित करे ।

[1][**स्पष्टीकरण 4**—जहां कोई आस्ति जो कभी निर्धारिती की थी और जिसका प्रयोग उसके द्वारा अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया था और तत्पश्चात् अन्तरण के कारण या अन्यथा उसकी संपत्ति नहीं रह गई, उसके द्वारा पुन: अर्जित की जाती है, वहां निर्धारिती की वास्तविक लागत, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, वह होगी :—

(i) आस्ति के प्रथमत: अर्जित किए जाने के समय उसकी वास्तविक लागत, जिसमें से निम्नलिखित घटा दिया जाएगा—

(क) इस अधिनियम के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तत्समान उपबन्धों के अधीन, 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत, उसे वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण की रकम; और

(ख) अवक्षयण की वह रकम जो 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञेय होती, मानो वह आस्ति सुसंगत आस्ति समूह की एकमात्र आस्ति हो; अथवा

(ii) वह वास्तविक कीमत जिस पर वह आस्ति उसके द्वारा पुन: अर्जित की जाती है ।]

[2][**स्पष्टीकरण 4क**—जहां निर्धारिती द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम वर्णित व्यक्ति कहा गया है) अर्जन की तारीख के पूर्व, आस्तियों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात्) द्वितीय वर्णित व्यक्ति कहा गया है) किसी समय अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया था और द्वितीय वर्णित व्यक्ति की दशा में ऐसी आस्तियों के संबंध में अवक्षयण मोक का दावा किया गया है और ऐसा व्यक्ति प्रथम वर्णित व्यक्ति से पट्टे, किराए पर या अन्यथा आस्तियों का अर्जन करता है वहां स्पष्टीकरण 3 में किसी बात के होते हुए भी, द्वितीय वर्णित व्यक्ति द्वारा अंतरित आस्तियों की वास्तविक लागत, प्रथम वर्णित व्यक्ति की दशा में, वही होगी जो उनके अंतरण के समय पर उक्त आस्तियों का अवलिखित मूल्य होता ।]

स्पष्टीकरण 5—जहां कोई ऐसा भवन, जो पहले निर्धारिती की संपत्ति था, 1946 की फरवरी के 28वें दिन के पश्चात् कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहां निर्धारिती की वास्तविक लागत निर्धारिती के भवन की वह वास्तविक लागत होगी जो उसमें से इतनी रकम को घटाकर आए जितनी उस तारीख को प्रवृत्त दर परिकलित उस अवक्षयण के बराबर है जो अनुज्ञेय होता यदि उस भवन का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग निर्धारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से ही किया जाता है ।

[3][**स्पष्टीकरण 6**—जब कोई पूंजी आस्ति किसी नियंत्रित कंपनी द्वारा अपनी समनुषंगी कंपनी को या किसी समनुषंगी कंपनी द्वारा अपनी नियंत्री कंपनी को अंतरित की जाती है तब यदि धारा 47 के, यथास्थिति, खंड (iv) की या खंड (v) की शर्तें पूरी हो जाती हैं तो अंतरिती कम्पनी को अंतरित पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत वही मानी जाएगी जो तब होती जबकि अंतरक कंपनी अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति को धारण किए रहती है ।]

[4][**स्पष्टीकरण 7**—जहां समामेलन की किसी स्कीम में कोई पूंजी आस्ति समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को अंतरित की जाती है और समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है, वहां समामेलित कंपनी को अंतरित पूंजी आस्ति की

[1] 1986 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 14 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 16 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।

वास्तविक लागत वही मानी जाएगी जो तब होती जब कि समामेलक कंपनी स्वयं अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति को धारण किए रहती है ।]

[1][**स्पष्टीकरण 7क**—जहां किसी निर्विलयन में कोई पूंजी आस्ति निर्विलीन कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को अंतरित की जाती है और परिणामी कंपनी एक भारतीय कंपनी है वहां परिणामी कंपनी को अंतरित पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत वही मानी जाएगी जो तब होती जब निर्विलीन कंपनी स्वयं अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति को धारण किए रहती :

परन्तु ऐसी वास्तविक लागत निर्विलीन कंपनी के पास ऐसी पूंजी आस्ति की अवलिखित मूल्य से अधिक नहीं होगी ।]

[2][**स्पष्टीकरण 8**—शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि जहां किसी आस्ति के अर्जन के संबंध में ब्याज के रूप में कोई रकम संदत्त की जाती है या संदेय है वहां ऐसी रकम का उतना भाग जो उस आस्ति के प्रथम बार उपयोग में लाए जाने के पश्चात् की किसी अवधि से संबंधित है, उस आस्ति की वास्तविक लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या कभी भी सम्मिलित किया गया नहीं समझा जाएगा ।]

[3][**स्पष्टीकरण 9**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां 1 मार्च, 1994 को या उसके पश्चात् किसी निर्धारिती द्वारा कोई आस्ति अर्जित की जाती है या की गई है वहां ऐसी आस्ति की वास्तविक लागत में से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की रकम घटा दी जाएगी जिसकी बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन मुजरा का दावा किया गया है और वह अनुज्ञात किया गया है ।]

[3][**स्पष्टीकरण 10**—जहां निर्धारिती द्वारा अर्जित आस्ति की लागत के किसी भाग की पूर्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या विधि के अधीन स्थापित किसी प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में की गई है वहां, तब उतनी लागत, जो ऐसी सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति से संबद्ध है, निर्धारिती की आस्ति की वास्तविक लागत में सम्मिलित नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसी सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति ऐसी प्रकृति की है कि इसे अर्जित आस्ति से प्रत्यक्षत: संबद्ध नहीं किया जा सकता है वहां, उतनी रकम को, जो कुल सहायिकी या प्रतिपूर्ति या अनुदान के उसी अनुपात में होगी जो उस आस्ति का उन सभी आस्तियों के संबंध में है, जिसकी बाबत या जिसके प्रति सहायिकी, अनुदान या प्रतिपूर्ति इस प्रकार प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आस्ति की वास्तविक लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।]

[1][**स्पष्टीकरण 11**—जहां कोई आस्ति जो किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा जो अनिवासी है, भारत के बाहर अर्जित की जाती है, उसके द्वारा भारत में लाई जाती है और अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है वहां निर्धारिती को आस्ति की वास्तविक लागत निर्धारिती के लिए वह वास्तविक लागत होगी जो प्रवृत्त दर पर परिकलित अवक्षयण की रकम के बराबर रकम को घटाकर आए जो तब अनुज्ञेय होती जब वह आस्ति निर्धारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से उक्त प्रयोजन के लिए भारत में उपयोग में लाई जाती ।]

[4][**स्पष्टीकरण 12**—जहां निर्धारिती द्वारा कोई आस्ति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन अर्जित की जाती है, वहां उक्त आस्ति की वास्तविक लागत, वह रकम समझी जाएगी जो, यदि ऐसा निगमीकरण नहीं हुआ होता तो, वास्तविक लागत मानी जाती गई ।]

[5][**स्पष्टीकरण 13**—ऐसी किसी पूंजी आस्ति के वास्तविक खर्च को, जिसके संबंध में निर्धारिती को धारा 35कघ के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है या अनुज्ञेय है, निम्नलिखित की दशा में 'शून्य' माना जाएगा,—

(क) ऐसे निर्धारिती; और

(ख) किसी अन्य दशा में, यदि पूंजी आस्ति,—

(i) दान के रूप में या विल के रूप में या अप्रतिसंहरणीय न्यास के रूप में;

(ii) कंपनी के समापन पर किसी वितरण के संबंध में; और

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।

(iii) अंतरण की ऐसी किसी पद्धति द्वारा जो धारा 47 के खंड (i), खंड (iv), खंड (v), खंड (vi), खंड (viख), [1][खंड (xiii), खंड (xiiiख) और खंड (xiv)] में निर्दिष्ट है,

अर्जित या प्राप्त की गई है;]

[2][परन्तु जहां कोई आस्ति जिसकी बाबत धारा 35कघ के अधीन अनुज्ञात कटौती या कटौती के भाग को उक्त धारा की उपधारा (7ख) के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की आय समझा जाता है वहां निर्धारिती की आस्ति की वास्तविक लागत, निर्धारिती की ऐसी वास्तविक लागत होगी जैसी कि वह प्रवृत्त दर पर संगणित अवक्षयण की रकम के बराबर रकम तक घटाई गई हो जो अनुज्ञेय होती यदि आस्ति का उपयोग इसके अर्जन की तारीख से कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया होता ।]

(2) "संदत्त" से अभिप्रेत है वस्तुत: संदत्त अथवा लेखापालन की उस पद्धति के अनुसार उपगत जिसके आधार पर "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन लाभ या अभिलाभ संगणित किए जाते हैं;

(3) "संयंत्र" के अंतर्गत कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए पोत, यान, पुस्तकें, वैज्ञानिक साधित्र और शल्य उपस्कर भी हैं [3][किंतु जिसके अंतर्गत चाय झाड़ या पशुधन [4][या भवन या फर्नीचर और फिटिंग] नहीं है];

(4) [5][(i) "वैज्ञानिक अनुसंधान" से प्राकृतिक या अनुप्रयोगिक विज्ञान के, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन या मत्स्य उद्योग भी है, क्षेत्रों में ज्ञान के विस्तारण के लिए क्रियाकलाप अभिप्रेत है;]

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत व्यय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे सब व्यय भी है जो वैज्ञानिक अनुसंधान चलाने के या उसे चलाने की सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए उपगत किए जाते हैं किंतु उनके अंतर्गत ऐसे कोई व्यय नहीं हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान में या उससे उद्भूत होने वाले अधिकारों के अर्जन में उपगत किए गए हैं;

(iii) कारबार या कारबार के किसी वर्ग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति निर्देशों के अंतर्गत—

(क) कोई ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान भी है, जो यथास्थिति, उस कारबार या उस वर्ग के सब कारबारों का विस्तार करे या उसे सुकर बनाए;

(ख) चिकित्सीय प्रकृति का कोई ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान भी है जो यथास्थिति, उस कारबार या उस वर्ग के सब कारबारों में नियोजित कर्मकारों के कल्याण से विशेष संबंध रखता है;

(5) "सट्टेवाला संव्यवहार" से ऐसा अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसी वस्तु के, जिसके अंतर्गत स्टाक और शेयर भी हैं, क्रय या विक्रय की संविदा, कालिकत: या अंतत: वस्तु या स्क्रिप के वास्तविक परिदान या अंतरण के द्वारा तय किए जाने से अन्यथा तय की जाती है :

परन्तु इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को सट्टे वाला संव्यवहार नहीं समझा जाएगा—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अपने विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार के अनुक्रम में की गई कच्ची सामग्री या वाणिज्या की बाबत संविदा जो उसके द्वारा विनिर्मित माल के या उसके द्वारा विक्रीत वाणिज्य के वास्तविक परिदान के लिए उसकी संविदाओं की बाबत कीमतों के भारी उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि से बचने के लिए हो, या

(ख) स्टाकों और शेयरों की बाबत संविदा जो उनके किसी व्यवहारी या विनिधानकर्ता द्वारा कीमतों पर उतार-चढ़ाव से स्टाकों और शेयरों की अपनी धृतियों में होने वाली हानि से बचने के लिए की गई हो, या

(ग) वायदा बाजार या स्टाक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा दलाली या अंतरपणन की प्रकृति के किसी संव्यवहार के अनुक्रम में की गई संविदा, जो ऐसे सदस्य की हैसियत में उसके कारबार के मामूली अनुक्रम में होनी वाली हानि से बचने के लिए की गई हो [6][या]

[6][(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड [7][(कग)] में निर्दिष्ट व्युत्पनों में व्यापार के संबंध में किया गया कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त एक्सचेंज में किया जाता है;] [8][या]

[8][(ङ) वस्तु व्युत्पनों में व्यापार के संबंध में [9][किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया ऐसा कोई पात्र संव्यवहार, जो वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य हो ।]

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 14 द्वारा (1-4-2000 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][[2][**स्पष्टीकरण** [3]**[(1)]**—खंड [2][(घ)] के प्रयोजनों के लिए, पद,—

(i) "पात्र संव्यवहार" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है,—

(अ) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के उपबंधों और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या बैंकों अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में मान्यताप्राप्त पारस्परिक निधियों द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाता है; और

(आ) जिसका ऐसे स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टाम्प संविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा टिप्पण में इसमें निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के अधीन आबंटित विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हो, समर्थन किया जाता है;

(ii) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियमन, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाएं ।]

[4][**स्पष्टीकरण 2**—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "वस्तु व्युत्पन्न" पद का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में उसका है;

(ii) "पात्र संव्यवहार" पद से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है,—

(अ) जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) के उपबंधों और किसी मान्यताप्राप्त संगम के संबंध में उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या जारी किए गए निदेशों के अनुसार वस्तु व्युत्पन्न में व्यापार करने के लिए मान्यताप्राप्त संगम की उपविधियों, नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सदस्य या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाता है; और

(आ) जिसका ऐसे सदस्य या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टांप संविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा टिप्पण में उपखंड (अ) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन आबंटित विशेष ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित विशेष व्यापार संख्यांक और स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हों, समर्थन किया जाता है;

(iii) "मान्यताप्राप्त संगम" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त संगम अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता है, और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाता है;]

(6) "अवलिखित मूल्य" से अभिप्रेत है—

(क) पूर्ववर्ष में अर्जित आस्तियों की दशा में, निर्धारिती की वास्तविक लागत,

(ख) पूर्ववर्ष के पहले अर्जित आस्तियों की दशा में निर्धारिती की वह वास्तविक लागत जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन या उस समय जब कि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1886 (1886 का 8) प्रवृत्त था जारी किए गए किन्हीं कार्यपालिका आदेशों के अधीन उसको सभी वस्तुत: अनुज्ञात किए गए अवक्षयण को उसमें से घटाकर आए;

[5][परन्तु धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए भवनों, मशीनरी या संयंत्र की बाबत अवलिखित मूल्य अवधारित करने में "वस्तुत: अनुज्ञात किए गए अवक्षयण" के अंतर्गत ऐसा अवक्षयण जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (vi) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञात किया गया हो वहां नहीं आता है जहां ऐसा अवक्षयण उक्त खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए अवलिखित मूल्य को अवधारित करने में कटौती योग्य नहीं था ।]

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 9 द्वारा संख्यांकित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंत:स्थापित ।

[1][(ग) किसी आस्ति समूह की दशा में,—

(i) 1 अप्रैल, 1988 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत उस पूर्ववर्ष के आरम्भ पर आस्ति समूह के अन्तर्गत आने वाली सभी आस्तियों के अवलिखित मूल्य का योग जिसका,—

(अ) उस पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित उस समूह के अन्तर्गत आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत बढ़ाकर समायोजन किया गया है; और

(आ) उस समूह के अन्तर्गत आने वाली किसी आस्ति की बाबत जो उस पूर्ववर्ष के दौरान विक्रीत की जाती है या त्यक्त की जाती है या तोड़ दी जाती है या नष्ट की जाती है, संदेय धन तथा स्क्रैप मूल्य की रकम, यदि कोई हो, घटा कर समायोजन किया गया है तथापि ऐसी घटाई जाने वाली रकम इस प्रकार बढ़ाए गए अवलिखित मूल्य से अधिक नहीं होगी; और

[2][(इ) मंदी विक्रय की दशा में, उस समूह के अंतर्गत आने वाली आस्ति की वास्तविक लागत की गिरावट, जो निम्नलिखित को घटाकर आए,—

(क) 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत अधिनियम के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन उसे वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण की रकम; और

(ख) ऐसे अवक्षयण की रकम जो निर्धारिती को 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात होती मानो आस्ति सुसंगत आस्ति-समूह की अकेली आस्ति थी,

किंतु, ऐसी गिरावट की रकम अवलिखित मूल्य से अधिक न हो ।]

(ii) 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य जिसमें से उक्त पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के संबंध में उस आस्ति समूह की बाबत वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण घटा दिया जाएगा और जिसका मद (i) में निर्दिष्ट रूप से बढ़ाकर या घटाकर समायोजन किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण 1—जब कारबार या वृत्ति में उत्तराधिकार की दशा में धारा 170 की उपधारा (2) के अधीन उत्तराधिकारी पर निर्धारण किया जाता है तब [3][किसी आस्ति या आस्ति समूह] का अवलिखित मूल्य वह रकम होगी जिसे उसका अवलिखित मूल्य माना गया होता यदि निर्धारण उस व्यक्ति पर जिसका उत्तराधिकार मिला है प्रत्यक्षत: किया जाता ।

[4][**स्पष्टीकरण 2**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई आस्ति समूह—

(क) किसी नियंत्री कंपनी द्वारा उसकी समनुषंगी कंपनी को या किसी समनुषंगी कंपनी द्वारा उसकी नियंत्री कंपनी को अंतरित किया जाता है और धारा 47 के यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) की शर्तें पूरी कर दी जाती हैं; अथवा

(ख) समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कंपनी द्वारा किसी समामेलित कंपनी को अंतरित किया जाता है, और समामेलित कंपनी भारतीय कंपनी है,

वहां, खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, अंतरिती कम्पनी या समामेलित कंपनी की दशा में आस्ति समूह की वास्तविक लागत अंतरक कंपनी या समामेलक कंपनी की दशा में आस्ति समूह का ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के लिए अवलिखित मूल्य होगी जिसमें से उक्त पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के संबंध में वस्तुत: अनुज्ञात अवक्षयण की रकम घटा दी जाएगी ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2क**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई ऐसी आस्ति जो आस्ति समूह का भाग है, निर्विलीन कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को अंतरित की जाती है वहां खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, निर्विलीन कंपनी की आस्तियों के समूह का अवलिखित मूल्य ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के लिए निर्विलयन के अनुसरण में परिणामी कंपनी को अंतरित [5][आस्तियों के अवलिखित मूल्य] में से घटाया जाएगा ।

---

[1] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) "किसी आस्ति" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण 2 और 2क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण 2ख—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई ऐसी आस्ति जो आस्ति समूह का भाग है, निर्विलीन कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को अंतरित की जाती है, वहां खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी परिणामी कंपनी की दशा में आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य निर्विलयन से ठीक पूर्व निर्विलीन कंपनी की [1]*** [2][अंतरित आस्तियों का अवलिखित मूल्य] होगा ।

[3]* * * * *

[4][**स्पष्टीकरण 2ग**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई समूह आस्तियां किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित की जाती हैं और धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है, वहां खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, आस्ति समूह की वास्तविक लागत आस्ति समूह की वह अवलिखित लागत होगी, जो कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की तारीख को उक्त कंपनी की दशा में थी ।]

स्पष्टीकरण 3—धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अग्रनीत किसी अवक्षयण की बाबत किसी मोक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह "वस्तुत: अनुज्ञात किया गया" अवक्षयण है ।

[5][**स्पष्टीकरण 4**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संदेय धन" और "विक्रीत" पदों का वही अर्थ है जो धारा 41 की उपधारा (4) के नीचे स्पष्टीकरण में है ।]

[6][**स्पष्टीकरण 5**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई आस्ति जो आस्ति-समूह का भाग है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा किसी कंपनी को, निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन अंतरित की जाती है वहां ऐसी कंपनी की दशा में आस्ति-समूह का अवलिखित मूल्य ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व अंतरित आस्तियों का अवलिखित मूल्य होगा ।]

[7][**स्पष्टीकरण 6**—जहां कोई निर्धारिती विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने के लिए अपेक्षित नहीं था वहां,—

(क) किसी आस्ति की वास्तविक लागत को लेखा बहियों में ऐसी आस्ति के यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली रकम से समायोजित किया जाएगा;

(ख) ऐसी आस्ति पर अवक्षयण की कुल रकम से जो विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत निर्धारिती की लेखा बहियों में दी गई है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण समझा जाएगा; और

(ग) खंड (ख) के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण को आस्ति के ऐसे पुनमूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली अवक्षयण की रकम से समायोजितकिया जाएगा ।]

[8][**स्पष्टीकरण 7**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारिती की आय भागत: कृषि से और भागत: "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य कारबार से व्युत्पन्न है, वहां पूर्ववर्ष से पहले अर्जित आस्तियों के अवलिखित मूल्य की संगणना करने के लिए अवक्षयण की कुल रकम की ऐसे संगणना की जाएगी मानो संपूर्ण आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती के कारबार से व्युत्पन्न है और इस प्रकार संगणित अवक्षयण इस अधिनियम के अधीन वास्तविक रूप से अनुज्ञात किया गया अवक्षयण माना जाएगा ।]

[9][**43क. करेंसी की विनिमय की दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विशेष उपबंध**—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती ने अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर के किसी देश से किसी पूर्ववर्ष में कोई आस्ति अर्जित की है और ऐसी आस्ति के अर्जन के पश्चात् पूर्ववर्ष के दौरान विनिमय की दर में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप—

(क) उस आस्ति की संपूर्ण लागत या उसके किसी भाग के मद्दे; या

(ख) ऐसे संपूर्ण धनों या उसके किसी भाग का, ब्याज सहित, यदि कोई हो, प्रतिसंदाय करने के लिए, जो विनिर्दिष्टतया उस आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी विदेशी करेंसी में किसी व्यक्ति से उधार ली गई है,

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 20 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

संदाय करते समय भारतीय करेंसी में यथा अभिव्यक्त निर्धारिती का दायित्व बढ़ जाता है या घट जाता है (आस्ति के अर्जन के समय विद्यमान दायित्व के मुकाबले) वहां उतनी रकम जिस तक पूर्वोक्त दायित्व ऐसे पूर्ववर्ष में इस प्रकार बढ़ा या घटा है और जो निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को विचार में लिए बिना संदाय करते समय हिसाब में ली गई है, निम्नलिखित में, यथास्थिति जोड़ दी जाएगी या उसमें से काट ली जाएगी,—

(i) धारा 43 के खंड (1) में यथापरिभाषित आस्ति की वास्तविक लागत; या

(ii) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट पूंजीगत प्रकार के किसी व्यय की रकम; या

(iii) धारा 35क में निर्दिष्ट पूंजीगत प्रकार के किसी व्यय की रकम; या

(iv) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) में निर्दिष्ट पूंजीगत प्रकार के व्यय की रकम; या

(v) धारा 48 के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत (जो धारा 50 में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है),

और ऐसे जोड़ने या काटने के पश्चात् परिकलित रकम के बारे में यह माना जाएगा कि वह यथास्थिति, यथापूर्वोक्त उस आस्ति की वास्तविक लागत या, पूंजीगत प्रकार के व्यय की रकम या पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत है :

परन्तु जहां वास्तविक लागत या व्यय या अर्जन की लागत इस धारा जैसी कि यह वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) द्वारा इसके प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व थी, के अधीन जोड़ी गई है या उसमें कटौती की गई है वहां पूर्वोक्तानुसार दायित्व में कोई वृद्धि या कटौती के कारण संदाय करते समय वास्तविक लागत या व्यय या अर्जन की लागत में इस धारा के अधीन, यथास्थिति, जोड़ने या कटौती की जाने वाली रकम इस प्रकार समायोजित की जाएगी जिससे कि, वास्तविक लागत या व्यय का अर्जन की लागत में यथास्थिति, जोड़ी जाने वाली या उसमें से काटी जाने वाली कुल रकम संदाय करते समय हिसाब में ली जाने वाली पूर्वोक्त दायित्व को जोड़ने या कटौती करने वाली रकम के बराबर हो ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विनिमय दर" से भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित या मान्य विनिमय की दर अभिप्रेत है;

(ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वे ही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 में क्रमश: उनके हैं ।

स्पष्टीकरण 2—जहां पूर्वोक्त संपूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति निर्धारिती द्वारा नहीं किन्तु प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की जाती है वहां इस प्रकार पूरे किए गए दायित्व को इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—जहां निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी प्राधिकृत व्यौहारी के साथ कोई संविदा उसे विदेशी करेंसी में एक विनिर्दिष्ट राशि का प्रदाय नियत किसी भावी तारीख को या उसके पश्चात् ऐसी विनिमय की दर पर करने के लिए की है जो संविदा में विनिर्दिष्ट हो जिससे कि वह पूर्वोक्त संपूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति करने में समर्थ हो सके वहां इस धारा के अधीन, यथास्थिति, आस्ति की वास्तविक लागत या पूंजीगत प्रकार के व्यय की रकम या, पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत में जोड़ी जाने वाली या उसमें से काटी जाने वाली रकम, यदि कोई हो, संविदा में विनिर्दिष्ट राशि के इतने भाग की बाबत जितना पूर्वोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए उपलभ्य हो, उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी ।]

[1][**43ख. वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियां**—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कटौती जो—

[2][(क) किसी ऐसी राशि की बाबत, जो निर्धारिती द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में संदेय है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या]

(ख) किसी ऐसी राशि की बाबत, जो नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निमित्त अभिदाय के रूप में संदेय है; [3][या]

[4][(ग) किसी ऐसी राशि की बाबत, जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट है; [5][या]]

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (क) प्रतिस्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 15 द्वारा (1-4-1989 से) "या" शब्द अंत:स्थापित ।
[4] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 15 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) "या" शब्द अंत:स्थापित ।

[1][(घ) किसी ऐसी राशि की बाबत जो निर्धारिती द्वारा किसी लोक वित्तीय संस्था [2][या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम] से लिए गए किसी उधार या ऋण पर ऐसे ऋण या उधार को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, ब्याज के रूप में संदेय है, या]

[3][(ङ) किसी ऐसी राशि की बाबत जो निर्धारिती द्वारा किसी अनुसूचित बैंक [4][या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक] से किसी [5][ऋण या अग्रिम] पर [5][ऐसे ऋण या अग्रिम] को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, ब्याज के रूप में संदेय है; [6][या]

[6][(च) किसी ऐसी राशि की बाबत जो नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने [7][कर्मचारी के जमा खाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है, या]]

[8][(छ) निर्धारिती द्वारा भारतीय रेल का रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई राशि,]

इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है, इस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुत: संदत्त की जाती है, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में ही (उस पूर्ववर्ष का विचार किए बिना जिसमें निर्धारिती ने ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व, उसके द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया था), अनुज्ञात की जाएगी ।

[9][परन्तु इस धारा की कोई बात, [10]*** किसी ऐसी राशि के संबंध में लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें ऐसी राशि के संदाय करने का दायित्व पूर्वोक्त रूप में उपगत हुआ था, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए उसकी दशा में लागू निश्चित तारीख को या उसके पूर्व वास्तव में संदत्त की गई है और ऐसे संदाय का साक्ष्य ऐसी विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा दिया जाता है :

[10]* * * * *

स्पष्टीकरण [11]**[1]**—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट 41कग, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुत: संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।—

[12][**स्पष्टीकरण 2**—खंड (क) के जैसा वह सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था, प्रयोजनों के लिए, "किसी संदेय राशि" से अभिप्रेत है वह राशि जिसके लिए निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में दायित्व उपगत कर लिया था चाहे ऐसी राशि सुसंगत विधि के अधीन उस वर्ष में संदेय नहीं हो ।]

[11][**स्पष्टीकरण** [12]**[3]**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (ग) [1][या खंड (घ)] में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुत: संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।]

[13][**स्पष्टीकरण 3क**—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुत: संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।]

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 13 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 अंत:स्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 10 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[10] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।
[11] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 15 द्वारा (1-4-1989 से) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित और इसके पश्चात् स्पष्टीकरण 2 अंत:स्थापित ।
[12] 1989 के वित्त अधिनियम सं० 13 की धारा 9 द्वारा (1-4-1989 से) स्पष्टीकरण 2 और 3 को क्रमश: स्पष्टीकरण 3 और 4 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और स्पष्टीकरण 2 अन्त:स्थापित ।
[13] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण 3ख**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुत: संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।]

[2][**स्पष्टीकरण 3ग**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की, जो इस धारा के खंड (घ) के अधीन संदेय ब्याज है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसे ब्याज का वास्तविक रूप से संदाय किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट किसी ब्याज के बारे में, जिसका उधार या ऋण में संपरिवर्तन किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसका वास्तविक रूप से संदाय किया गया है ।]

[3][**स्पष्टीकरण 3घ**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की, जो इस धारा के खंड (ङ) के अधीन संदेय ब्याज है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसे ब्याज का वास्तविक रूप से संदाय किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट किसी ब्याज के बारे में, जिसका उधार या अग्रिम में संपरिवर्तन किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसका वास्तविक रूप से संदाय किया गया है ।]

[4][**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;

[5][(कक) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (iii) के स्पष्टीकरण में उसका है;]

(ख) "राज्य वित्तीय निगम" से अभिप्रेत है राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 3 या धारा 3क के अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित कोई संस्था;

(ग) "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कंपनी जो औद्योगिक परियोजनाओं के दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में लगी है और [6][धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ।]

[7][(घ) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ।]

[8][**43ग. कुछ आस्तियों के अर्जन की लागत की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) जहां कोई आस्ति (जो धारा 45 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नहीं है जो किसी समामेलन स्कीम के अधीन समामेलित कंपनी की संपत्ति हो जाती है, उस समामेलित कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के व्यापार स्टाक के रूप में 29 फरवरी, 1988 के पश्चात् उसके द्वारा विक्रय की जाती है, वहां समामेलित कंपनी को उक्त आस्ति के अर्जन की लागत ऐसी आस्ति के विक्रय के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में, समामेलक कपंनी को उक्त आस्ति के अर्जन की लागत होगी, जिसमें उसमें किए गए सुधार की लागत, यदि कोई हो, तथा समामेलक कंपनी द्वारा ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत व्यय यदि कोई हो, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) जहां कोई आस्ति जो धारा 45 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्ति नहीं है किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर या दान या बिल या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के व्यापार स्टाक के रूप में 29 फरवरी, 1988 के पश्चात् उसके द्वारा विक्रय की जाती है वहां निर्धारिती को उक्त आस्ति के अर्जन की लागत, अंतरक या दाता को उक्त आस्ति के अर्जन की लागत ऐसी आस्ति के विक्रय से लाभ और अभिलाभ की संगणना करनी होगी जिसमें उसमें किए गए सुधार की लागत, यदि कोई हो, तथा ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत व्यय (जो विभाजन, दान के प्रतिग्रहण, विल की बाबत प्रोबेट प्राप्त करने या न्यास के सृजन के रूप में है) यदि कोई हो, बढ़ा दिया जाएगा और इसमें यथास्थिति, अंतरक या दाता द्वारा उपगत दान-कर का संदाय, यदि कोई हो सम्मिलित होगा ।]

[9][**43गक. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध**—(1) जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसी किसी आस्ति का (किसी पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हो, अंतरण करने के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भवमान ऐसा प्रतिफल, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भवमान प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा (1-4-1997 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 27 द्वारा 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित उपखंड (कक) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2017 के अधिनयिम सं० 7 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2013 के अधिनियम स० 17 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) धारा 50ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य के अवधारण के संबंध में लागू होंगे ।

(3) जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य को, करार की तारीख को ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धार्य मूल्य के रूप में लिया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध केवल ऐसे किसी मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग से प्राप्त हुआ है ।]

[1][**43घ. लोक वित्तीय संस्थाओं, पब्लिक कंपनियों, आदि की आय की दशा में विशेष उपबंध**—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) किसी लोक वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक या [2][किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक या] राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम की दशा में, डूबंत या शंकास्पद ऋणों के ऐसे प्रवर्गों के संबंध में, जो ऐसे ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विहित किए जाएं, ब्याज के रूप में आय;

(ख) किसी पब्लिक कंपनी की दशा में, डूबंत या शंकास्पद ऋणों के ऐसे प्रवर्गों के संबंध में जो ऐसे ऋणों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विहित किए जाएं, ब्याज के रूप में आय,

यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें वह लोक वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक या [2][किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक या] राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम या पब्लिक कंपनी द्वारा उस वर्ष के अपने लाभ और हानि लेखा में जमा की जाती है और जिसमें वह उस संस्था या बैंक या निगम या कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त की जाती है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राष्ट्रीय आवास बैंक" से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,—

(i) जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के अर्थ में पब्लिक कंपनी है;

(ii) जिसका मुख्य उद्देश्य, भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार चलाना है; और

(iii) जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30 और धारा 31 के अधीन दिए गए आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैं.) निदेश, 1989 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;

(घ) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है;

(ङ) "राज्य वित्तीय निगम" से अभिप्रेत है राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 3 या धारा 3क के अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम या धारा 46 के अधीन अधिसूचित कोई संस्था;

(च) "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कंपनी जो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगी हुई है ।]

[2][(छ) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ।]

44. बीमा का कारबार—इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों में, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह संपत्ति से आय", "पूंजी अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने से संबंधित है, अथवा धारा 199 में या [3][धारा 28 से धारा 43ख तक] में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी बीमा कारबार के, जिसके अन्तर्गत ऐसा कारबार भी है जो किसी पारस्परिक बीमा कंपनी द्वारा या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लाभों और अभिलाभों की संगणना प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार की जाएगी ।

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 28 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 28 से धारा 43क" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**44क. व्यापारिक वृत्तिक या समरूप संगम की दशा में कटौती के लिए विशेष उपबंध**—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यापारिक, वृत्तिक या समरूप संगम द्वारा [2][जो धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था से भिन्न है] अपने सदस्यों से किसी पूर्ववर्ष के दौरान चाहे चन्दे के रूप में या अन्यथा प्राप्त रकम (जो ऐसा पारिश्रमिक नहीं है जिसे सदस्यों के लिए कोई भी विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए जाने के लिए प्राप्त किया गया हो) उस व्यय से (जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन आय की संगणना करने में कटौती योग्य व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का नहीं है) कम पड़ जाती है जो ऐसे संगम द्वारा उस पूर्ववर्ष के दौरान अपने सदस्यों के सामान्य हितों के संरक्षण के या उन्हें अग्रसर करने के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया है वहां इस प्रकार कम पड़ी रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऊनता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उस संगम की आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी और यदि उस शीर्ष के अधीन निर्धारणीय कोई आय नहीं है या अनुज्ञेय ऊनता ऐसी आय से अधिक है तो, यथास्थिति, सम्पूर्ण ऊनता या उसके अतिशेष को किसी अन्य शीर्ष के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उस संगम की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए संगम की आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी ऐसे अन्य उपबंध को पहले प्रभावी किया जाएगा, जिसके अधीन किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष की बाबत किसी मोक या हानि को अग्रनीत किया जाता है और सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय के प्रति मुजरा किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली ऊनता की रकम इस धारा के अधीन कोई मोक देने के पूर्व यथासंगणित संगम की कुल आय के आधे में, किसी भी दशा से, अधिक नहीं होगी।

(4) यह धारा केवल उस व्यापारिक, वृत्तिक या समरूप संगम को लागू होती है जिसकी आय या उसका कोई भाग उससे संबद्ध किसी संगम या संस्था को अनुदानों के रूप में वितरित करने के सिवाय उसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है।

[3][**44कक. वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा जाना**—(1) विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुकला वृत्ति या लेखा क्रम या तकनीकी सलाह या भीतरी सज्जा की वृत्ति या बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजें रखेगा और बनाए रखेगा जो [@][निर्धारण अधिकारी] को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ बना सकें।

(2) कारबार या वृत्ति [जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट वृत्ति न हो] चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

(i) यदि पूर्ववर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में कारबार या वृत्ति से उसकी आय [4][एक लाख बीस हजार] रुपए से अधिक हो या कारबार या वृत्ति में उसके यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां [4][दस लाख] रुपए से अधिक हों तो, या

(ii) यदि कारबार या वृत्ति किसी पूर्ववर्ष में नए सिरे से स्थापित की गई हों और यदि उस पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कारबार या वृत्ति से आय [4][एक लाख बीस हजार] रुपए से अधिक न होने की सम्भाव्यता हो या कारोबार वृत्ति में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां [4][दस लाख] रुपए से अधिक [5][होने की संभाव्यता हो तो; या

(iii) जहां कारबार से लाभ और अभिलाभ, यथास्थिति, [6][धारा 44कङ] [7][या धारा 44खख या धारा 44खखख] के अधीन निर्धारिती के लाभ और अभिलाभ समझे जाते हैं और निर्धारिती ने दावा किया है कि उसकी आय उन लाभों और अभिलाभों से, जो ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उसके कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं, [6][निम्नतर हैं, या]

[8][(iv) जहां धारा 44कघ की उपधारा (4) के उपबंध उसके मामले में लागू होते हैं और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है,]

ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा जो [@][निर्धारण अधिकारी] को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ बना सकें :

[9][परन्तु किसी व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, की दशा में, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है, की दशा में, खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों।]

---

[1] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 11 द्वारा (1-4-1964 से) अन्त:स्थापित।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्त:स्थापित।

[3] 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 11 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित।

[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित।

(3) बोर्ड किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी और बनाई रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को (जिनके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, तालिकाएं भी है), उनमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और उस प्ररूप को जिसमें और उस रीति को जिससे और उस स्थान को जहां वे रखी और बनाए रखी जाएंगी नियमों द्वारा विहित कर सकता है ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड नियमों द्वारा, वह कालावधि विहित कर सकता है जिसके लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी और बनाई रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज प्रतिधारित की जाएंगी ।

[1][**44कख. वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा**—प्रत्येक व्यक्ति जो,—

(क) कोई कारबार चलाता है, यदि ऐसे कारबार में उसके, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां [2]*** किसी पूर्ववर्ष में [3][एक करोड़ रुपए] से अधिक है तो; या

(ख) कोई वृत्ति चलाता है, यदि ऐसी वृत्ति से होने वाली उसकी सकल [2]*** या पूर्ववर्षों में [4][पचास लाख रुपए] से अधिक है तो; या

(ग) कोई कारबार चलाता है, यदि ऐसे कारबार से लाभ और अभिलाभ, यथास्थिति, [5][धारा 44कङ] [6][या धारा 44खख या धारा 44खखख] के अधीन ऐसे व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाते हैं और उसने दावा किया है कि उसकी आय उन लाभों और अभिलाभों से, जो किसी पूर्ववर्ष में, यथास्थिति, उसके कारबार के लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं, [5][निम्नतर है, या]

[7][(घ) कोई [8][वृत्ति] करता है, यदि ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ [7][धारा 44कघक] ऐसे व्यक्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाते हैं और उसने दावा किया है कि ऐसी आय उन लाभों और अभिलाभों से उसके [8][वृत्ति] के लाभ और अभिलाभ समझे गए हैं, निम्नतर है, और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो ऐसे [8][पूर्ववर्ष; या] के दौरान आय-कर से प्रभार्य नहीं है ;]

[9][(ङ) कारबार करना यदि उसके मामले में धारा 44कघ की उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और उसकी आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है,]

वह अपने [10][उस पूर्ववर्ष] के लेखाओं को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व लेखापाल से लेखापरीक्षा कराएगा और [11][उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगा] जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों जो विहित की जाएं :

[12][परन्तु यह धारा उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो धारा 44कघ की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है और कारबार में उसकी, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं :]

[13][[14][परन्तु यह, और कि] धारा उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे धारा 44कग या धारा 44ख या धारा 44खख या धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1985 को और से या उस तारीख को और से जिसको सुसंगत धारा प्रवृत्त हुई हो, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, व्युत्पन्न होती है :

[14][परन्तु यह और भी कि] उस दशा में जहां ऐसे व्यक्ति ने किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अपने लेखाओं की [15]*** लेखापरीक्षा कराने की अपेक्षा है वहां, यदि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ऐसी विधि के अधीन ऐसे कारबार या वृत्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा करा लेता है और [11][उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट तथा इस धारा के अधीन विहित प्ररूप में [16][किसी लेखापाल द्वारा] एक और रिपोर्ट दे देता है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "लेखापाल" का वही अर्थ है जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है;

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 14 द्वारा (1-4-1989 से) "उस पूर्ववर्ष या पूर्ववर्षों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[14] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[15] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 13 द्वारा "किसी लेखापाल से" शब्दों का लोप किया गया ।
[16] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारिती के लेखाओं के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" से [2][धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख अभिप्रेत है]।

[3]* * * * *

[4][**44कघ. उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 43ग में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पात्र निर्धारिती की दशा में जो किसी पात्र कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्दे पूर्ववर्ष में निर्धारिती के, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत तक की राशि या पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि जिसका पात्र निर्धारिती द्वारा अर्जित किए जाने का दावा किया गया है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी :

[5][परन्तु यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की उस रकम की बाबत, जिसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व उस पूर्ववर्ष के संबंध में पाने वाले के खाते में देय किसी चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, वहां "आठ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "छह प्रतिशत" शब्द रखे गए हों।]

(2) धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती के बारे में, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसे उन धाराओं में पहले ही पूर्ण प्रभाव दे दिया गया है और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

[6]* * * * *

(3) किसी पात्र कारबार की किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया गया समझा जाएगा मानो पात्र निर्धारिती ने उसका दावा किया हो और सुसंगत निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती वास्तव में अनुज्ञात की गई हो।

[7][(4) जहां कोई पात्र निर्धारिती, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ष के लिए लाभ की घोषणा करता है और वह ऐसे पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष के सुसंगत पांच निर्धारिण वर्षों में से किसी के लिए लाभ की घोषणा करता है, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है वह ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती पांच निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के फायदों का दावा करने का पात्र नहीं होगा जिसमें लाभ की घोषणा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी पात्र निर्धारिती से, जिसे उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, धारा 44कक की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना अपेक्षित होगा और वह उनकी लेखा परीक्षा कराएगा तथा धारा 44कख की अपेक्षानुसार ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।]

[8][(6) इस धारा के उपबंध, पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) धारा 44कक की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट वृत्ति करने वाले किसी व्यक्ति;

(ii) कमीशन या दलाली की प्रकृति की आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति; या

(iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति,

को लागू नहीं होंगे।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पात्र निर्धारिती" से,—

(i) कोई व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या भागीदारी फर्म अभिप्रेत है जो निवासी है किंतु सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है; और

(ii) जिसने सुसंगत निर्धारण वर्ष में धारा 10क, धारा 10कक, धारा 10ख, धारा 10खक में से किसी के अधीन कटौती या "ग—कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन कटौती का दावा नहीं किया है;

(ख) "पात्र कारबार" से,—

(i) धारा 44कङ में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय कोई कारबार अभिप्रेत है; और

(ii) जिसका कुल आवर्त या पूर्ववर्ष में सकल प्राप्तियां [7][दो करोड़ रुपए] की रकम से अधिक नहीं है।]

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 26 द्वारा लोप किया गया।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
[8] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित।

[1][**44कघक. लाभ और अभिलाभों का उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत में कोई निवासी है और धारा 44कक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में लगा हुआ है और जिसकी सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, यथास्थिति, ऐसी वृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ष में निर्धारिती की सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई पूर्वोक्त दावाकृत राशि से उच्चतर कोई राशि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन ऐसी वृत्ति के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती को पहले ही पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया गया समझा जाएगा मानो निर्धारिती ने दावा किया था और वस्तुत: सुसंगत प्रत्येक निर्धारण वर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में कटौती अनुज्ञात की गई थी।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती से जो दावा करता है कि वृत्ति से उसके लाभ और अभिलाभ, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लाभ और अभिलाभों से निम्नतर हैं और जिसकी कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, यह अपेक्षित होगा कि वह लेखा बहियां और दस्तावेज रखे और बनाए रखे जैसा कि धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है तथा उन्हें संपरीक्षित कराए और धारा 44कख के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी लेखा परीक्षा की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।]

44कङ. माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध—(1) धारा 28 से धारा 43ग में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, [2][जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस से अधिक माल वाहन नहीं हैं] और जो ऐसे माल वाहनों को चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार में लगा हुआ है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार की आय, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित, पूर्ववर्ष में उसके स्वामित्व में के सभी माल वाहनों से, लाभों और अभिलाभों का योग समझी जाएगी।

[3][(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ, ऐसे प्रत्येक मास या मास के ऐसे भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, सात हजार पांच सौ रुपए के बराबर रकम होगी या वह रकम होगी जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे माल से वस्तुत: अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो।]

(3) धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती के बारे में, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसे पहले ही पूर्ण प्रभाव दे दिया गया है और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

[4][परन्तु जहां निर्धारिती कोई फर्म है वहां उसके भागीदारों को संदत्त वेतन और ब्याज की, धारा 40 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संगणित आय में से कटौती की जाएगी।]

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य ऐसे परिकलित किया गया समझा जाएगा मानो सुसंगत निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए अवक्षयण की बाबत निर्धारिती ने कटौती के लिए दावा किया हो और उसे वह वास्तव में अनुज्ञात की गई हो।

(5) धारा 44कक और धारा 44कख के उपबंध वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार से संबंधित हैं, और उन धाराओं के अधीन धनीय सीमाओं की संगणना करने में, उक्त कारबार से, यथास्थिति, सकल प्राप्तियों या आय को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

[5][(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती दावा करता है और यह साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करता है कि 1 अप्रैल, 1997 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान पूर्वोक्त कारबार के लाभ और अभिलाभ, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से निम्नतर हैं और तब निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन किए गए निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा।]

[6][(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह ऐसी लेखा बहियां और ऐसे अन्य दस्तावेज रखता है और बनाए रखता है जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित हैं और धारा 44कख के अधीन अपेक्षित रूप में अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 11 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित।

[1][(क) "माल वाहन" पद का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में उसका है;]

(ख) किसी ऐसे निर्धारिती के बारे में, जिसके कब्जे में कोई माल वाहन है, चाहे वह अवक्रय पर लिया हो या किस्तों पर और जिसके लिए संदेय संपूर्ण रकम या उसका भाग अभी भी देय है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे माल वाहन का स्वामी है ।]

[2][**44कच. फुटकर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 43ग में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो किसी माल या वाणिज्या के फुटकर कारबार में लगा हुआ है, यथास्थिति, ऐसे कारबार मद्धे पूर्ववर्ष में कुल आवर्त के पांच प्रतिशत के बराबर राशि या निर्धारिती द्वारा आय की अपनी विवरणी में घोषित पूर्वोक्त राशि से उच्चतर राशि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे निर्धारिती के संबंध में लागू नहीं होगी जिसका कुल आवर्त पूर्ववर्ष में चालीस लाख रुपए की रकम से अधिक है ।

(2) धारा 30 से धारा 38 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय किसी कटौती के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे पहले ही पूर्ण प्रभाव दे दिया गया है और उन धाराओं के अधीन कोई और कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती कोई फर्म है वहां उनके भागीदारों को संदत्त वेतन और ब्याज की, धारा 40 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संगणित आय में से कटौती की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य ऐसे परिकलित किया गया समझा जाएगा मानो सुसंगत निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए अवक्षयण की बाबत निर्धारिती ने कटौती के लिए दावा किया हो और उसे वह वास्तव में अनुज्ञात की गई हो ।

(4) धारा 44कक और धारा 44कख के उपबंध वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार से संबंधित हैं और उन धाराओं के अधीन धनीय सीमाओं की संगणना करने में उक्त कारबार के, यथास्थिति, कुल आवर्त या आय को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।]

[3][(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह ऐसी लेखाबहियां और ऐसे अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित हैं और धारा 44कख के अधीन अपेक्षित रूप में अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है ।]

[4][(6) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी ।]

[5][**44ख. अनिवासी की दशा में पोत परिवहन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 43क में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है, और जो पोत के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के साढ़े सात प्रतिशत के बराबर राशि ऐसे कारबार से "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भारत में किसी पत्तन से पोत में लिए गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल के वहन की बाबत (भारत में या भारत के बाहर) संदत्त या संदेय रकम; और

(ii) निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी पत्तन से पोत में लिए गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल के वहन की बाबत भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।]

[6][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम में डेमरेज प्रभारों या उठाई-धराई प्रभारों या उसी प्रकार की किसी अन्य रकम के रूप में, यथास्थिति, संदत्त या संदेय या प्राप्त की गई समझी गई रकम सम्मिलित होगी ।]

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 15 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।

[1][**44खख. खनिज तेलों की खोज, आदि के कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 41 तथा धारा 43 और धारा 43क में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, [2][ऐसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है और जो] खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के दस प्रतिशत के बराबर राशि ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी :

परन्तु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जहां धारा 42 या धारा 44घ या [3][धारा 44घक या] धारा 115क या धारा 293क के उपबंध, उन धाराओं में निर्दिष्ट लाभ और अभिलाभ या किसी अन्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भारत में खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने की बाबत (भारत में या भारत के बाहर, संदत्त या संदेय रकम; और

(ख) निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए या उक्त कार्य करने के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने की बाबत भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।

[4][(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा, यदि वह ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज रखता है और उन्हें बनाए रखता है, जो धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित हैं और धारा 44कख के अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संयंत्र" के अन्तर्गत उक्त कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए पोत, वायुयान, यान, ड्रिल यूनिट, वैज्ञानिक साधित्र और उपस्कर है;

(ii) "खनिज तेल" के अन्तर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ।]

[5][**44खखक. अनिवासी की दशा में वायुयान के प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 28 से धारा 43क में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है और जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के पांच प्रतिशत के बराबर राशि ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भारत में किसी स्थान से यात्री, पशुधन, डाक या माल के वहन की बाबत (भारत में या भारत के बाहर) संदत्त या संदेय रकम; और

(ख) निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान से यात्री, पशुधन, डाक या माल के वहन की बाबत भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।]

[6][**44खखख. कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार, आदि में लगी हुई विदेशी कम्पनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—[7][(1)] धारा 28 से धारा 44कक में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती का दशा में, जो विदेशी कंपनी है और जो ऐसी टर्न-की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है [8]*** सिविल सन्निर्माण कारबार अथवा संयंत्र या मशीनरी के निर्माण या उसके परीक्षण या चालू करने के कारबार में लगा हुआ है वहां उक्त निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे सिविल सन्निर्माण, निर्माण, परीक्षण या चालू करने के कारबार की बाबत (भारत में या भारत के बाहर) संदत्त या संदेय रकम के दस प्रतिशत की बराबर राशि, ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।]

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1983 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 26 की धारा 16 द्वारा (1-4-1983 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 12 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 10 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 26 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 26 द्वारा लोप किया गया ।

[1][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई निर्धारिती, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट लाभों और अभिलाभों से कम लाभों और अभिलाभों का दावा कर सकेगा यदि वह धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज रखता है या उन्हें बनाए रखता है और अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराता है तथा धारा 44कख के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और तदुपरांत निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय या उसको प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा ।]

[2][**44ग. अनिवासियों की दशा में मुख्यालय व्यय की कटौती**—धारा 28 से धारा 43क तक में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो अनिवासी है "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में, मुख्यालय व्यय की प्रकृति के इतने व्यय की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा जो इसके अधीन यथा संगणित रकम से अधिक है, अर्थात् :—

(क) समायोजित कुल आय के पांच प्रतिशत के बराबर रकम; या

[3]* * * * *

(ग) निर्धारिती द्वारा उपगत मुख्यालय व्यय की प्रकृति के व्यय की इतनी रकम जो भारत से निर्धारिती के कारबार या वृत्ति से हुई मानी जा सकती है,

इनमें से जो सबसे कम हो :

परन्तु उस दशा में जहां निर्धारिती की समायोजित कुल आय हानि है वहां खण्ड (क) के अधीन रकम की संगणना निर्धारिती की औसत समायोजित कुल आय के पांच प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(i) "समायोजित कुल आय" से अभिप्रेत है इस धारा या धारा 32 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मोक या धारा 32क या धारा 33 या 36 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या [4][धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3)] या धारा 74क की उपधारा (3) के अधीन अग्रनीत हानि या अध्याय 6क के अधीन कटौतियों को प्रभाव दिए बिना उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय;

(ii) "औसत समायोजित कुल आय" से अभिप्रेत है—

(क) उस दशा में जहां निर्धारिती की कुल आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक के लिए निर्धारण है वहां पूर्वोक्त तीन निर्धारण वर्षों में सुसंगत पूर्ववर्ष की बाबत समायोजित कुल आय की संकलित रकम का एक तिहाई भाग;

(ख) उस दशा में जहां निर्धारिती की कुल आय पूर्वोक्त तीन निर्धारण वर्षों में से केवल दो के लिए निर्धारणीय है वहां पूर्वोक्त दो निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों की बाबत समायोजित कुल आय की संकलित रकम का आधा भाग;

(ग) उस दशा में जहां निर्धारिती की कुल आय पूर्वोक्त तीन निर्धारण वर्षों में से केवल एक के लिए निर्धारणीय है वहां निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की बाबत समायोजित कुल आय की रकम;

[5]* * * * *

(iv) "मुख्यालय व्यय" से निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर उपगत कार्यपालक और सामान्य प्रशासन व्यय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की बाबत उपगत व्यय भी है, अर्थात् :—

(क) कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भारत के बाहर किसी परिसर का किराया, रेट, कर, मरम्मत या बीमा;

(ख) भारत के बाहर किसी कार्यालय में नियोजित या उसके कार्यकलापों का प्रबंध करने वाले किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को संदत्त या अनुज्ञात वेतन, मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, उपदान, परिलब्धि या वेतन के बदले में या वेतन के अतिरिक्त लाभ;

(ग) भारत के बाहर किसी कार्यालय में नियोजित या उसके कार्यकलापों का प्रबंध करने वाले, किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा यात्रा; और

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 10 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 11 द्वारा (1-4-1993 से) खण्ड (ख) का लोप किया गया ।

[4] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) "धारा 74 की उपधारा (1)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 11 द्वारा (1-4-1993 से) स्पष्टीकरण के खंड (iii) का लोप किया गया ।

(घ) कार्यपालक और सामान्य प्रशासन से संबंधित ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

[1][**44घ. विदेशी कंपनियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—धारा 28 से धारा 44ग तक में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो विदेशी कंपनी है,—

(क) 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व [2][सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त] स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की संगणना करने में उक्त धाराओं के अधीन अनुज्ञेय कटौतियां कुल मिलाकर ऐसे स्वामिस्व या फीस की सकल रकम के, जिसमें से ऐसे स्वामिस्व की सकल रकम का इतना भाग कम कर दिया गया है जो किसी पेटेन्ट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या समरूप संपत्ति के बारे में किसी डाटा, दस्तावेजकरण, रेखांकन या विनिर्देश के भारत के बाहर अन्तरण के लिए या उनके संबंध में भारत के बाहर कोई जानकारी देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल के रूप में है, बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् [2][किन्तु 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व] [3][सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त] स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की संगणना करने में किसी व्यय या मोक की बाबत उक्त धाराओं में से किसी के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

[4]* * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो उसका [5][धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के स्पष्टीकरण 2] में है;

(ख) "विदेशी कंपनी" का वही अर्थ है जो उसका धारा 80ख में है;

(ग) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो उसका [6][धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के स्पष्टीकरण (2)] में है;

(घ) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् [7][सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त] स्वामिस्व 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त किया गया तभी समझा जाएगा जब ऐसा करार धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया समझा जाए ।]

[8][**44घक. अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) 31 मार्च, 2003 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा किए गए करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय की, जहां ऐसा अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी, भारत में, वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारबार करती है या वहां स्थित वृत्ति के किसी निश्चित स्थान से वृत्तिक सेवाएं प्रदान करती है और अधिकार, संपत्ति का संविदा, जिसके संबंध में स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस संदत्त की जाती है, यथास्थिति, ऐसे स्थायी स्थापन या वृत्ति के निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से जुड़े हुए हैं, संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की जाएगी :

परंतु कोई कटौती, —

(i) ऐसे किसी व्यय या मोक की बाबत, जो भारत में ऐसे स्थायी स्थापन के कारबार या वृत्ति के निश्चित स्थान के लिए पूर्णत: या अनन्यत: उपगत नहीं हुआ है; या

(ii) ऐसी रकमों, यदि कोई हों, की बाबत, जो स्थायी स्थापन द्वारा अपने मुख्यालय या अपने अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को संदत्त (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति से भिन्न मद्धे) की गई हैं,

अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 10 द्वारा (1-6-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 19 द्वारा (1-6-1983 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 17 द्वारा खंड (ग) और खंड (घ) का (1-4-1995 से) लोप किया गया ।
[5] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा (1-6-1977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।
[6] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा (1-4-1977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][परंतु यह और कि धारा 44खख के उपबंध इस धारा में निर्दिष्ट आय की बाबत लागू नहीं होंगे ।]

(2) प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगा और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ग) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ है जो धारा 92च के खंड (iiiक) में है ।]

[2][**44घख. सहकारी बैंकों के कारबार के पुनर्गठन की दशा में कटौतियों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—(1) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन कटौती, ऐसे मामले में जहां किसी सहकारी बैंक के कारबार का पुनर्गठन वित्तीय वर्ष के दौरान हुआ है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी—

$$\text{क} \times \frac{\text{ख}}{\text{ग}}$$

जहां क = पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम मानो कारबार का पुनर्गठन हुआ ही न हो;

ख = वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ होने वाली और कारबार के पुनर्गठन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; और

ग = उस वित्तीय वर्ष में कुल दिनों की संख्या, जिसमें कारबार का पुनर्गठन हुआ है ।

(3) धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के अधीन उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जाएगी—

$$\text{क} \times \frac{\text{ख}}{\text{ग}}$$

जहां क = पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को अनुज्ञेय कटौती की रकम मानो कारबार का पुनर्गठन हुआ ही न हो;

ख = कारबार पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली अवधि में सम्मिलित दिनों की संख्या; और

ग = उस वित्तीय वर्ष में कुल दिनों की संख्या, जिसमें कारबार की पुनर्गठन हुआ है ।

(4) धारा 35घ, धारा 35घघ या धारा 35घघक के उपबंध, उस दशा में, जहां उक्त धारा के अधीन कटौती के हकदार पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक का उपक्रम, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को कारबार के पुनर्गठन के कारण अंतरित किया जाता है, कारबार पुनर्गठन के वर्ष के पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों में उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक को लागू होते यदि कारबार का पुनर्गठन नहीं हुआ होता ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समामेलित सहकारी बैंक" से—

(i) ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है, जिसके साथ एक या अधिक समामेलक सहकारी बैंक विलय करते हैं;

(ii) दो या अधिक समामेलक सहकारी बैंकों के विलय के परिणामस्वरूप बना कोई सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "समामेलक सहकारी बैंक" से—

(i) ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है, जो किसी अन्य सहकारी बैंक के साथ विलय करता है;

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 15 द्वारा (1-4-2008 से) अंत:स्थापित ।

(ii) एक नया सहकारी बैंक बनाने के लिए विलय करने वाला प्रत्येक सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(ग) "समामेलन" से किसी समामेलक सहकारी बैंक या बैंकों का किसी समामेलित सहकारी बैंक के साथ, ऐसी रीति में विलय अभिप्रेत है, जिससे कि—

(i) समामेलक सहकारी बैंक या बैंकों की सभी आस्तियां और दायित्व, विलय से ठीक पहले (समामेलित सहकारी बैंक में, परिसमापन पर विक्रय या वितरण द्वारा अंतरित आस्तियों से भिन्न) समामेलित सहकारी बैंक की आस्तियां और दायित्व बन गए हैं;

(ii) समामेलक सहकारी बैंक में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार धारण करने वाले सदस्य समामेलित सहकारी बैंक के सदस्य बन गए हैं; और

(iii) समामेलक सहकारी बैंक में मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (विलय से ठीक पूर्व समामेलित सहकारी बैंक या उसके नामनिर्देशिती या उसके समनुषंगी बैंक द्वारा धारित शेयरों से भिन्न) समामेलित सहकारी बैंक के शेयरधारक बन गए हैं;

(घ) "कारबार पुनर्गठन" से ऐसे कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है, जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन अंतर्वलित है;

(ङ) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गगi) में है;

(च) "पुनर्विलयन" से किसी पुनर्विलयित सहकारी बैंक द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का किसी अन्य पारिणामिक सहकारी बैंक को ऐसी रीति में अंतरण अभिप्रेत है कि—

(i) अंतरण से ठीक पूर्व उपक्रम या उपक्रमों की सभी आस्तियां और दायित्व, पारिणामिक सहकारी बैंक की आस्तियां हो जाते हैं;

(ii) आस्तियां और दायित्व पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरण से ठीक पूर्व उसकी लेखा बहियों में दर्शित मूल्यों पर (उनके पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आस्तियों के मूल्य में परिवर्तन से भिन्न) पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित किए जाते हैं;

(iii) पारिणामिक सहकारी बैंक, अंतरण के प्रतिफलस्वरूप, पुनर्विलयित सहकारी बैंक के सदस्यों को आनुपातिक आधार पर अपनी सदस्यता जारी करता है;

(iv) पुनर्विलयित सहकारी बैंक में मूल्य के आधार पर पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (अंतरण से ठीक पूर्व पारिणामिक बैंक या उसके नामनिर्देशिती या उसके समनुषंगी बैंक द्वारा पहले से धारित शेयरों से भिन्न) पारिणामिक सहकारी बैंक द्वारा पुनर्विलयित सहकारी बैंक या उसके किसी उपक्रम की आस्तियों के अर्जन के परिणामस्वरूप से अन्यथा पारिणामिक सहकारी बैंक के शेयरधारक बन जाते हैं;

(v) उपक्रम का अंतरण चालू समुत्थान के आधार पर होता है; और

(vi) अंतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की कि अंतरण वास्तविक कारबार के प्रयोजनों के लिए है, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार है; या

(छ) "पुनर्विलयित सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है, जिसका उपक्रम पुनर्विलयन के अनुसरण में, पारिणामिक बैंक को अंतरित किया जाता है;

(ज) "पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक" से, यथास्थिति, समामेलक सहकारी बैंक या पुनर्विलयित सहकारी बैंक अभिप्रेत है;

(झ) "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" से, यथास्थिति, समामेलित सहकारी बैंक या परिणामिक बैंक अभिप्रेत है—

(ञ) "पारिणामिक सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है—

(i) एक या अधिक ऐसे सहकारी बैंक, जिन्हें पुनर्विलयित सहकारी बैंक का उपक्रम पुनर्विलयन में अंतरित किया जाता है; या

(ii) पुनर्विलयन के परिणामस्वरूप बना कोई सहकारी बैंक ।]

ङ—पूंजी अभिलाभ

45. पूंजी अभिलाभ—[1][(1)] किसी पूंजी आस्ति के पूर्ववर्ष में किए गए अन्तरण से उद्‌भूत लाभ या पूंजी अभिलाभ/अभिलाभ [2][धाराएं [3]***, 54, [4][54ख, [5]***, [6][54घ] [7][54ङ, [8][54ङक, 54ङख,] 54च] [9][54छ और 54ज] में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, "पूंजी लाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होंगे और उस पूर्ववर्ष की आय समझे जाएंगे जिसमें अन्तरण हुआ ।

[10][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति,—

(i) बाढ़, बवंडर, तूफान, चक्रवात, भूकंप या अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल; या

(ii) बल्वा या सिविल उपद्रव; या

(iii) आकस्मिक आग या विस्फोट; या

(iv) किसी शत्रु द्वारा कार्रवाई या किसी शत्रु का मुकाबला करने के लिए की गई कार्रवाई (चाहे युद्ध की घोषणा पर या उसके बिना),

के परिणामस्वरूप किसी पूंजी आस्ति को हुए नुकसान या उसके विनाश के संबंध में किसी बीमाकर्ता से बीमा के अधीन कोई धन या अन्य आस्तियां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय प्राप्त करता है वहां ऐसे धन या अन्य आस्तियों की प्राप्ति से होने वाले कोई लाभ या अभिलाभ "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होंगे और वह उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें ऐसा धन या अन्य आस्ति प्राप्त हुई थी, उस व्यक्ति की आय समझी जाएगी और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्राप्ति की तारीख को किसी धन का मूल्य या अन्य आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, ऐसी पूंजी आस्तियों के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्‌भूत हुए प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बीमाकर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में उसका है ।]

[11][(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, स्वामी द्वारा किसी पूंजी आस्ति के उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी कारबार के व्यापार स्टाक में से परिवर्तन के रूप में अन्तरण से या उसके द्वारा उस रूप में उसके माने जाने से उद्‌भूत लाभ और अभिलाभ ऐसे पूर्ववर्ष की उसकी आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे जिसमें ऐसे व्यापार स्टाक का उसके द्वारा विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए ऐसे संपरिवर्तन या माने जाने की तारीख को आस्ति का उचित बाजार मूल्य पूंजी आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।]

[8][(2क) जहां किसी व्यक्ति का पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किन्हीं प्रतिभूतियों में फायदाप्रद हित रहा है, वहां प्रतिभूतियों की बाबत ऐसे फायदाप्रद हित के निक्षेपागार या सहभागी द्वारा किए गए अंतरण से उद्‌भूत कोई लाभ या अभिलाभ, ऐसे पूर्ववर्ष की फायदाग्राही स्वामी की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे जिसमें ऐसा अंतरण किया जाता है और वे उस निक्षेपागार की आय के रूप में नहीं माने जाएंगे जिसे निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1966 का 22) की धारा 10 की उपधारा (1) के आधार पर प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रीकृत स्वामी समझा जाता है, और—

(i) धारा 48; और

(ii) धारा 2 के खंड (42क) के परन्तुक,

के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं प्रतिभूतियों के अर्जन की लागत और धारण की अवधि, प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "फायदाग्राही स्वामी", "निक्षेपागार" और "प्रतिभूति" पदों के वही अर्थ हैं जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1966 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ङ) और खंड (ठ) में है ।]

---

[1] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 12 द्वारा (1-4-1964 से) धारा 45 को धारा 45 (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[2] 1973 के अधिनियम सं० 21 की धारा 6 द्वारा (1-4-1974 से) "धारा 53, 54, 54ख और 54ग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 22 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[4] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा (1-4-1978 से) "54ख और 54घ" के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

[5] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 26 द्वारा (1-4-1976 से) "54ग" का लोप किया गया ।

[6] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 32 द्वारा (1-4-1983 से) "54घ और 54ङ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

[9] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

[11] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 13 द्वारा (1-4-1966 से) उपधारा (2) का लोप किया गया था परन्तु 1984 की अधिनियम सं० 67 की धारा 12 द्वारा (1-4-1985 से) पुन: अंत:स्थापित ।

[1][(3) किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय को (जो कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) जिसमें वह भागीदार या सदस्य है या हो जाता है, पूंजी अभिदाय करके या अन्यथा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ ऐसे पूर्ववर्ष की उसकी आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे, जिसमें ऐसा अंतरण किया जाता है और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसी फर्म, संगम या निकाय की लेखा बहियों में पूंजी आस्ति के मूल्य के रूप में अभिलिखित रकम, पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझी जाएगी ।

(4) किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम या व्यष्टियों के निकाय के (जो कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) विघटन पर पूंजी आस्तियों के वितरण के रूप में या अन्यथा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ उस फर्म, संगम या निकाय की ऐसी पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे जिसमें उक्त अंतरण किया जाता है और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण की तारीख को आस्ति का उचित बाजार मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी अभिलाभ किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण है, या ऐसे किसी अंतरण से उद्भूत होता है जिसका प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था और ऐसे अंतरण के लिए प्रतिकर या प्रतिफल में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा वृद्धि या पुन:वृद्धि की जाती है वहां पूंजी के संबंध में कार्रवाई निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यथास्थिति, प्रथम बार में अधिनिर्णीत प्रतिकर अथवा केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम बार में अवधारित या अनुमोदित प्रतिफल के प्रति निर्देश से संगणित पूंजी अभिलाभ [2][उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा प्रतिकर या उसका भाग अथवा ऐसा प्रतिफल या उसका भाग, प्रथम बार प्राप्त किया गया है,] "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय के रूप में प्रभार्य होगा; और

(ख) जितनी रकम से प्रतिकर या प्रतिफल में उस न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा वृद्धि या पुन:वृद्धि की जाती है, वह रकम उस पूर्ववर्ष जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती को प्राप्त होती है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी :

[3][परंतु किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की किसी रकम को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ;]

[4][(ग) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल अथवा खंड (ख) में वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर संगणित किया जाता है और तत्पश्चात् ऐसे प्रतिकर या प्रतिफल में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसकी कटौती कर दी जाती है, वहां उस वर्ष के इस प्रकार निर्धारिती पूंजी अभिलाभ को ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कटौती किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को हिसाब में लेकर पुन:संगणना की जाएगी जो प्रतिफल का पूरा मूल्य होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम के संबंध में अर्जन की लागत और सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी;

(ii) इस उपधारा के उपबंध उस दशा में भी लागू होंगे जहां अंतरण 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व किया गया है;

(iii) जहां उस व्यक्ति की जिसने अंतरण किया था, मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से, वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम ऐसे अन्य व्यक्ति के, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय समझी जाएगी ।]

[5][(5क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन ऐसी किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, के अंतरण से, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, को पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता हैं, वहां पूंजी अभिलाभ, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण परियोजना या उसके भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है; और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, नकद रूप में प्रतिफल, यदि कोई हो, द्वारा हुई वृद्धि के अनुसार परियोजना में उसके शेयर के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख को स्टाम्प शुल्क मूल्य पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा :

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती उक्त समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को या उससे पहले परियोजना में अपने शेयर का अंतरण करता है और पूंजी अभिलाभ उस पूर्ववर्ष की आय समझे जाएंगे, जिसमें ऐसा अंतरण हुआ था, और इस उपधारा के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंध ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के अवधारण के प्रयोजन को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) "सक्षम प्राधिकारी" पद से तत्समय प्रवृत्त किसी भवन योजना को अनुमोदित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ii) "विनिर्दिष्ट करार" पद से ऐसा रजिस्ट्रीकृत करार अभिप्रेत है जिसमें भूमि या भवन या दोनों का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति, ऐसे किसी शेयर, जो ऐसी परियोजना में भूमि या भवन या दोनों हैं, के परिणामस्वरूप, चाहे वह नकद रूप में प्रतिफल के भाग के संदाय सहित या रहित हो, ऐसी भूमि या भवन पर भू-संपदा परियोजना विकसित करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को अनुज्ञात करने का करार करता है;

(iii) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" पद से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जिसे स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन है या दोनों की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत किया गया है या निर्धारित किया गया है या उसके द्वारा निर्धारणीय है।]

[1][(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 80गगख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट यूनिटों की पुन:क्रय कीमत और ऐसे यूनिटों के पूंजी मूल्य के बीच अंतर को निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष में उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा जिसमें ऐसा पुन:क्रय किया जाता है या उस धारा में निर्दिष्ट योजना समाप्त होती है और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "ऐसे यूनिटों के पूंजी मूल्य" से निर्धारिती द्वारा धारा 80गगख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट यूनिटों में विनिधान की गई रकम अभिप्रेत है।]

46. समापनाधीन कंपनियों द्वारा आस्तियों के वितरण पर पूंजी अभिलाभ—(1) धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कम्पनी के समापन पर उसकी आस्तियां उसके शेयरधारकों में वितरित की जाती हैं, वहां ऐसे वितरण को धारा 45 के प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा किया गया अंतरण नहीं समझा जाएगा।

(2) जहां कम्पनी के समापन पर कोई शेयरधारक कंपनी से कोई धन या अन्य आस्तियां प्राप्त करता है, वहां वह इस प्रकार प्राप्त धन या वितरण की तारीख को अन्य आस्तियों के बाजार मूल्य की बाबत जैसा कि वह धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ग) के अर्थ में लाभांश के रूप में निर्धारित रकम को घटाकर आए, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा और इस प्रकार परिकलित राशि धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूरा मूल्य समझी जाएगी।

[2][**46क. कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय पर पूंजी अभिलाभ**—जहां कोई शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का कोई धारक ऐसे शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारक द्वारा धारित अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के क्रय के लिए किसी कंपनी से कोई प्रतिफल प्राप्त करता है वहां धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अर्जन की लागत और, यथास्थिति, शेयरधारक या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारक द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिफल के मूल्य के अंतर को उस वर्ष में, जिसमें ऐसे शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा क्रय की गई थीं, यथास्थिति, ऐसे शेयरधारक या विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के धारक को हुआ पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77क के स्पष्टीकरण में उनका है।]

47. अन्तरण न समझे जाने वाले संव्यवहार—धारा 45 में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित अन्तर को लागू नहीं होगी :—

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूंजी आस्तियों का कोई वितरण;

[3]* * * * *

(iii) किसी दान, या विल या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन पूंजी आस्ति का कोई अन्तरण :

[4][परन्तु यह खंड ऐसी पूंजी आस्ति के, जो किसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: [5][केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को प्रस्थापित कंपनी की कोई कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम] के अधीन अपने कर्मचारियों को आबंटित शेयर, डिबेंचर या वारंट हैं, दान या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अंतरण को लागू नहीं होगा ;]

(iv) किसी कंपनी द्वारा अपनी समनुषंगी कंपनी को पूंजी आस्ति का कोई अन्तरण, यदि—

(क) मूल कंपनी या उसके नामनिर्देशिती समनुषंगी कंपनी की सम्पूर्ण शेयरपूंजी धारण करते हैं; और

(ख) समनुषंगी कम्पनी भारतीय कम्पनी है;

[6][(v) किसी समनुषंगी कम्पनी द्वारा नियंत्री कम्पनी को पूंजी आस्ति का कोई अंतरण,—

(क) समनुषंगी कम्पनी की सम्पूर्ण शेयर पूंजी नियंत्री कम्पनी द्वारा धारित है, और

(ख) नियंत्री कम्पनी भारतीय कम्पनी है :]

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया।
[4] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
[6] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 15 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित।

[1][परन्तु खंड (iv) या खंड (v) की कोई बात, 29 फरवरी, 1988 के पश्चात् व्यापार स्टाक के रूप में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण को लागू नहीं होगी ;]

[2][(vi) समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कम्पनी द्वारा समामेलक कम्पनी की पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, यदि समामेलित कम्पनी भारतीय कंपनी है;]

[3][(viक) समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलक विदेशी कंपनी द्वारा समामेलित विदेशी कंपनी को ऐसी पूंजी आस्ति का, जो किसी भारतीय कंपनी में धारित कोई शेयर है या शेयर हैं, कोई अंतरण, यदि—

(क) समामेलक विदेशी कंपनी के शेयरधारकों में से कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयरधारक समामेलित विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं; और

(ख) ऐसे अंतरण से उस देश में जिसमें समामेलक कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभ पर कोई कर नहीं लगता है;]

[4][(viकक) किसी बैंककारी कंपनी की, किसी बैंककारी संस्था के साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई समामेलन की किसी स्कीम में, बैंककारी कंपनियों द्वारा बैंककारी संस्था को किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है,जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है;

(ii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है;]

[5][(viकख) समामेलन की किसी स्कीम में, किसी ऐसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो अपना मूल्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सारवान् रूप से समामेलक विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से व्युत्पन्न करती है, समामेलित विदेशी कंपनी को कोई अंतरण, यदि—

(अ) समामेलक विदेशी कंपनी के कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयरधारक समामेलित विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं; और

(आ) ऐसे अंतरण से उस देश में, जिसमें समामेलक कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभों पर कर नहीं लगता है;]

[6][(viख) किसी निर्विलयन में निर्विलीन कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को, यदि परिणामी कंपनी भारतीय कंपनी है, पूंजी आस्ति का कोई अंतरण;

(viग) किसी निर्विलयन में निर्विलीन विदेशी कंपनी द्वारा परिणामी विदेशी कंपनी को ऐसी पूंजी आस्ति का, जो किसी भारतीय कंपनी में धृत शेयर है या हैं कोई अंतरण, यदि :—

(क) निर्विलीन विदेशी कंपनी के शेयरधारकों में से [7][तीन चौथाई से अन्यून मूल्य के शेयर धारण करने वाले शेयरधारक] निर्विलीन विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं; और

(ख) ऐसे अंतरण से उस देश में, जिसमें निर्विलीन विदेशी कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभों पर कोई कर नहीं लगता :

परन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 से धारा 394 के उपबंध इस खंड में निर्दिष्ट निर्विलयनों की दशा में लागू नहीं होंगे;

[8][(viगक) किसी कारबार पुनर्गठन में पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक द्वारा उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को पूंजी आस्ति का कोई अंतरण;

(viगख) किसी कारबार पुनर्गठन में किसी शेयरधारक द्वारा पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक में उसके द्वारा धारित शेयर या शेयरों के रूप में पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, यदि अंतरण उत्तराधिकारी सहकारी बैंक में किसी शेयर या शेयरों के उसको आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—खंड (viगक) और खंड (viगख) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार पुनर्गठन", "पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक" और "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" पदों के वही अर्थ होंगे, जो धारा 44घख में उनके हैं ;]

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 17 द्वारा (1-4-1988 से) खण्ड (v) के पश्चात् परन्तुक अन्त:स्थापित ।
[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 23 द्वारा (1-4-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा (1-4-2016 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(viगग) किसी निर्विलयन में ऐसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में निर्दिष्ट किसी ऐसी विदेशी कंपनी का शेयर है, जो अपना मूल्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सारवान् रूप से निर्विलीन विदेशी कंपनी द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयर या शेयरों से व्युत्पन्न करती है परिणामी विदेशी कंपनी को कोई अंतरण, यदि—

(क) निर्विलीन विदेशी कंपनी के तीन-चौथाई से अन्यून मूल्य के शेयर धारण करने वाले शेयरधारक परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं; और

(ख) ऐसे अंतरण से उस देश में, जिसमें निर्विलीन विदेशी कंपनी निगमित है, पूंजी अभिलाभों पर कर नहीं लगता है :

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 से धारा 394 के उपबंध इस खंड में निर्दिष्ट निर्विलयनों की दशा में लागू नहीं होंगे;]

(viघ) किसी निर्विलयन की स्कीम में, परिणामी कंपनी द्वारा निर्विलीन कंपनी के शेयरधारकों को शेयरों का कोई अंतरण या पुरोधरण यदि ऐसा अंतरण या पुरोधरण उपक्रम के निर्विलयन के प्रतिफलस्वरूप किया गया है;]

(vii) समामेलन की किसी स्कीम में शेयरधारक द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति का, जो समामेलक कंपनी में उसके द्वारा धारित कोई शेयर है या हैं, कोई अंतरण, यदि,—

(क) वह अंतरण [2][समामेलित कंपनी में, उस दशा के सिवाय, जहां शेयरधारक स्वयं समामेलित कंपनी है,] किसी शेयर या किन्हीं शेयरों के उसको आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया गया है, और

(ख) समामेलित कम्पनी भारतीय कंपनी है;]

[3][(viiक) किसी अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को भारत के बाहर ऐसी पूंजी आस्ति का जो धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बंधपत्र या [4][सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद] हैं, कोई अंतरण];

[5][(viiकक) किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारत के बाहर किया गया पूंजी आस्ति का, जो भारतीय कंपनी के भारत के बाहर निर्गमित किए गए रूपए में अंकित किए गए बंधपत्र हैं, कोई अंतरण;]

[6][(viiख) किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से भारत के बाहर किया गया कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;]

[7][(viiग) किसी निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि है, द्वारा मोचन के माध्यम से प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र का कोई अंतरण;]

[8][(viii) भारत में किसी कृषि भूमि का 1970 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व किया गया कोई अंतरण;

[9][(ix) किसी पूंजी आस्ति का जो कोई कलाकृति, पुरातत्वीय, वैज्ञानिक या कलासंग्रह, पुस्तक या पाण्डुलिपि, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र या प्रिंट है, सरकार या किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला दीर्घा, राष्ट्रीय अभिलेखागार या किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक संग्रहालय, या संस्था को अंतरण जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का या किसी राज्य या सभी भागों में विख्यात के रूप में अधिसूचित किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्था भी है ;]

[10][(x) किसी कंपनी के [11][बंधपत्रों या डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाक] या किसी भी रूप के निक्षेप प्रमाणपत्र का संपरिवर्तन के रूप में उस कंपनी के शेयरों या डिबेंचेरों में कोई अंतरण ;]

[12][(xक) धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में परिवर्तन के रूप में कोई अंतरण;]

---

[1] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 28 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 11 द्वारा (1-4-1970 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 11 द्वारा (1-4-1977 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(xख) किसी कंपनी के अधिमानी शेयरों का उस कंपनी के साधारण शेयरों में संपरिवर्तन के माध्यम से कोई अंतरण;]

[2][(xi) किसी व्यक्ति द्वारा (जो कंपनी नहीं है) किसी कंपनी को, उस कंपनी द्वारा अंतरक को आबंटिक शेयरों के बदले में किसी पूंजी आस्ति का, जो मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता है, [3][31 दिसम्बर, 1998] को या उसके पूर्व किया गया कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता" पद से भारत में किसी ऐसे स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता अभिप्रेत है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) उपबंधों के अधीन मान्यताप्राप्त है;

(xii) किसी पूंजी आस्ति का, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 18 के अधीन तैयार और मंजूर की गई किसी स्कीम के अधीन बनाई गई किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी की भूमि है, जहां ऐसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी का प्रबंध उसके कर्मचारी सहकारी द्वारा किया जा रहा है, कोई अंतरण :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा अंतरण ऐसे पूर्ववर्ष से, जिसमें उक्त कंपनी, उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है, प्रारम्भ होने वाली और ऐसे पूर्ववर्ष से, जिसके दौरान ऐसी कंपनी की सम्पूर्ण शुद्ध मालियत संचित हानियों के बराबर या उनसे अधिक हो जाती है, समाप्त होने वाली अवधि में किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध मालियत" का वही अर्थ है जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छक) में है ;]

[4][(xiii) [5][किसी फर्म द्वारा किसी कंपनी को पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का, फर्म द्वारा चलाए जा रहे कारबार में किसी कंपनी द्वारा फर्म के उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप, किया गया कोई अंतरण या किसी कंपनी को भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के [6][अनपरस्परीकरण या निगमीकरण] के अनुक्रम में पूंजी आस्ति का कोई अंतरण जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के किसी निकाय की उत्तराधिकारी कंपनी ऐसी बन जाती है :]

परंतु यह कि,—

(क) उत्तराधिकार के ठीक पूर्व कारबार से संबंधित फर्म [7][या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय] की सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी की आस्तियां और दायित्व हो जाएंगे;]

(ख) उत्तराधिकार के ठीक पूर्व फर्म के सभी भागीदार उसी अनुपात में जिसमें उनकी पूंजी खाते उत्तराधिकार की तारीख को फर्म की बहियों में विद्यमान थीं, कंपनी के शेयरधारक बन जाएंगे;

(ग) फर्म के भागीदार कंपनी में शेयरों के आबंटन के रूप में अन्यथा किसी रूप या रीति में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई प्रतिफल या प्रसुविधा प्राप्त नहीं करते हैं; और

(घ) फर्म के भागीदारों का कंपनी में कुल शेयर धारण कंपनी में कुल मतदान शक्ति के पचास प्रतिशत से कम नहीं है और उनका शेयर धारण इस प्रकार उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है;

[7][(ङ) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का [6][अनपरस्परीकरण या निगमीकरण] जो [6][अनपरस्परीकरण या निगमीकरण] की किसी ऐसी स्कीम के अनुसार किया जाता है जिसका अनुमोदन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता हो ;]

[8][(xiiiक) किसी पूंजी आस्ति का, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा शेयरों के अर्जन तथा अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अनुसार, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे सदस्य द्वारा अर्जित व्यवसाय या समाशोधन अधिकारों के लिए धारित सदस्यता का अधिकार है, कोई अंतरण;]

[9][(xiiiख) किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का, किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा (जिसे इस खंड में इसके पश्चात) कंपनी कहा गया है) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 56 या धारा 57 के उपबंधों के अनुसार कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप,

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2001 के अधिनयम सं० 14 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई अंतरण या किसी शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर या शेयरों का कोई अन्तरण :

परंतु यह कि,—

(क) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी की सभी आस्तियां और दायित्व सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां और दायित्व बन जाएंगे;

(ख) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी के सभी शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाएंगे और सीमित दायित्व भागीदारी में उनके पूंजी अभिदाय और लाभ में हिस्सा बंटाने का अनुपात उसी अनुपात में होगा जो संपरिवर्तन की तारीख को कंपनी में उनके हिस्सा बंटाने का अनुपात था;

(ग) कंपनी के शेयरधारक सीमित दायित्व भागीदारी में लाभों और पूंजी अभिदायों में शेयर के रूप से भिन्न किसी रूप या रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या फायदा प्राप्त नहीं करते हों;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों के लाभ में हिस्सा बंटाने के अनुपात का योग संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(ङ) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी में कंपनी के कारबार का कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक नहीं हैं; [1]***

[2][(ङक) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है, पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी में कंपनी की लेखा बहियों में आने वाली आस्तियों का कुल मूल्य पांच करोड़ रुपए से अनधिक होता है; और]

(च) संपरिवर्तन की तारीख को, कंपनी के खातों में विद्यमान संचित लाभ के अतिशेष में से किसी भागीदार को संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोई रकम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त नहीं की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कंपनी" और "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में क्रमश: उनके हैं ;]

(xiv) जहां किसी एकमात्र स्वत्वधारी समुत्थान की उसके द्वारा चलाए जा रहे कारबार में उत्तराधिकारी कंपनी है जिसके परिणामस्वरूप एकमात्र स्वत्वधारी समुत्थान कंपनी को किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का विक्रय कर देता है या अन्यथा अंतरित कर देता है :

परंतु यह कि—

(क) उत्तराधिकार के ठीक पूर्व कारबार से संबंधित एकमात्र स्वत्वधारी समुत्थान की सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी की आस्तियां और दायित्व हो जाएंगे;

(ख) कंपनी में एकमात्र स्वत्वधारी का शेयर धारण कंपनी में कुल मतदान शक्ति के पचास प्रतिशत से कम नहीं है और उसका शेयर धारण उत्तराधिकार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है; और

(ग) एकमात्र स्वत्वधारी कंपनी में शेयरों के आबंटन के रूप में अन्यथा किसी रूप या रीति में, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई प्रतिफल या प्रसुविधा प्राप्त नहीं करता है;

(xv) किसी करार या ठहराव के अधीन जो निर्धारिती ने ऐसे प्रतिभूतियों के उधार लेने वाले के साथ किया है और जो इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [3][या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक] द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन है, किन्हीं प्रतिभूतियों के उधार देने के लिए स्कीम में कोई अंतरण ;]

[4][(xvi) केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ;]

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(xvii) किसी पूंजी आस्ति का जो किसी विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है, किसी अंतरक को किसी कारबार न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के विनिमय में उस न्यास को कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में उसका है ;]

[2][(xviii) किसी यूनिट धारक द्वारा किसी पारस्परिक निधि की समेकन स्कीम में उसके द्वारा धारित किसी पूंजी आस्ति का, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, ऐसा कोई अंतरण, जो उसको किसी आस्ति के, जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं आबंटन के प्रतिफलस्वरूप पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में किया गया हो :

परंतु समेकन साधारण शेयरोन्मुख निधि की दो या अधिक स्कीमों या साधारण शेयरोन्मुख निधि से भिन्न निधि की दो या अधिक स्कीमों का है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समेकित स्कीम" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसके साथ समेकन स्कीम का विलय होता है या जो ऐसे विलयन के परिणामस्वरूप बनाई जाती है;

(ख) "समेकन स्कीम" से किसी पारस्परिक निधि की ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनिमय, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि की स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अधीन विलय होता है;

(ग) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (38) में उसका है;

(घ) "पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ;]

[3][(xix) किसी यूनिट धारक द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति का, जो किसी पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में उसको द्वारा धारित कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, उस पारस्परिक निधि की स्कीम की समेकित योजना में उसे किसी ऐसी पूंजी आस्ति के जो कोई यूनिट है या यूनिटें हैं, आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया गया कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समेकन योजना" से किसी पारस्परिक निधि की स्कीम के अंतर्गत ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अंतर्गत योजनाओं के समेकन की प्रक्रिया के अधीन विलय होता है;

(ख) "समेकित योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसके साथ समेकन योजना का विलय होता है या जो ऐसे विलय के परिणामस्वरूप बनती है;

(ग) "पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत हैं ।]

[4][**47क. कुछ दशाओं में छूट का वापस किया जाना**—[5][(1)] जहां धारा 47 के, यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की तारीख से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय,—

(i) ऐसी पूंजी आस्ति अंतरित कंपनी द्वारा उसके कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की जाती है या उसके द्वारा उस रूप में मानी जाती है; या

(ii) यथास्थिति, मूल कंपनी या उसके नामनिर्देशिती अथवा नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करना छोड़ देती है,

वहां ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत ऐसे लाभ या अभिलाभ की रकम जो धारा 47 के, यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) के उपबंधों के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उक्त खंडों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पूर्ववर्ष के जिसमें ऐसा अंतरण किया गया था "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझी जाएगी ।]

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 17 द्वारा (1-4-1998 से) पुन:संख्यांकित ।

[1][(2) जहां धारा 47 के खंड (xi) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, किसी भी समय, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता के बदले में अंतरक द्वारा आबंटित किन्हीं शेयरों को अंतरित किया जाता है वहां ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम, जो धारा 47 के खंड (xi) के उपबंधों के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की जाती है, उक्त खंड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पूर्ववर्ष के, जिसमें आबंटित शेयरों का अंतरण किया जाता है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।]

[2][(3) जहां धारा 47 के खंड (xiii) के परंतुक या खंड (xiv) के परन्तुक में अधिकथित शर्तों में से किसी का पालन नहीं किया जाता है वहां, ऐसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति के अंतरण से, जो धारा 47 के खंड (xiii) के परन्तुक में अथवा खंड (xiv) के परन्तुक में अधिकथित शर्तों के कारण धारा 45 के अधीन भारित नहीं हैं, उद्भूत लाभ और अभिलाभ की रकम को, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें, यथास्थिति, खंड (xiii) के परन्तुक या खंड (xiv) के परन्तुक की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, उत्तराधिकारी कंपनी के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा ।]

[3][(4) जहां धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, वहां ऐसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति या शेयर या शेयरों के अन्तरण से, जो उक्त परन्तुक में अधिकथित शर्तों के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं हैं, उद्भूत लाभ या अभिलाभ की रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें उक्त परन्तुक की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी या पूर्ववर्ती कंपनी के शेयरधारक के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा ।]

[4][**48. संगणना करने का ढंग**—"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना, पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूरे मूल्य में से निम्नलिखित रकमों की कटौती करके की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत व्यय;

(ii) आस्ति के अर्जन की लागत और उसमें किसी सुधार की लागत :

परंतु ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी भारतीय है, किसी भारतीय कंपनी में शेयरों या उसके डिबेंचरों के रूप में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना, अर्जन की लागत, ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत व्यय और शेयरों या डिबेंचरों के क्रय में आरंभिक रूप से उपयोग की गई उसी विदेशी करेंसी में पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल के कुल मूल्य को संपरिवर्तित करके की जाएगी और ऐसी विदेशी करेंसी में इस प्रकार संगणित पूंजी अभिलाभ को भारतीय करेंसी में पुन:संपरिवर्तित किया जाएगा, तथापि, इस प्रकार कि पूंजी अभिलाभ की संगणना की पूर्वोक्त रीति, तत्पश्चात् किसी भारतीय कंपनी में शेयरों में प्रत्येक पुन:विनिधान या डिबेंचरों के विक्रय से प्रोद्भूत या उद्भूत पूंजी अभिलाभ की बाबत लागू होगी :

परंतु यह और कि जहां दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी अनिवासी को पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी में शेयरों या उसके डिबेंचरों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से भिन्न है, अंतरण से उद्भूत होता है वहां खंड (ii) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "अर्जन की लागत" और "किसी सुधार की लागत" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "अर्जन की सूचकांकित लागत" और "किसी सुधार की सूचकांकित लागत" शब्द रखे गए हों :

[5][परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक की कोई बात किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सरकार द्वारा निर्गमित किए गए पूंजी सूचकांकित बंधपत्र से भिन्न बंधपत्र या डिबेंचर है, अन्तरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को लागू नहीं होगी :]

[6][परंतु यह भी कि जहां धारा 47 के खंड (iii) के परंतुक में निर्दिष्ट शेयर, डिबेंचर या वारंट किसी दान या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अन्तरित किए जाते हैं वहां ऐसे अन्तरण की तारीख को बाजार मूल्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा :]

[7][परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो—

(क) सरकार द्वारा जारी किए गए पूंजी सूचकांकित बंधपत्रों से भिन्न कोई बंधपत्र या डिबेंचर है; या

(ख) प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रभुत्वसंपन्न स्वर्ण बंधपत्र से भिन्न कोई बंधपत्र या डिबेंचर है,

के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को लागू नहीं होगी :

[1] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 17 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (1-4-1999 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 10 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 24 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु यह भी कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, [1][उसके द्वारा धारित] किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र के मोचन के समय किसी विदेशी करेंसी के विरुद्ध रुपए के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अभिलाभ को इस धारा के अधीन प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा :]

[2][परन्तु यह भी कि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 में है;

(ii) भारतीय करेंसी का विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन और विदेशी करेंसी का भारतीय करेंसी में पुन:संपरिवर्तन, इस निमित्त विहित विनिमय की दर पर किया जाएगा;

(iii) "अर्जन की सूचकांकित लागत" से अभिप्रेत है वह रकम जिसका अर्जन की लागत से वही अनुपात है जो उस वर्ष के लिए, जिसमें आस्ति का अंतरण किया जाता है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उस प्रथम वर्ष के लिए, जिसमें निर्धारिती ने आस्ति धारित की थी या [1][1 अप्रैल, 2001] को प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से है;

(iv) "किसी सुधार की सूचकांकित लागत" से अभिप्रेत है वह रकम जिसका सुधार की लागत से वही अनुपात है जो उस वर्ष के लिए, जिसमें आस्ति का अंतरण किया जाता है लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उस वर्ष के लिए जिसमें आस्ति में सुधार हुआ है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से है;

[3][(v) किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सूचकांक" से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, [4][ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय)] में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

49. अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत—[5][(1)] जहां पूंजी आस्ति निम्नलिखित रीति से निर्धारिती की सम्पत्ति हो गई है—

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर आस्तियों के किसी वितरण पर,

(ii) किसी दान या विल के अधीन;

(iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या न्यागमन द्वारा, या

[6][(ख) किसी फर्म, व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम के विघटन पर अन्य आस्तियों के किसी वितरण पर जहां ऐसा विघटन 1 अप्रैल, 1987 से पहले किसी समय हुआ है, या]

(ग) किसी कंपनी के समापन पर आस्तियों के किसी वितरण पर, या

(घ) किसी प्रतिसंहरणीय या अप्रतिसंहरणीय न्यास को अन्तरण के अधीन, या

(ङ) किसी ऐसे अंतरण के अधीन जैसा धारा 47 के खण्ड (iv) [7][या खण्ड (v)] [8][या खंड (vi)] [9][या खंड (viक)] [10][या खंड (viकक) या खंड (viकख) या खंड (viख) [11][या खंड (viग)] या खंड (viगक) या खंड (viगख) या खंड (viगग)] या [12][खंड (xiii) या खंड (xiiiख) या खंड (xiv)] में निर्दिष्ट है,

[13][(iv) यदि ऐसा निर्धारिती हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है तो 1969 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात् किसी भी समय धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ढंग से,]

वहां उस आस्ति के अर्जन की लागत, वह लागत जिस पर कि संपत्ति के पूर्वतन स्वामी ने उसे अर्जित किया, समझी जाएंगी जैसा कि वह, यथास्थिति, पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत या उठाई गई आस्तियों के किसी सुधार की लागत को जोड़ कर जाए ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 24 द्वारा (1-4-2018 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा (1-4-2005 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 22 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1967 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1967 से) पुन:संख्यांकित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 16 द्वारा (1-4-1988 से) उपखंड (ख) प्रतिस्थापित ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 16 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा (1-4-1967 से) अंत:स्थापित ।
[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 25 द्वारा (1-4-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 25 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[12] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[13] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 12 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस [2][उपधारा] में निर्धारिती के स्वामित्वाधीन किसी पूंजी आस्ति के संबंध में "संपत्ति के पूर्वतन स्वामी" पद से पूंजी आस्ति का वह अंतिम पूर्वतन स्वामी अभिप्रेत है जिसमें उसका अर्जन इस [2][उपधारा] के खंड (i) या [3][खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv)] में निर्दिष्ट अर्जन के ढंग से भिन्न ढंग से किया हो ।

[4][(2) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी ऐसी समामेलित कंपनी का, जो कि भारतीय कंपनी है, शेयर है, या धारा 47 के खंड (vii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो, वहां उस आस्ति के अर्जन की लागत, समामेलक कंपनी में शेयर या शेयरों के अर्जन की उसकी लागत समझी जाएगी ।]

[5][(2क) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) या खंड (xक) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या निक्षेप प्रमाणपत्र की लागत का वह भाग समझी जाएगी, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है ।]

[6][(2कक) जहां पूंजी अभिलाभ धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगी जिसे उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है ।]

[7][(2ककक) जहां ऐसी पूंजी आस्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भागीदार के अधिकार हैं, धारा 47 के खंड (xiiiख) में यथानिर्दिष्ट संपरिवर्तन पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को उसके संपरिवर्तन से ठीक पूर्व कंपनी में शेयर या शेयरों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।]

[8][(2कख) जहां पूंजी अभिलाभ, विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत वह उचित बाजार मूल्य होगा, जिसको धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना करते समय ध्यान में रखा गया है ।]

[9][(2कखख) जहां पूंजी आस्ति का, जो किसी कंपनी का शेयर है या के शेयर हैं, किसी अनिवासी निर्धारिती द्वारा धारित धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के मोचन पर, ऐसे निर्धारिती द्वारा अर्जन किया जाता है, वहां शेयर या शेयरों के अर्जन की लागत उस शेयर या उन शेयरों की वह कीमत होगी जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उस तारीख को, जिसको ऐसे मोचन का अनुरोध किया गया था, प्रचलित है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है ।]

[10][(2कग) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट है, धारा 47 के खंड (xvii) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, को उक्त खंड में निर्दिष्ट शेयर के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।]

[9][(2कघ) जहां पूंजी आस्ति, जो पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, धारा 47 के खंड (xviii) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को, पारस्परिक निधि की समेकित स्कीम में की यूनिट या यूनिटों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।]

[11][(2कङ) जहां कोई पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है, धारा 47 के खंड (xख) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को ऐसे अधिमानी शेयर की लागत का ऐसा भाग समझा जाएगा, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति अर्जित की गई है ।]

[11][(2कच) जहां कोई पूंजी आस्ति, जो किसी पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, धारा 47 के खंड (xix) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में यूनिट या यूनिटों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।]

[12]* * * * *

(2ग) परिणामी कंपनी में शेयरों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो निर्विलीन कंपनी में निर्धारती द्वारा धारित शेयरों के अर्जन की लागत उसी अनुपात में होगी, जो निर्विलीन कंपनी में अंतरित आस्तियों का शुद्ध बही मूल्य का ऐसे निर्विलयन से ठीक पहले शुद्ध मूल्य से है ।

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 16 द्वारा (1-4-1965 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा (1-4-1967 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 12 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 20 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[8] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 23 द्वारा लोप किया गया ।

(2घ) किसी निर्विलीन कंपनी में शेयरधारक द्वारा मूल शेयरों के अर्जन की लागत, उपधारा (2ग) के अधीन इस प्रकार निकाली गई रकम में से घटाई गई समझी जाएगी ।

[1][(2ङ) उपधारा (2), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के उपबंध, यथासाध्य, धारा 44घख में यथानिर्दिष्ट सहकारी बैंक के कारबार पुनर्गठन के संबंध में भी लागू होंगे ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध मूल्य" से निर्विलयन से ठीक पूर्व निर्विलीन कंपनी की लेखा-बहियों में दी गई समादत्त शेयर पूंजी और साधारण आरक्षितियों का कुल योग अभिप्रेत है ।]

[2][(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 47 के, यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की धारा 47क के उपबंधों के आधार पर "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाता है वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की अंतरिती कंपनी की लागत ऐसी लागत होगी जिसके लिए ऐसी आस्ति द्वारा अर्जित की गई थी ।]

[3][(4) जहां पूंजी अभिलाभ ऐसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत होता है, जिसका मूल्य धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) [4][या खंड (viiक)] [5][या खंड (x)] के अधीन आय-कर के अध्यधीन रहा है वहां ऐसी संपत्ति के अर्जन की लागत वह मूल्य समझी जाएगी जो उक्त खंड (vii) [4][या खंड (viiक)] [5][या खंड (x)] के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है ।]

[6][(5) जहां पूंजी अभिलाभ आय घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन घोषित किसी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है और स्कीम के उपबंधों के अनुसार स्कीम के आरंभ होने की तारीख पर आस्ति के उचित बाजार मूल्य पर कर, अधिभार और शास्ति का संदाय कर दिया गया है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को आस्ति का उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जो उक्त स्कीम के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया गया है ।]

[5][(6) जहां पूंजी अभिलाभ किसी ऐसी आस्ति के, जो धारा 10 के खंड (37क) के स्पष्टीकरण के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट है, जिसका उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंतरण किया गया है, जिसमें ऐसी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, अंतरण से उद्भूत होता है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का कब्जा निर्धारिती को सौंपा गया था, की समाप्ति के पश्चात् दूसरे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को उसका स्टांप शुल्क मूल्य समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ।

(7) जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है, जो धारा 45 की उपधारा (5क) में यथा निर्दिष्ट भूमि या भवन या दोनों के रूप में ऐसी परियोजना में के शेयर हैं, जो उक्त उपधारा के परंतुक में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जिसे उस उपधारा में प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा गया है ।]

[5][(8) जहां पूंजी अभिलाभ किसी ऐसी आस्ति के, जो किसी न्यास या किसी संस्था, जिसके संबंध में अनुवर्धित आय संगणित की गई हो और उस पर अध्याय 12ङख के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय कर दिया गया हो, द्वारा धारित आस्ति हो, वहां ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत उस आस्ति का उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे धारा 115नघ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख को अनुवर्धित आय की संगणना के लिए हिसाब में लिया गया है ।]

[7][**50. अपक्षीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध**—धारा 2 के खंड (42क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी आस्ति ऐसी आस्ति है जो किसी ऐसे समूह का भागरूप है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है वही धारा 48 और धारा 49 के उपबंध निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन होंगे, अर्थात् :—

(1) जहां आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य और पूर्ववर्ष के दौरान आस्ति समूह के अन्तर्गत आने वाली किसी अन्य पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य मिलकर निम्नलिखित रकमों के योग से अधिक है, अर्थात् :—

(i) ऐसे अन्तरण या अन्तरणों के संबंध में पूर्णतया और अनन्यतया उपगत व्यय;

(ii) पूर्ववर्ष के आरम्भ में उस आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य; और

(iii) उस पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित आस्ति समूह के अन्तर्गत आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत,

वहां ऐसे आधिक्य को अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अन्तरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा;

(2) जहां कोई आस्ति समूह, इस कारण कि उस समूह की सभी आस्तियां उस पूर्ववर्ष के दौरान अन्तरित कर दी गई हैं, उस रूप में विद्यमान नहीं रहता है वहां आस्ति समूह के अर्जन की लागत उस पूर्ववर्ष के आरम्भ में आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य होगी जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा अर्जित आस्ति समूह के अन्तर्गत आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत बढ़ा

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 17 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 20 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 9 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 50 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

दी जाएगी और ऐसे अंतरण या अंतरणों के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भूत आय को अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा ।]

[1][**50क. अवक्षयी आस्ति की दशा में अर्जन की लागत के लिए विशेष उपबंध**—जहां पूंजी आस्ति ऐसी आस्ति है जिसकी बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अवक्षयण मद्धे कटौती किसी पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा अभिप्राप्त की गई है वहां धारा 48 और धारा 49 के उपबंध ऐसे उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि धारा 43 के खंड (6) में यथापरिभाषित समायोजित आस्ति का अवलिखित मूल्य आस्ति के अर्जन की लागत माना जाएगा ।]

[2][**50ख. मंदी विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध**—(1) पूर्ववर्ष में किए गए मंदी विक्रय से उद्‌भूत कोई लाभ या अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा और उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण हुआ है, आय समझा जाएगा :

परंतु मंदी विक्रय के अधीन किसी ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो निर्धारिती के उसके अंतरण की ठीक पूर्ववर्ती तारीख से छत्तीस मास से अनधिक तक स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा धारित एक या अधिक उपक्रम है, उद्‌भूत कोई लाभ या अभिलाभ अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा ।

(2) पूंजी आस्तियों के संबंध में, जो ऐसे विक्रय के माध्यम से अंतरित कोई उपक्रम या प्रभाग है, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का "शुद्ध मूल्य" धारा 48 और धारा 49 के प्रयोजनों के लिए अर्जन की लागत और उन्नयन की लागत, मानी जाएगी और धारा 48 के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है ।

[3][**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध मूल्य", उपक्रम या प्रभाग की कुल आस्तियों का वह सकल मूल्य होगा जो ऐसे उपक्रम या प्रभाग के दायित्वों के मूल्य को, जैसा उसकी लेखाबहियों में दिखाया गया है, घटाकर आए :

परन्तु आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्तियों के मूल्य में किसी परिवर्तन पर शुद्ध मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—शुद्ध मूल्य की संगणना करने के लिए कुल आस्तियों का सकल मूल्य—

(क) अवक्षयी आस्तियों की दशा में, धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) की मद (i) की उपमद (इ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित आस्तियों के ब्लाक का अवलिखित मूल्य होगा; [4]***

[5][(ख) ऐसी पूंजी आस्तियों की दशा में, जिनकी बाबत संपूर्ण व्यय धारा 35कघ के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है या अनुज्ञेय है, शून्य होगा; और

(ग) अन्य आस्तियों की दशा में, ऐसी आस्तियों का बही मूल्य होगा ।]

[6][**50ग. कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध**—(1) जहां निर्धारिती द्वारा, किसी पूंजीगत आस्ति के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भावी प्रतिफल, ऐसे अंतरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी" कहा गया है) अंगीकार किए गए या निर्धारित [7][या निर्धारणीय] मूल्य से कम है तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित [5][या निर्धारणीय] मूल्य, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंरतण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा :

[8][परंतु जहां प्रतिफल की रकम नियत करने वाले करार की तारीख और पूंजी आस्ति के अंतरण के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक नहीं हो, वहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा करार की तारीख को अंगीकृत या निर्धारिती या निर्धारणीय मूल्य को ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि पहला परंतुक केवल उस मामले में लागू होगा, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पहले किसी पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते की मार्फत इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया हो ।]

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 24 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) किसी निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारिती यह दावा करता है कि उपधारा (1) के अधीन स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत [1][या निर्धारित या निर्धारणीय] मूल्य अंतरण की तारीख को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है;

(ख) उपधारा (1) के अधीन स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत [1][या निर्धारित या निर्धारणीय] मूल्य किसी अपील या पुनरीक्षण में विवादित नहीं है या किसी अन्य प्राधिकारी, न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निर्देश नहीं किया गया है,

वहां निर्धारण अधिकारी, पूंजीगत आस्ति के मूल्यांकन को किसी मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है वहां धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23क की उपधारा (1) का खंड (i) और उपधारा (6) और (7), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे निर्देश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्देश के संबंध में लागू होते हैं।

[2][**स्पष्टीकरण 1**]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (द) में है।

[3][**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारणीय" पद से वह कीमत अभिप्रेत है जिसे स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी को अंगीकृत या निर्धारित करना होता यदि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजनों के लिए उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया हो।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित मूल्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है वहां ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा।]

[4][**50गक. कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध**—जहां निर्धारिती द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर है, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अवधारित मूल्य, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोट किए गए शेयर" से जहां ऐसे शेयर का कुटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है, वहां समय-समय पर नियमितता के साथ किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर कोट किया गया शेयर अभिप्रेत है।]

[5][**50घ. उचित बाजार मूल्य को कतिपय मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाना**—जहां किसी निर्धारिती द्वारा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाला प्रतिफल अभिनिश्चेय नहीं है या उसका अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां पूंजी अभिलाभों के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अंतरण की तारीख को उक्त आस्ति के उचित बाजार मूल्य को ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।]

51. प्राप्त अग्रिम धन—जहां कोई पूंजी आस्ति अपने अंतरण के लिए किसी पूर्व अवसर पर बातचीत का विषय थी वहां अर्जन की लागत की संगणना करने में ऐसी बातचीत की बाबत निर्धारिती द्वारा प्राप्त और प्राधिकृत किसी अग्रिम या अन्य धन को, यथास्थिति, उस लागत में से, जिस पर आस्ति अर्जित की गई थी या अवलिखित मूल्य में से या उचित बाजार मूल्यों में से काट लिया जाएगा :

[6][परंतु जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुई कोई धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है, वहां ऐसी राशि की अर्जन की लागत की संगणना करने में, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या, यथास्थिति, अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।]

[7]* * * * *

[8]* * * * *

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 25 द्वारा पुन:संख्यांकित।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 26 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित।
[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया।
[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 26 द्वारा (1-4-1993 से) धारा 53 का लोप किया गया।

54. निवास के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति के विक्रय पर लाभ—[1][(1)] [2][[3][उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है] पूंजी अभिलाभ ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होता है [4]*** और जो ऐसे भवनों या उनसे अनुलग्न भूमियों के रूप में है और जो निवास गृह है जिसकी आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) तथा निर्धारिती ने [5][उस तारीख के जिसको अन्तरण एक वर्ष पहले या दो वर्ष पश्चात्] [6][भारत में एक निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है] वहां] पूंजी अभिलाभ के उस पूर्ववर्ष की जिसमें अंतरण हुआ था आय के रूप में आय-कर से प्रभारित किए जाने के बजाय, उसके संबंध में इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम [7][(इस प्रकार क्रय की गई या सन्निर्मित [8][निवास गृह] की लागत से अधिक है जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है)] तो पूंजी अभिलाभ की रकम और नई आस्ति की लागत का अंतरण धारा 45 के अधीन पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय या सन्निर्माण के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अंतरण से उद्‌भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय या सन्निर्माण के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अंतरण से उद्‌भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए लागत में से पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।

[9]* * * * *

[10][(2) पूंजी अभिलाभ की रकम, जो निर्धारिती द्वारा उस तारीख के पूर्व जिसको मूल आस्ति का अंतरण किया गया है, एक वर्ष के भीतर किए गए नई आस्ति के क्रय के लिए विनियोजित नहीं की जाती है या जिसका उसके द्वारा उपयोग धारा 139 के अधीन, आय की विवरणी देने की तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, ऐसी विवरणी देने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या संस्था के खाते में निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप किसी भी दशा में धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारिती की दशा में आय की विवरणी देने के लिए लागू निश्चित तारीख के पश्चात् किया जाएगा] जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए तथा ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वह रकम यदि कोई हो, जिसका नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए पूर्णत: या भागत: नहीं किया जाता है तो—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम धारा 45 के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ii) निर्धारिती पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार ऐसी रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

[11]* * * * *

[12]* * * * *

[13][**54ख. कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना**—[14][(1)] [15][उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां पूंजी अभिलाभ] ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होता है जो ऐसी भूमि है जो उस तारीख से, जिसको अंतरण हुआ, ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान [16][निर्धारिती द्वारा, जो व्यष्टि है, या उसके माता-पिता द्वारा

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 11 की धारा 10 द्वारा (1-4-1974 से) पुन:संख्यांकित ।
[2] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 19 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा (1-4-1985 से) लोप किया गया ।
[5] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 10 द्वारा (1-4-1974 से) प्रतिस्थापित ।
[8] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-1983 से) "शुद्ध सम्पत्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 19 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
[10] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित जो कि 1978 के अधिनियम सं० 11 की धारा 10 (1-4-1974 से) अन्त:स्थापित की गई थी ।
[11] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 27 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।
[12] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 11 द्वारा (1-4-1972 से) धारा 54क का लोप किया गया ।
[13] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 11 द्वारा (1-4-1970 से) अंत:स्थापित ।
[14] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 11 द्वारा (1-7-1974 से) धारा 54ख उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
[15] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1988 से) "जहां पूंजी अभिलाभ" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[16] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा] कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है [1][(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है)] और निर्धारिती ने उस तारीख के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर कोई अन्य भूमि, कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने के लिए क्रय कर ली है वहां उस पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की, जिसमें अन्तरण हुआ आय के रूप में आय-कर से प्रभारित करने के बजाय, उसके संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात्—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम ऐसे क्रय की गई भूमि की (जिसे इसमें इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) लागत से अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम तथा नई आस्ति की लागत के बीच का अन्तर पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति के क्रय किए जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से उद्‌भूत होने वाले उस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; अथवा

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और नई आस्ति के क्रय किए जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से उद्‌भूत होने वाले उस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी लागत में पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।]

[2][(2) पूंजी अभिलाभ की रकम, जिसका निर्धारिती द्वारा उपयोग धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है, ऐसी विवरणी देने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या संस्था में खाते में निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप किसी भी दशा में, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारिती की दशा में आय की विवरणी देने के लिए लागू निश्चित तारीख के अपश्चात् किया जाएगा] जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए तथा ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, यदि कोई हो, जिसका नई आस्ति के क्रय के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए पूर्णत: या भागत: नहीं लिया जाता है तो—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम धारा 45 के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ii) निर्धारिती पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार ऐसी रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

[3]* * * * *

[4]* * * * *

[5][**54घ. भूमि और भवनों के अनिवार्य अर्जन पर पूंजी अभिलाभ कुछ दशाओं में प्रभारित नहीं किया जाएगा**—[6][(1)] [7][उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां पूंजी अभिलाभ] किसी विधि के अधीन निर्धारिती के स्वामित्व के किसी औद्योगिक उपक्रम के भागरूप किसी ऐसे पूंजी आस्ति के अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण से उद्‌भूत होता है जो भूमि या भवन या भूमि या भवन में कोई अधिकार है, तथा जिनका उपयोग उस तारीख से जिसको अंतरण किया गया था ठीक पहले के दो वर्षों में निर्धारिती द्वारा उक्त उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था, [8][(जिसे इसमें इस धारा के पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है)] और निर्धारिती ने उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उक्त उपक्रम को स्थानांतरित करने या पुन:स्थापित करने के या कोई अन्य औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजन के लिए कोई अन्य भूमि या भवन या किसी अन्य भूमि या भवन में कोई अधिकार क्रय किया है या किसी अन्य भवन का सन्निर्माण किया है तो उस पूंजी अभिलाभ के उस पूर्ववर्ष को, जिसमें अंतरण हुआ था, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित किए जाने के बजाए उसके संबंध में इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम इस प्रकार क्रय की गई भूमि, भवन या अधिकार की या इस प्रकार सन्निर्माण भवन की (ऐसी भूमि, भवन या अधिकार को इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) लागत से अधिक है तो, पूंजी अभिलाभ की रकम और नई आस्ति की लागत का अंतर धारा 45 के अधीन पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, क्रय या सन्निर्माण के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अंतरण से उद्‌भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम, नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो, पूंजी अभिलाभ को धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा; और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, क्रय या सन्निर्माण के तीन वर्ष की कालावधि के भीतर

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1974 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित जो कि 1978 के अधिनियम सं० 11 की धारा 10 (1-4-1974 से) अन्त:स्थापित की गई थी ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 28 द्वारा (1-4-1993 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।

[4] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 12 द्वारा (1-4-1976 से) धारा 54ग का लोप किया गया ।

[5] 1973 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (1-4-1974 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 12 द्वारा (1-4-1974 से) धारा 54घ को धारा 54घ (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (1) में "जहां पूंजी अभिलाभ" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 12 द्वारा (1-4-1974 से) अंत:स्थापित ।

उसके अंतरण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी लागत में से पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।]

[1][(2) पूंजी अभिलाभ की रकम, जिसका निर्धारिती द्वारा उपयोग धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, ऐसी विवरणी देने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या संस्था के खाते में निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप किसी भी दशा में, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारिती की दशा में, आय की विवरणी देने के लिए लागू निश्चित तारीख के अपश्चात् किया जाएगा] जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त बनाए तथा ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वह रकम, यदि कोई हो, जिसका नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा पहले की उपयोग किया गया है, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए पूर्णत: या भागत: नहीं किया जाता है तो—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम धारा 45 के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ii) निर्धारिती पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार ऐसी रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

[2]* * * * *

[3][**54ङ. पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना**—(1) जहां पूंजी अभिलाभ [4][1 अप्रैल, 1992 के पूर्व] किसी [5][दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है] (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में (ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) [6][सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग] का विनिधान या निक्षेप किया गया है वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति की बाबत [6][शुद्ध प्रतिफल] से कम नहीं है तो ऐसा सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति की बाबत [6][शुद्ध प्रतिफल] से कम है जो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग जिसका सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति के अर्जन की लागत [6][शुद्ध प्रतिफल] से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा :

[7][परन्तु ऐसी दशा में जिसमें मूल आस्ति का 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् अंतरण किया गया है, इस उपधारा के उपबंध तभी लागू होंगे जब निर्धारिती ने, यथास्थिति, सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का नई आस्ति में विनिधान या निक्षेप उस नई आस्ति में, प्रारंभ से अभिदाय करके, कर दिया गया है] :

[8][परन्तु यह और कि किसी ऐसी दशा में जहां मूल आस्ति का अंतरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में है और ऐसे अर्जन के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर की पूरी रकम, निर्धारिती को ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं होती है वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट छह मास की अवधि की संगणना, ऐसे प्रतिकर के उतने भाग के संबंध में जितना अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं होता है, [9][ऐसी तारीख से जिसको ऐसा प्रतिकर निर्धारिती को प्राप्त होता है,] [10][ठीक बाद की तारीख से या 31 मार्च, 1992 से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो] की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण 1—[11][इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है,—

(क) ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 1 मार्च, 1979 के पूर्व अंतरण किया जाता है वहां निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति] अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियां;

(ii) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बचत पत्र;

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित जिसे 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 12 द्वारा (1-4-1974 से) अन्त:स्थापित किया गया था ।।

[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 29 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 30 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 22 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) प्रतिस्थापित ।

[7] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।

[8] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 16 द्वारा (1-4-1984 से) अंत:स्थापित ।

[9] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 30 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।

[11] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अंत:स्थापित ।

(iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट;

(iv) धारा 80ठ की उपधारा (1) के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट डिबेंचर;

(v) किसी भारतीय कंपनी के शेयर जो जनता को जारी किए जाने हैं या जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूची में दर्ज किए जाते हैं [1][किन्तु ऐसे शेयरों में विनिधान 1 मार्च, 1978 के पूर्व किया गया होना चाहिए;]

[1][(vक) साधारण शेयर जो उपर्युक्त पूंजी पुरोधरण के भागरूप हैं किन्तु ऐसे शेयरों में विनिधान 28 फरवरी, 1978 के पश्चात् किया गया होना चाहिए;]

(vi) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अर्थात् बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी कारबार में लगी हुई किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) कम से कम तीन वर्ष के लिए निक्षेप ;

[2][(ख) ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 28 फरवरी, 1979 के पश्चात् [3][किन्तु 1 मार्च, 1983 के पहले] अंतरण किया जाता है, वहां ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बंध पत्र जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे ;

[4][(ग) ऐसे मामलों में जहां मूल आस्ति [3][28 फरवरी, 1983 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1986 से पूर्व] अंतरण किया जाता है, वहां निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, जिन्हें वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ii) भारातीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की विशेष श्रृंखला जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(iii) ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बंधपत्र जो स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित किए गए हैं या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खंड के अधीन इस निमित्त अधिसूचित किया जाए;

(iv) हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड [जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी है] द्वारा पुरोधृत ऐसे डिबेंचर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

[5][(घ) उस दशा में जहां मूल आस्ति का 31 मार्च, 1986 के पश्चात् अन्तरण किया जाता है वहां खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई आस्ति और किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा पुरोधृत ऐसे बंधपत्र जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;]

[6][(ङ) उस दशा में जहां मूल आस्ति का 31 मार्च, 1989 के पश्चात् अंतरण किया जाता है वहां खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई आस्ति और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत ऐसे डिबेंचर या बंधपत्र, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।]

[7]* * * * *

[8][**स्पष्टीकरण 2**—"उपर्युक्त पूंजी या पुरोधरण" का वही अर्थ होगा जो धारा 80गग की उपधारा (3) में है ।

स्पष्टीकरण 3—जब तक निर्धारिती ने धारा 80गग की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रीति से शेयरों की प्रतिश्रुति नहीं की है या उनका क्रय नहीं किया है तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि [9][निर्धारिती ने सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) के उपखंड (vक) में विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों में विनिधान किया है ।]

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा (1-4-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1979 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 12 द्वारा (1-4-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1987 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
[8] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8][**स्पष्टीकरण 4**—किसी नई आस्ति के संबंध में, जो स्पष्टीकरण 1 के [1][खण्ड (क) के उपखंड (vi)] में निर्दिष्ट निक्षेप है, "लागत" से ऐसे निक्षेप की रकम अभिप्रेत है ।

[2][**स्पष्टीकरण 5**—पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में "शुद्ध प्रतिफल" से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य जो ऐसे अन्तरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत किए गए किसी व्यय को घटा कर आए ।]

[3][(1क) जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के सत्ताइसवें दिन के पश्चात् [4][मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग] का किसी नई आस्ति में निक्षेप करता है जो उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण 1 के [5][खंड (क) उपखंड (6)] में निर्दिष्ट निक्षेप है, वहां ऐसी नई आस्ति की लागत को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती [6][उक्त उपखंड (6)] में निर्दिष्ट बैंक या सहकारी सोसाइटी की जिसमें ऐसा निक्षेप किया जाता है निक्षेप के साथ इस आशय की लिखित घोषणा देता है कि निर्धारिती निक्षेप करने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के दौरान ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम नहीं लेगा;

(ख) निर्धारिती उस पूर्ववर्ष से जिसमें मूल आस्ति का अंतरण किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा अनुज्ञात किया जाए; ऐसे बैंक के उपअभिकर्ता, अभिकर्ता या प्रबंधक से अनिम्न पंक्ति के या ऐसी सहकारी सोसाइटी के तत्समान पंक्ति के अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित उस घोषणा की प्रति देता है जो खंड (क) में निर्दिष्ट है ।

(1ख) जहां उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाने पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट नई आस्ति की लागत उपधारा (1) के प्रयोजनों के हिसाब में ली जाती है वहां निर्धारिती तीन वर्ष की कालावधि के समाप्ति से जिसकी गणना ऐसे निक्षेप की तारीख से की जाएगी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर [@][निर्धारण अधिकारी] को उपधारा (1क) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि निर्धारिती ने उक्त तीन वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम नहीं लिया है ।]

[7][(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी मूल आस्ति के जिसकी बाबत निर्धारिती ने 29 फरवरी, 1992 को या उसके पूर्व अग्रिम के रूप में कोई रकम प्राप्त की थी और ऐसी संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का उस तारीख को या उसके पूर्व नई आस्ति में विनिधान या निक्षेप किया था, 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए अन्तरण से उद्भूत होता है वहां उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपबंध ऐसे विनिधान या निक्षेप की दशा में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के अधीन विनिधान या निक्षेप की दशा में लागू होते हैं ।]

(2) जहां नई आस्ति उसके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अंतरित की जाती है, या धन में संपरिवर्तित (अंतरण से अन्यथा) की जाती है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथा उपबंधित ऐसी नई आस्ति के लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें नई आस्ति अंतरित की जाती है, या धन में (अंतरण से, अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है, [8][दीर्घकालिक] पूंजी आस्तियों के संबंध में "पूंजी लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

[9][**स्पष्टीकरण** [10]**[1]**—जहां निर्धारिती 1978 के अप्रैल के सत्ताइसवें दिन के पश्चात् किसी [11][मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग] की नई आस्ति में निक्षेप करता है, जो उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के [5][खण्ड (क) के उपखण्ड (vi)] में निर्दिष्ट निक्षेप है और निर्धारिती ऐसे निक्षेप की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है, वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसे निक्षेप को धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित किया है ।]

[12][**स्पष्टीकरण 2**—ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 28 फरवरी, 1983 के पश्चात् अंतरण किया जाता है और निर्धारिती मूल आस्ति की बाबत संपूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का, किसी नई आस्ति में विनिधान करता है तथा ऐसा निर्धारिती ऐसी

---

[1] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) "उपखंड (vi)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) "निर्दिष्ट खण्ड (vi)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 30 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 22 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) में "लघु अवधि पूंजी आस्तियों से भिन्न" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1983 से) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[11] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 20 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।

नई आस्ति की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी नई आस्ति को (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित कर दिया है ।]

[1]* * * * *

[2][(3)] जहां उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण 1 के [3][खण्ड (क) के उपखण्ड (vक)] में निर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत उपधारा (1) के खण्ड (ख) [4]*** के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली जाती है वहां ऐसी लागत के प्रति निर्देश से कोई कटौती धारा 80गग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[5][**54ङक. विनिर्दिष्ट बंधपत्रों या डिबेंचरों में विनिधान की दशा में दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अन्तरण पर पूंजी अभिलाभ का प्रभारित न किया जाना**—(1) जहां पूंजी अभिलाभ [6][1 अप्रैल, 2000 के पूर्व] दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी समय [7][बंधपत्रों, डिबेंचरों, किसी पब्लिक कम्पनी के शेयरों या धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों] में जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे (ऐसी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां] कहा गया है), सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्रवाई इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] की लागत मूल आस्ति की बाबत शुद्ध प्रतिफल से कम नहीं है तो ऐसा सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] की लागत मूल आस्ति की बाबत शुद्ध प्रतिफल से कम है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जिसका सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] के अर्जन की लागत का शुद्ध प्रतिफल से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां] उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय अंतरित की जाती हैं, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती हैं वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसी [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां] अंतरित की जाती हैं, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के संबंध में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का अंतरण किया जाता है, और निर्धारिती, मूल आस्ति की बाबत संपूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का किन्हीं [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] में विनिधान करता है तथा ऐसा निर्धारिती, ऐसी [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] को धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित कर दिया है ।

(3) जहां [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] की लागत, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है वहां ऐसी लागत के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किन्हीं [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] के संबंध में, "लागत" से मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत शुद्ध प्रतिफल में से ऐसी [6][विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों] में किए गए विनिधान की रकम अभिप्रेत है;

(ख) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में, "शुद्ध प्रतिफल" से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, जो ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत किए गए किसी व्यय को घटाकर आए ।

54ङख. दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना—(1) जहां पूंजी अभिलाभ [8][1 अप्रैल, 2000 के पूर्व], दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी समय किसी आस्ति में जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे (ऐसी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति कहा गया है) सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्रवाई इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसा सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 22 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (3), (4) और (5) का लोप किया गया ।
[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 22 द्वारा उपधारा (6) को उपधारा (3) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[3] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (1-4-1979 से) "खण्ड (vक)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 22 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 20 द्वारा (1-10-1996 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 25 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा (1-10-1996 से) प्रतिस्थापित ।
[8] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 26 द्वारा (1-4-2001 से) अंत:स्थापित ।

(ख) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग जिसका सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के अर्जन की लागत का संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के संबंध में, "लागत" से मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ में से ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति में किए गए विनिधान की रकम अभिप्रेत है ।

(2) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति, उसके अर्जन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय अंतरित की जाती है, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति को अंतरित किया जाता है, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित किया जाता है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के संबंध में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का अंतरण किया जाता है और निर्धारिती, मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान करता है तथा ऐसा निर्धारिती, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति को धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित कर दिया है ।

(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है वहां ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम में से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]

[1][**54ङग. पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना**—(1) जहां पूंजी अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होता है (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी समय दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है, वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्रवाई इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसा संपूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के अर्जन की लागत का संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा :

[2][परंतु किसी निर्धारिती द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो :]

[3][परंतु यह और कि किसी निर्धारिती द्वारा एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है ।]

(2) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति, उसके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय अंतरित की जाती है, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित की जाती है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति को अंतरित किया जाता है, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित किया जाता है, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से संबंधित "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में, जहां मूल आस्ति का अंतरण किया जाता है और निर्धारिती, मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान करता है तथा ऐसा निर्धारिती, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को जिसको ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति को धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित कर दिया है ।

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां—

(क) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के संबंध में, "लागत" से मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ में से ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति में किए गए विनिधान की रकम अभिप्रेत है;

[2][(ख) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो,—

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा,

1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व जारी किया गया है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में ऐसी शर्तों (जिनके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्त भी है) के साथ, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिसूचित किया गया है :]

[3][परंतु जहां कोई बंधपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित किया गया है, वहां ऐसा बंधपत्र इस खंड के अधीन अधिसूचित किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ;]

[2][(खक) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा [4][या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बंधपत्र द्वारा]1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है ।]

[5][**54ङघ. कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना**—(1) जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं, [6][1 अप्रैल, 2006 के पूर्व अंतरण से] उद्भूत होता है, (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने, ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर, पूंजी के उपयुक्त पुरोधरण के भागरूप साधारण शेयर अर्जित करने में, (ऐसे साधारण शेयरों को इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट साधारण शेयर कहा गया है) संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां उक्त पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्रवाई इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयर की लागत, मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसा संपूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत, मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो अर्जित विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत का संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 17 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 27 द्वारा (1-4-2018) प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा (1-4-2007 से) प्रतिस्थापित ।

(i) "उपयुक्त पूंजी पुरोधरण" से साधारण शेयरों का वह पुरोधरण अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) पुरोधरण, भारत में विरचित और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किया जाता है,

(ख) पुरोधरण के भागरूप शेयर जनता को प्रतिश्रुति के लिए प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ii) "सूचीबद्ध प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो धारा 112 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है;

(iii) "यूनिट" का वही अर्थ है जो धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों का, उनके अर्जन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसे विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों का विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों से संबंधित "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

[1][(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां—

(क) ऐसी लागत के प्रतिनिर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[2][**54ङङ. पूंजी अभिलाभ, किसी विनिर्दिष्ट निधि की यूनिटों में विनिधान पर प्रभारित नहीं किया जाएगा**—(1) जहां दीर्घकालिक पूंजी आस्ति (जिसे इस धारा में मूल आस्ति कहा गया है) के अंतरण से पूंजी अभिलाभ उद्भूत होते हैं और निर्धारिती ने ऐसे अंतरण के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया है, वहां पूंजी अभिलाभ पर इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसा संपूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है, तो उसी अनुपात में उतना पूंजी अभिलाभ जैसा कि वह संपूर्ण पूंजी अभिलाभ के प्रति वहन करे जितना कि दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की अर्जन लागत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ के प्रति वहन करे, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं होगा :

परंतु किसी निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की गई थीं और पश्चात्वर्ती वर्षों में एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में किया गया विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति, इसके अंतरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय निर्धारिती द्वारा अंतरित की जाती है, वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में यथा उपबंधित ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित न की गई मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति अंतरित की जाती है, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से संबंधित "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1—ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति अंतरित होती है और निर्धारिती मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी अंश का किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान करता है और ऐसा निर्धारिती ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम लेता है तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी तारीख को जब ऐसा उधार या अग्रिम लिया गया है, ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति अंतरित कर दी है ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति के संबंध में, "लागत" से मूल आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभों में से ऐसी विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान की गई रकम अभिप्रेत है;

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 18 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसी निधि की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व जारी की गई यूनिट या यूनिटें अभिप्रेत हैं ।]

[1][**54च. निवास गृह में विनिधान की दशा में कुछ पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ का प्रभारित न किया जाना**—(1) [2][उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां किसी निर्धारिती की दशा में, जो एक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है] पूंजी अभिलाभ किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के जो निवास गृह नहीं है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) अंतरण से उद्भूत होता है और निर्धारिती ने, जिस तारीख को अंतरण हुआ था उस तारीख से [3][पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर] [4][भारत में एक निवास गृह (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है] वहां पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति की बाबत शुद्ध प्रतिफल से कम नहीं है तो ऐसा संपूर्ण पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा :

(ख) यदि नई आस्ति की लागत मूल आस्ति की बाबत शुद्ध प्रतिफल से कम है तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग जिसका सम्पूर्ण पूंजी अभिलाभ से वही अनुपात है जो नई आस्ति की लागत का शुद्ध प्रतिफल से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा :

[5][परंतु इस उपधारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां—

(क) निर्धारिती,—

(i) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख को निर्धारिती के स्वामित्व में नई आस्ति से भिन्न एक से अधिक निवास गृह है; या

(ii) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर नई आस्ति से भिन्न किसी निवास गृह का क्रय करता है; या

(iii) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर नई आस्ति से भिन्न किसी निवास गृह का सन्निर्माण करता है; और

(ख) मूल आस्ति के अंतरण की तारीख को स्वामित्व में के एक निवास गृह से भिन्न निवास गृह से आय, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

[6]* * * * *

[7]*** पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में "शुद्ध प्रतिफल" से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य जो ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णत: और अनन्यत: उपगत किए गए किसी व्यय को घटाकर आए ।

(2) जहां निर्धारिती मूल आस्ति के अंतरण की तारीख के पश्चात् [8][दो वर्ष] की कालावधि के भीतर नई आस्ति से भिन्न कोई निवास गृह क्रय करता है या ऐसी तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर नई आस्ति से भिन्न किसी निवास गृह का सन्निर्माण करता है जिसकी आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की रकम की जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में यथा उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें ऐसा निवास गृह क्रय या सन्निर्माण किया गया है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के संबंध में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति, यथास्थिति, उसके विक्रय या सन्निर्माण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित की जाती है वहां मूल आस्ति के कारण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में यथा उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें ऐसी नई आस्ति अंतरित की जाती है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के संबंध में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 12 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2010 के अधिनियम सं० 10 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण में खंड (i) का लोप किया गया ।
[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) "(ii)" कोष्ठक और अंकों का लोप किया गया ।
[8] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(4) शुद्ध प्रतिफल की रकम, जो निर्धारिती द्वारा उस तारीख के पूर्व जिसको मूल आस्ति का अंतरण किया गया है, एक वर्ष के भीतर किए गए नई आस्ति के क्रय के लिए विनियोजित नहीं की जाती है या जिसका उसके द्वारा उपयोग धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, ऐसे विवरणी देने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या संस्था में खाते में निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप किसी भी दशा में, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारिती की दशा में आय की विवरणी देने के लिए लागू निश्चित तारीख के अपश्चात् किया जाएगा] जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए तथा ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वह रकम, यदि कोई हो, जिसका नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए पूर्णत: या भागत: नहीं किया जाता है तो—

(i) वह रकम जिससे—

(क) मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम जो उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है;

(ख) ऐसी रकम से अधिक है जो उस समय इस प्रकार प्रभारित नहीं की गई होती, यदि निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय या सन्निर्माण के लिए वस्तुत: उपयोग की गई रकम नई आस्ति की लागत होती, धारा 45 के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ii) निर्धारिती पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार उपयोग न की गई रकम को वापस लेने का हकदार होगा ।

[2]* * * * *

[3][**54छ. नगरीय क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम के स्थानांतरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों को छूट**—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पूंजी आस्ति के, जो मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या ऐसे भवनों या भूमियों में कोई अधिकार है, (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर ऐसे औद्योगिक उपक्रम के किसी ऐसे क्षेत्र को (जो नगरीय क्षेत्र नहीं है) स्थानांतरित किए जाने के अनुक्रम में या उसके परिणामस्वरूप प्रभाव पड़ा है और निर्धारिती ने उस तारीख के, जिसको अंतरण किया गया है, पूर्व एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,—

(क) उस क्षेत्र में, जहां उक्त उपक्रम स्थानांतरित किया जाता है, औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नई मशीनरी या संयंत्र का क्रय किया है;

(ख) उक्त क्षेत्र में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए भवन या भूमि अर्जित की है या भवन का सन्निर्माण किया है;

(ग) मूल आस्ति का स्थानांतरण किया है और ऐसे उपक्रम के स्थापन को ऐसे क्षेत्र को अंतरित किया है; और

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन पर, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यय-उपगत किए है,

वहां पूंजी अभिलाभ पर उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण किया गया है, आय के रूप में आय-कर प्रभारित करने के बजाय इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, अर्थात् :—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम खंड (क) से खंड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में उपगत लागत और व्यय से (ऐसी लागत और व्यय को इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम और नई आस्ति की लागत के बीच के अंतर को धारा 45 के अधीन पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय, अर्जन, सन्निर्माण या अंतरण किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर उसके अंतरण से उद्भूत होने वाले किसी पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागत कुछ नहीं होगी; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर है या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय, अर्जन, सन्निर्माण या अंतरित किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर उसके अंतरण से उद्भूत होने वाले किसी पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजनों के लिए, लागत में से पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 31 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 24 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "नगरीय क्षेत्र" से किसी नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, जनसंख्या, उद्योगों के संकेन्द्रण, क्षेत्र की उचित योजना बनाने और अन्य सुसंगत बातों की आवश्यता का ध्यान रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र घोषित करे।

(2) पूंजी अभिलाभ की रकम, जो निर्धारिती द्वारा उस तारीख के जिसको मूल आस्ति का अंतरण किया गया है, पूर्व एक वर्ष के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में उपगत लागत और व्यय के लिए विनियोजित नहीं की जाती है या जिसका उसके द्वारा उपयोग धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख के पूर्व पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, विवरणी देने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या संस्था के खाते में निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप किसी भी दशा में, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उस निर्धारिती की दशा में आय की विवरणी देने के लिए लागू निश्चित तारीख के पश्चात् किया जाएगा] जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी स्कीम के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए तथा ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वह रकम, यदि कोई हो, जिसका पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा पहले ही उपयोग किया गया है, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उपयोग उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्णत: या भागत: नहीं किया जाता है तो—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम धारा 45 के अधीन उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित की जाएगी, जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; और

(ii) निर्धारिती पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार ऐसी रकम को वापस लेने का हकदार होगा।

[1]* * * * *

[2][**54छक. औद्योगिक उपक्रम के शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थानान्तरण की दशा में आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की छूट**—(1) धारा 54छ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी पूंजी आस्ति के, जो किसी शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र या भवन या भूमि या किसी भवन या भूमि पर कोई अधिकार है, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर, जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम के किसी विशेष आर्थिक जोन में, चाहे वह किसी शहरी क्षेत्र में विकसित हुआ हो, या किसी अन्य क्षेत्र में अंतरण के अनुक्रम में या उसके परिणामस्वरूप हुआ है, और निर्धारिती ने उस तारीख से, जिसको अंतरण हुआ था, पहले एक वर्ष या उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर,—

(क) उस विशेष आर्थिक जोन में जिसमें उक्त उपक्रम ले जाया गया है, औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए मशीनरी या संयंत्र क्रय किया है;

(ख) विशेष आर्थिक जोन में अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए भवन या भूमि का अर्जन किया है या भवन का सन्निर्माण किया है;

(ग) मूल आस्ति को और ऐसे उपक्रम के स्थापन को ऐसे विशेष आर्थिक जोन में स्थानांतरित किया है; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनाई गई किसी स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रयोजनों पर व्यय उपगत किए हैं,

वहां पूंजी अभिलाभ को ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें स्थानांतरण हुआ था, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित करने की बजाय उस पर उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(i) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम खंड (क) से खंड (घ) में उल्लिखित सभी या किसी प्रयोजन के संबंध में उपगत लागत और व्ययों से (ऐसी लागत और व्ययों को इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम और नई आस्ति की लागत के बीच के अंतर को धारा 45 के अधीन पूर्ववर्ष की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय किए जाने, अर्जित किए जाने, सन्निर्मित किए जाने या अंतरित किए जाने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, उसके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; या

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम, नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ को धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा, और किसी नई आस्ति की बाबत, यथास्थिति, उसके क्रय किए जाने, अर्जित किए जाने, सन्निर्मित किए जाने या अंतरित किए जाने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, उसके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए, पूंजी अभिलाभ की रकम को लागत में से घटा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 32 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित।

(क) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (यक) में है;

(ख) "शहरी क्षेत्र" से किसी नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, जनसंख्या, उद्योग संकेन्द्रण, क्षेत्र की समुचित योजना की आवश्यकता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करे ।

(2) पूंजी अभिलाभ की वह रकम जो निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) से खण्ड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में उस तारीख से जिसको मूल आस्ति का अंतरण हुआ था, पहले एक वर्ष के भीतर उपगत लागत और खर्चों मद्दे विनियोजित नहीं की जाती है या जिसका धारा 139 के अधीन आय की विवरणी दिए जाने की तारीख से पहले पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसी विवरणी दिए जाने के पूर्व उसके द्वारा किसी ऐसे बैंक या ऐसी संस्था में जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निक्षिप्त की जाएगी [ऐसा निक्षेप धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी दिए जाने के लिए निर्धारिती की दशा में लागू देय तारीख से किसी भी दशा में अपश्चात् नहीं किया जाना है] और उसका उपयोग इस निमित्त किसी ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विरचित करे, किया जाएगा और ऐसी विवरणी के साथ ऐसे निक्षेप का सबूत होगा, और उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती द्वारा पूर्वोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए पहले उपयोग की गई रकम, यदि कोई है, और इस प्रकार निक्षिप्त की गई रकम जोड़कर नई आस्ति की लागत समझी जाएगी :

परंतु यदि इस उपधारा के अधीन निक्षिप्त रकम का उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) से खण्ड (घ) में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या भागत: उपयोग नहीं किया जाता है तो,—

(i) इस प्रकार उपयोग न की गई रकम उस पूर्ववर्ती वर्ष की जिसमें मूल आस्ति के अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है, आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित की जाएगी; और

(ii) निर्धारिती ऐसी रकम, पूर्वोक्त स्कीम के अनुसार निकालने के लिए हकदार होगा ।]

[1][**54छख. आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना**—(1) जहां,—

(i) पूंजी अभिलाभ पात्र निर्धारिती के (जिसे इसमें निर्धारिती कहा गया है) स्वामित्वाधीन किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो आवासिक संपत्ति (कोई गृह या भूखंड) है, अंतरण से उद्‌भूत होता है; और

(ii) निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख के पूर्व, शुद्ध प्रतिफल का किसी पात्र कंपनी के (जिसे इसमें कंपनी कहा गया है) साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए उपयोग करता है; और

(iii) कंपनी ने, निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस रकम का उपयोग नई आस्ति के क्रय के लिए किया है,

वहां पूंजी अभिलाभ को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण किया जाता है, आय के रूप में आय-कर से प्रभारित किए जाने के बजाय, उसे इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार बरता जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत से अधिक है, तो पूंजी अभिलाभ का उतना भाग, जितना संपूर्ण पूंजी अभिलाभ का अनुपात नई आस्ति की लागत के शुद्ध प्रतिफल से है, पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा; या

(ख) यदि शुद्ध प्रतिफल की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है, तो पूंजी अभिलाभ को पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(2) शुद्ध प्रतिफल की वह रकम, जो कंपनी द्वारा निर्धारिती को शेयरों का पुरोधरण किए जाने के लिए प्राप्त की गई है, उस सीमा तक, जिस तक उसका धारा 139 के अधीन निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पूर्व नई आस्ति के क्रय के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा उक्त नियत तारीख के पूर्व ऐसे किसी बैंक या संस्था के, जो विनिर्दिष्ट की जाए, खाते में जमा की जाएगी और ऐसी किसी स्कीम के अनुसार उपयोग की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विरचित करे और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी के साथ ऐसे जमा किए जाने का सबूत संलग्न किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, नई आस्ति के क्रय के संबंध में कंपनी द्वारा पहले से उपयोग की गई रकम, यदि कोई हो, और उपधारा (2) के अधीन जमा की गई रकम को एक साथ नई आस्ति की लागत समझा जाएगा :

परंतु यदि इस प्रकार जमा की गई रकम का पूर्णत: या भागत: उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए नहीं किया जाता है तो—

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) वह रकम, जिससे—

(क) आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम, जो उपधारा (1) में यथा उपबंधित नई आस्ति की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस रकम से अधिक है,

(ख) जो इस प्रकार प्रभारित नहीं की गई होती, यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई आस्ति के क्रय के लिए वस्तुत: उपयोग की गई रकम नई आस्ति की लागत होती,

उस पूर्ववर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा साधारण शेयरों में अभिदाय किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, निर्धारिती की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित की जाएगी; और

(ii) कंपनी उस रकम को स्कीम के अनुसार निकलवाने की हकदार होगी ।

(4) यदि कंपनी के साधारण शेयरों या कंपनी द्वारा अर्जित की गई नई आस्ति को उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, तो आवासिक संपत्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की रकम उसको, जो उपधारा (1) में उपबंधित रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या कंपनी के पास शेयरों या नई आस्ति के अंतरण मद्दे उद्भूत होने वाले अभिलाभों को कराधेयता के अतिरिक्त, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों या ऐसी नई आस्ति को विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया जाता है, निर्धारिती की "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(5) इस धारा के उपबंध 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किए गए आवासिक संपत्ति के किसी अंतरण को लागू नहीं होंगे :

[1][परंतु पात्र स्टार्ट-अप में किसी विनिधान की दशा में इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "31 मार्च, 2017" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रख दिए गए हैं ।]

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "पात्र निर्धारिती" से कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब अभिप्रेत है;

(ख) "पात्र कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें पूंजी अभिलाभ उद्भूत होता है, सुसंगत पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल से निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक की अवधि के दौरान भारत में निगमित कोई कंपनी है;

(ii) यह किसी वस्तु या चीज के [2][या किसी पात्र कारबार में] लगी हुई है;

(iii) यह ऐसी कंपनी है, जिसमें निर्धारिती की पचास प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या निर्धारिती द्वारा शेयरों में अभिदाय के पश्चात् पचास प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार है; और

(iv) यह ऐसी कोई कंपनी है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन लघु या मध्यम उद्यम होने के लिए अर्हित है [1][या कोई पात्र स्टार्ट-आप है ;]

[1][(खक) "पात्र स्टार्ट-अप" और "पात्र कारबार" के वही अर्थ होंगे जो इस धारा की बाबत धारा 80झकग की उपधारा (4) के नीचे स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ;]

(ग) "शुद्ध प्रतिफल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 54च के स्पष्टीकरण में उसका है;

(घ) "नई आस्ति" से नया संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(i) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है, संस्थापित कोई मशीनरी या संयंत्र;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है;

(iv) कोई यान; या

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(v) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को किसी पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है :]

[1][परंतु किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रमाणित प्रौद्योगिकी चालित स्टार्ट-अप है, "नई आस्ति" के अंतर्गत कंप्यूटर या कंप्यूटर साफ्टवेयर आएंगे ।]

[1][**54ज. नई आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार**—धारा 54, धारा 54ख धारा 54घ, [2][54ङग] [3]*** और धारा 54च में किसी बात के होते हुए भी, जहां मूल आस्ति के अंतरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में है और ऐसे अर्जन के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम निर्धारिती द्वारा ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं की जाती है और वहां, यथास्थिति, निर्धारिती द्वारा नई आस्ति अर्जित करने के लिए उन धाराओं में निर्दिष्ट अवधि अथवा ऐसे प्रतिकर के संबंध में, जो ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं होता है, पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए उन धाराओं के अधीन निर्धारिती को उपलब्ध अवधि की गणना ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी :

परंतु जहां मूल आस्ति के अंतरण की बाबत प्रतिकर किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में, 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व प्राप्त होता है वहां पूर्वोक्त अवधि या अवधियों का, यदि वे समाप्त हो गई हों, विस्तार 31 दिसम्बर, 1991 तक होगा ।]

55. "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत" के अर्थ—(1) [4][धारा 48 और 49] के प्रयोजनों के लिए—

[5]* * * * *

(ख) [6]["किसी सुधार की लागत" से,—

(1) किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार की गुडविल है [7][अथवा जो किसी वस्तु या चीज का निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है [8][या किसी कारबार [9][या वृत्ति] को करने का अधिकार है], शून्य समझा जाएगा; और

(2) किसी अन्य पूंजी आस्ति के संबंध में, —]

(i) जहां पूंजी आस्ति [10][[11][2001] के अप्रैल के प्रथम दिन] के पूर्व, पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो [12]*** वहां पूंजीगत व्यय के प्रकार का ऐसा सब व्यय अभिप्रेत है जो उक्त तारीख को या उसके पश्चात् पूंजी आस्ति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने में पूर्वतन स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया है, और

(ii) किसी अन्य दशा में पूंजी आस्ति के निर्धारिती की संपत्ति हो जाने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा और जहां पूंजी आस्ति में धारा 49 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से निर्धारिती की संपत्ति हो गई है वहां पूर्वतन स्वामी द्वारा पूंजी आस्ति में कोई परिवर्धन करने में उपगत पूंजीगत व्यय के प्रकार का सब व्यय अभिप्रेत है,

किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यय नहीं है जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह संपत्ति से आय", "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है तथा "सुधार" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ।

(2) [13][धारा 48 और धारा 49 के प्रयोजनों के लिए "अर्जन की लागत" से—

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 21 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 33 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) "धारा 48, 49 और 50" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) खंड (क) का लोप किया गया ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 25 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा (1-4-1987 से) "1964 की जनवरी के प्रथम दिन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 20017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 28 द्वारा (1-4-2018 से) प्रतिस्थापित ।
[12] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 34 द्वारा (1-4-1993 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[13] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 25 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) के प्रारंभिक भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(क) किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार [2][या वृत्ति] की गुड़विल, [3][या किसी कारबार से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम अभिधारण अधिकार, मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे हैं, [4][अथवा जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार है] [5][या किसी कारबार को करने का अधिकार है]—

(i) ऐसी आस्ति के निर्धारिती द्वारा किसी पूर्वतन स्वामी से क्रय द्वारा अर्जन की दशा में, क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है; और

(ii) किसी अन्य दशा में [जो ऐसी दशा नहीं है जो धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अंतर्गत आती है], लागत शून्य समझी जाएगी;

(कक) [6][उस दशा में जहां ऐसी पूंजी आस्ति को, जो कोई शेयर या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)की धारा 2 के खंड (ज) के अर्थ में कोई अन्य प्रतिभूति है (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् वित्तीय आस्ति कहा गया है), धारण करने के आधार पर, निर्धारिती—

(क) किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने का हकदार होता है; या

(ख) उसको किसी संदाय के बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति का आबंटन किया जाता है,

वहां खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,]—

(i) उस ऐसी मूल वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसके आधार पर, निर्धारिती किसी अतिरिक्त वित्तीय आस्ति का हकदार बनता है वहां ऐसी मूल वित्तीय आस्ति का अर्जन करने के लिए वास्तव में संदत्त रकम अभिप्रेत है;

(ii) ऐसी वित्तीय आस्ति में अभिदाय करने के लिए उक्त हकदारी का त्याग करने के किसी अधिकार के संबंध में, जब ऐसे अधिकार का निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में त्याग किया जाता है, ऐसे निर्धारिती की दशा में लागत शून्य समझी जाएगी;

(iii) ऐसी वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसमें निर्धारिती ने उक्त हकदारी के आधार पर अभिदाय किया है ऐसी आस्ति का अर्जन करने के लिए उसके द्वारा वास्तव में संदत्त रकम अभिप्रेत है;

[7][(iiiक) ऐसी वित्तीय आस्ति के संबंध में जो किसी निर्धारिती को किसी संदाय के बिना और किसी अन्य वित्तीय आस्ति का धारण करने के आधार पर आबंटित की जाती है, ऐसे निर्धारिती की दशा में अर्जन की लागत शून्य समझी जाएगी;] और

(iv) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रय की गई वित्तीय आस्ति के संबंध में, जिसके पक्ष में ऐसी आस्ति में अभिदाय करने के अधिकार का त्याग किया गया है, उसके द्वारा ऐसे अधिकार का त्याग करने वाले व्यक्ति को संदत्त क्रय कीमत की रकम और उसके द्वारा ऐसी वित्तीय आस्ति का अर्जन करने के लिए, यथास्थिति, कंपनी या संस्था को संदत्त रकम का योग अभिप्रेत है;]

[8][(कख) ऐसी पूंजी आस्ति के संबंध में जो साधारण शेयर है या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित [9][अनपरस्परीकरण या निगमीकरण] की किसी स्कीम के अधीन भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज के किसी शेयरधारक को आबंटित शेयर हैं, एक्सचेन्ज की उसकी मूल सदस्यता के अर्जन की लागत होगी :]

[10][परंतु किसी पूंजी आस्ति की लागत को, जो ऐसे शेयरधारक द्वारा अर्जित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के व्यापार या समाशोधन अधिकार हैं, जिसे अनपरस्परीकरण या निगमीकरण की किसी स्कीम के अधीन साधारण शेयर या शेयर आबंटित किए गए हैं, शून्य समझा जाएगा;]

(ख) किसी अन्य पूंजी आस्ति के संबंध में, —

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 18 द्वारा (1-4-1995 से) खंड (क) प्रतिस्थापित।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 34 द्वारा (1-4-2002 से) अंत:स्थापित।
[4] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 19 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 26 द्वारा (1-4-2003 से) अंत:स्थापित।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 14 द्वारा (1-4-1996 से) प्रतिस्थापित।
[7] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 14 द्वारा (1-4-1996 से) अंत:स्थापित।
[8] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 31 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
[10] 2003 के अधिनियम सं० 31 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित।

(i) जहां पूंजी आस्ति [1][2001] की [2][अप्रैल के प्रथम दिन] के पहले निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो, वहां निर्धारिती के विकल्प पर, निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत; या [6][2001] की [7][अप्रैल के प्रथम दिन] को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है;

(ii) जहां पूंजी आस्ति धारा 49 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो और पूंजी आस्ति [6][2001] की [7][अप्रैल के प्रथम दिन] के पहले पूर्वतन स्वामी की संपत्ति हो गई हो, वही निर्धारिती के विकल्प पर पूर्वतन स्वामी की पूंजी आस्ति की लागत या [6][2001] की [7][अप्रैल के प्रथम दिन] को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है ;

(iii) जहां पूंजी आस्ति किसी कम्पनी के समापन पर उसकी पूंजी आस्तियों के वितरण पर निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो और निर्धारिती पर धारा 46 के अधीन उस आस्ति की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर निर्धारित किया गया हो, वहां वितरण की तारीख को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है;

[3]* * * * * *

[4][(v) जहां पूंजी आस्ति, जो कंपनी के शेयर या स्टाक के रूप में है—

(क) कंपनी की सभी या किसी शेयर पूंजी के उसके विद्यमान शेयरों से बड़ी रकम के शेयरों में समेकन और विभाजन पर,

(ख) कंपनी के किन्हीं शेयरों के स्टाक में संपरिवर्तन पर,

(ग) कंपनी के किसी स्टाक के शेयरों में पुन: संपरिवर्तन पर,

(घ) कंपनी के किन्हीं शेयरों के लघुतर रकम के शेयरों में प्रविभाजन पर, या

(ङ) कंपनी के एक प्रकार के शेयरों के दूसरी प्रकार में संपरिवर्तन पर,

निर्धारिती की संपत्ति हो गई हो वहां आस्ति के अर्जन की ऐसी लागत अभिप्रेत है जो शेयर या स्टाक के जिससे ऐसी आस्ति व्युत्पन्न हुई है, अर्जन की लागत के प्रति निर्देश से परिकलित की गई हो ।]

(3) जहां ऐसी लागत जिस पर पूर्वतन स्वामी ने संपत्ति अर्जित की है अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, वहां पूर्वतन स्वामी को अर्जन की लागत से उस तारीख का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है जब ऐसी पूंजी आस्ति पूर्वतन स्वामी की संपत्ति हो गई हो ।]

[5][**55क. मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य, अभिनिश्चित करने की दृष्टि से, @[निर्धारण अधिकारी] मूल्यांकन अधिकारी को किसी पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए निर्देश—

(क) उस दशा में कर सकता है, जहां आस्ति का मूल्य, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन द्वारा किए गए प्राक्कलन के अनुसार है, यदि @[निर्धारण अधिकारी] की यह राय है कि इस प्रकार [6][दावा किए गए मूल्य और उसके उचित बाजार मूल्य में अंतर है];

(ख) किसी अन्य दशा में कर सकता है, यदि @[निर्धारण अधिकारी] की यह राय है कि—

(i) आस्ति का उचित बाजार मूल्य आस्ति के उस मूल्य से, जिसका निर्धारिती ने दावा किया है आस्ति के उस मूल्य के जिसका इस प्रकार दावा किया गया है, इतने प्रतिशत से या इतनी रकम से अधिक है जो इस निमित्त विहित की जाए, या

(ii) आस्ति की प्रकृति और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है,

और जहां ऐसा निर्देश किया जाता है, वहां धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (जक) और (झ) और उपधारा (3क) और (4), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबंध आवश्यक उपान्तरों सहित ऐसे निर्देश के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन धन-कर अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश के संबंध में लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (द) में है ।]

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 28 द्वारा (1-4-2018 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा (1-4-1987 से) "पहली जनवरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 14 द्वारा (1-4-1966 से) खण्ड (iv) का लोप किया गया ।
[4] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 14 द्वारा (1-4-1964 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1972 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा (1-1-1973 से) अंत:स्थापित ।
@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

च—अन्य स्रोतों से आय

56. अन्य स्रोतों से आय—(1) हर प्रकार की ऐसी आय जिसे इस अधिनियम के अधीन कुल आय में से अपवर्जित नहीं किया जाना है, यदि वह धारा 14 की मद (क) से लेकर मद (ङ) तक में निर्दिष्ट शीर्षों में से किसी के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी ।

(2) विशिष्टत: और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी, अर्थात्,—

(i) लाभांश;

[1][(iक) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (viii) में निर्दिष्ट आय;]

[2][(iख) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ix) में निर्दिष्ट आय;]

[3][(iग) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) में निर्दिष्ट आय, यदि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;]

[4][(iघ) प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय, यदि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;]

(ii) निर्धारिती की मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के किराए पर दिए जाने से होने वाली आय यदि वह आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है;

(iii) जहां निर्धारिती अपनी मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की और भवनों को भी किराए पर देता है और ऐसे भवनों का किराए पर दिया जाना उक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के किराए पर दिए जाने से अपृथक्करणीय है, वहां ऐसे किराए से होने वाली आय, यदि वह आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है ;

[5][(iv) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xi) में निर्दिष्ट आय, यदि ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन या "वेतन" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य नहीं है ;]

[6][(v) जहां, पचीस हजार रुपए से अधिक की धनराशि, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा 1 सितम्बर 2004 को या उसके पश्चात् [7][किन्तु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व] किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, वहां ऐसी समस्त राशि :

परन्तु यह खण्ड किसी ऐसी राशि पर लागू नहीं होगा जो—

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी वसीयत के अधीन या विरासत के रूप में; या

(घ) दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर, या

[8][(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास अथवा संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से,]

प्राप्त की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 18 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 10 द्वारा (1-4-1972 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 26 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 18 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (iघ) अन्त:स्थापित ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 10 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 19 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।

(i) व्यष्टि का पति/की पत्नी;

(ii) व्यष्टि का भाई या बहन;

(iii) व्यष्टि के पति/की पत्नी का भाई या बहन;

(iv) व्यष्टि के माता पिता में से किसी का भाई या बहन;

(v) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vi) व्यष्टि के पति/की पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vii) खंड (ii) से खंड (vi) तक में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी ;]

[1][(vi) जहां कोई धनराशि जिसका सकल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् [2][किंतु 1 अक्तूबर, 2009 से पूर्व] प्राप्त होती है, वहां ऐसी राशि का सकल मूल्य :

परंतु यह खंड किसी ऐसी धनराशि को लागू नहीं होगा जो—

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) किसी व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी विल के अधीन या विरासत के रूप में; या

(घ) किसी दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर; या

(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास या धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से,

प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) व्यष्टि का पति या पत्नी;

(ii) व्यष्टि का भाई या बहन;

(iii) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहन;

(iv) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;

(v) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vi) व्यष्टि के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vii) खंड (ii) से खंड (vi) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी ;]

[3][(vii) जहां किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी पूर्ववर्ष में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात्, [4][किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से पूर्व]—

(क) कोई धनराशि, जिसका कुल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, वहां ऐसी राशि का कुल मूल्य;

[5][(ख) कोई स्थावर संपत्ति,—

(i) जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, प्रतिफल के बिना प्राप्त होती है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 10 द्वारा (1-4-2007 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) उस प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक रकम तक कम है, वहां ऐसी संपत्ति का वह स्टांप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम नियत करने के करार की तारीख और रजिस्ट्रीकरण तारीख एक ही नहीं है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए करार की तारीख को जो स्टांप शुल्क मूल्य है, वह लिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि उक्त परंतुक केवल ऐसे किसी मामले में लागू होगा जहां उसमें निर्दिष्ट प्रतिफल की रकम या उसके किसी भाग का, ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा संदाय किया गया है;]

(ग) स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति,—

(i) बिना प्रतिफल के प्राप्त होती है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का संपूर्ण कुल उचित बाजार मूल्य;

(ii) ऐसे प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, जो उस संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य से उतना कम है, जो पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का वह कुल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु जहां उपखंड (ख) में निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य पर निर्धारिती द्वारा धारा 50ग की उपधारा (2) में वर्णित आधारों पर विवाद किया गया है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और धारा 50ग और धारा 155 की उपधारा (15) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उन धाराओं के अधीन पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं :

परंतु यह और कि यह खंड किसी ऐसी धनराशि या सम्पत्ति को लागू नहीं होगा, जो,—

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी विल के अधीन या विरासत के रूप में; या

(घ) यथास्थिति, संदायकर्ता या दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर; या

(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(च) किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या किसी न्यास अथवा धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से;

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से; [1][या]

[2][(ज) धारा 47 के खंड (viगख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण न माने गए संव्यवहार द्वारा,]

प्राप्त होती है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निर्धारणीय" का वही अर्थ है जो धारा 50ग की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(ख) किसी स्थावर संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के "उचित बाजार मूल्य" से उस पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित मूल्य अभिप्रेत है;

(ग) "आभूषण" का वही अर्थ है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण में है;

(घ) "संपत्ति" से [3][निर्धारिती की निम्नलिखित पूंजी आस्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—]

(i) स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं;

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) शेयर और प्रतिभूतियां;

(iii) आभूषण;

(iv) पुरातत्वीय संग्रहण;

(v) ड्राईंग;

(vi) पेंटिंग;

(vii) मूर्तियां; [1]***

(viii) कोई कलाकृति; [2][या]

[3][(ix) बुलियन;]

[4][(ङ) "नातेदार" से,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में—

(अ) व्यष्टि की पत्नी या पति;

(आ) व्यष्टि का भाई या बहन;

(इ) व्यष्टि की पत्नी या पति का भाई या बहन;

(ई) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन;

(उ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(ऊ) व्यष्टि की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(ए) मद (आ) से (ऊ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की पत्नी या पति; और

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, उसका कोई सदस्य,

अभिप्रेत है;]

(च) "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप-शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है;]

[5][(viiक) जहां कोई फर्म या कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारत: हितबद्ध है, 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् [6][किंतु 1 अप्रैल, 2017 से पूर्व] किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संपत्ति जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारत: हितबद्ध है के शेयर हैं,—

(i) प्रतिफल के बिना, प्राप्त करती है, जिसका सकल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी संपत्ति का संपूर्ण सकल बाजार मूल्य;

(ii) प्रतिफल के लिए, प्राप्त करती है, जो पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम द्वारा संपत्ति के सकल उचित बाजार मूल्य से कम है, ऐसी संपत्ति का वह सकल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परंतु यह खंड धारा 47 के खंड (viक) या खंड (viग) या खंड (viयख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण ने समझे जाने वाले संव्यवहार के रूप में प्राप्त किसी ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई संपत्ति, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारत: हितबद्ध है, के शेयर हैं, के "उचित बाजार मूल्य" का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में है ;]

[3][(viiख) जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।

ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है :

परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा, जहां शेयरों के पुरोधरण के लिए प्राप्त प्रतिफल, —

(i) किसी जोखिम पूंजी कंपनी या किसी जोखिम पूंजी निधि से किसी जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा; या

(ii) व्यक्तियों के ऐसे किसी वर्ग या वर्गों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, किसी कंपनी द्वारा,

प्राप्त किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) शेयरों का उचित बाजार मूल्य, वह मूल्य होगा—

(i) जैसा उस पद्धति के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाए; या

(ii) जैसा कंपनी द्वारा शेयरों के पुरोधरण की तारीख को अपनी आस्तियों के, जिनके अन्तर्गत अमूर्त आस्तियां भी हैं, जो गुडविल, व्यवहार्य ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकार हैं, मूल्य के आधार पर, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में सिद्ध किया जाए,

इनमें से जो भी उच्चतर हो;

(ख) "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "जोखिम पूंजी उपक्रम" के वही अर्थ होंगे जो धारा 10 के खंड (23चख) के [1][स्पष्टीकरण] के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमश: उनके हैं;

[2][(viii) धारा 145क के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय ;]

[3][(ix) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की बातचीत के अनुक्रम अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि, यदि,—

(क) ऐसी रकम समपहृत हो जाती है; और

(ख) ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है ।]

[4][(x) जहां कोई व्यक्ति पूर्ववर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्,—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, बिना प्रतिफल के ऐसी धनराशि प्राप्त करता है, जिसका कुल मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी राशि का समग्र कुल मूल्य;

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से,—

(अ) बिना प्रतिफल के ऐसी स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, जिसके स्टांप शुल्क का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य;

(आ) प्रतिफल के लिए ऐसी स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है, जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से उतनी रकम के कम है, जो पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति का उतना स्टांप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परन्तु जहां स्वार संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम को नियत करने वाले करार की तारीख और उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां करार की तारीख को स्टांप शुल्क मूल्य इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल उस दशा में लागू होंगे जहां ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख को या उससे पूर्व उसमें निर्दिष्ट प्रतिफल की रकम या उसके

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।

किसी भाग को पाने वाले के खाते में देय चेक या किसी बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करते हुए संदत्त किया गया है :

परन्तु यह भी कि जहां स्थावर संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य धारा 50ग की उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर निर्धारिती द्वारा विवादित है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी संपत्ति के मूल्यांकन को मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और धारा 50ग तथा धारा 155 की उपधारा (15) के उपबंध, यथाशक्य इस उपखंड के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे उन धाराओं के अधीन पूंजी आस्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होते हैं;

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई संपत्ति—

(अ) बिना प्रतिफल के प्राप्त करता है, जिसका कुल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां ऐसी संपत्ति के कुल उचित बाजार मूल्य का समग्र मूल्य;

(आ) प्रतिफल के लिए प्राप्त करता है, जो संपत्ति के समग्र कुल उचित बाजार मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक की रकम से कम है, वहां ऐसी संपत्ति का वह समग्र उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है :

परन्तु यह खंड,—

(I) किसी नातेदार से; या

(II) व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(III) वसीयत के अधीन या उत्तराधिकार के माध्यम से; या

(IV) यथास्थिति, संदायकर्ता या दानकर्ता की मृत्यु को आसन्न मानकर; या

(V) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से; या

(VI) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या किसी न्यास या संस्था से; या

(VII) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से या उसके द्वारा; या

(VIII) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा; या

(IX) ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जो धारा 47 के खंड (i) या खंड (vi) या खंड (viक) या खंड (viकक) या खंड (viख) या खंड (viग) या खंड (viगक) या खंड (viगख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण नहीं माना जाता है; या

(X) केवल व्यष्टि के नातेदार के फायदे के लिए ही सृजित या स्थापित किसी न्यास द्वारा किसी व्यष्टि से,

प्राप्त किसी धनराशि या किसी संपत्ति को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारणीय", "उचित बाजार मूल्य", "आभूषण", "संपत्ति", "नातेदार" और "स्टांप शुल्क मूल्य" के वही अर्थ होंगे, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ।]

57. कटौतियां—"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएंगी, अर्थात् :—

(i) [1][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों] [2][प्रतिभूतियों पर ब्याज] की दशा में ऐसी कोई युक्तियुक्त राशि जो निर्धारिती की ओर से ऐसे लाभांश [3][या ब्याज] वसूल करने के आयोजन के लिए बैंककार या अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक स्वरूप संदत्त की गई है;

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 19 द्वारा (1-4-1989 से) "या प्रतिभूतियों पर ब्याज" अंत:स्थापित ।

[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 19 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[1][(iक) उस प्रकार की आय की दशा में, जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) में निर्दिष्ट की गई है और जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है जहां तक हो सके, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vक) के उपबंधों के अनुसार कटौतियां;]

(ii) इस प्रकार की आय की दशा में जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट की गई है, यावत्शक्य धारा 30 के खंड (क) के उपखंड (ii) और खंड (ग), धारा 31 और धारा 32 की [2][उपधारा (1) [3]*** और (2)] के उपबंधों के अनुसार तथा [4][धारा 38] के उपबंधों के अधीन कटौतियां ;

[5][(iiक) कुटुम्ब पेंशन की प्रकृति की आय की दशा में, ऐसी आय के तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत के बराबर राशि की या [6][पंद्रह हजार रुपए] की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ।]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कुटुम्ब पेंशन" से अभिप्रेत है किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति को नियोजक द्वारा नियमित रूप से संदेय मासिक रकम;]

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यय (जो पूंजीगत व्यय के प्रकार का न हो) जो ऐसी आय पैदा करने या अर्जित करने के प्रयोजन के लिए संपूर्णत: और अनन्यत: उपगत और किया गया हो :

[7][(iv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में, ऐसी आय के पचास प्रतिशत के बराबर किसी राशि की कटौती और इस धारा के किसी अन्य खंड के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।]

[8][[9][[10]* * * * *]]

58. कटौती न करने योग्य रकमें—[11][(1)] धारा 57 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में निम्नलिखित रकम कटौती करने योग्य नहीं होगी, अर्थात्—

(क) किसी निर्धारिती की दशा में,—

(i) निर्धारिती के कोई निजी व्यय;

[12][(iक) धारा 40क की उपधारा (12) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई व्यय ;]

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसा कोई ब्याज जो भारत के बाहर संदेय है (जो 1938 के अप्रैल के प्रथम दिन से पहले सार्वजनिक अभिदान के लिए पुरोधृत ऋण का ब्याज नहीं है) जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर का संदाय या उसकी कटौती नहीं की गई है [13]***;

(iii) कोई ऐसा संदाय जो "वेतन" शीर्ष के अधीन तब प्रभार्य है जबकि वह भारत के बाहर संदेय हो, जब तक कि उस पर अध्याय 17ख के अधीन कर का संदाय या उसकी कटौती न की गई हो;

[14]* * * * * *

[15]* * * * * *

[16][(1क) धारा 40 के खंड (क) के [17][उपखंड (iक) और] उपखंड (iiक)] के उपबंध जहां तक हो सके "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।]

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 27 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 14 द्वारा (1-4-1971 से) "धारा 32 की उपधारा (1) और (2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) "(1क)" का लोप किया गया ।
[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) "धाराएं 34 और 38" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 13 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 22 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 19 द्वारा (1-4-1995 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
[10] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 19 द्वारा (1-4-1979 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
[11] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-4-1968 से) पुन:संख्यांकित तथापि, इस पुन:संख्यांकित को 1972 के अधिनियम सं० 41 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है ।
[12] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 15 द्वारा (1-4-1986 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 20 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[14] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा (1-4-1972 से) उपखंड (iv) का लोप किया गया ।
[15] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 20 द्वारा (1-4-1989 से) उपखंड (ख) का लोप किया गया ।
[16] 1972 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (1-4-1962 से) अंत:स्थापित ।
[17] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) धारा 40क के उपबंध जहां तक हो सके "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

[2][(3) किसी निर्धारिती की दशा में जो विदेशी कंपनी है, धारा 44घ के उपबंध, जहां तक हो सके, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।]

[3][(4) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जिसकी "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय है, किसी व्यय या मोक की बाबत कोई लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ है, ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति के जुआ या दांव लगाने से जीत के रूप में आय की संगणना करने में, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, ऐसे निर्धारिती की, जो ऐसे घोड़ों का स्वामी है जो उसके द्वारा घुड़दौड़ में दौड़ने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से आय की संगणना करने में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "घुड़दौड़" से ऐसी घुड़दौड़ अभिप्रेत है जिस पर, सट्टा या दांव विधिपूर्ण ढंग से लगाया जा सकता है ।]]

59. कर से प्रभार्य लाभ—(1) धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंध धारा 56 के अधीन निर्धारिती को आय की संगणना करने में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

[4]* * * * *

अध्याय 5

अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित है

60. जहां आस्तियों के अंतरण न हों वहां आय का अंतरण—ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति के अन्तरण के फलस्वरूप, चाहे वह प्रतिसंहरणीय हो या न हो चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात् किया गया हो उद्भूत होती है, जहां उन आस्तियों का अंतरण न हो जिनसे आय उद्भूत होती है अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

61. आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण—ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को आस्तियों के प्रतिसंहरणीय अंतरण के फलस्वरूप प्रोद्भूत होती है अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

62. विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अप्रतिसंहरणीय अंतरण—(1) धारा 61 के उपबंध किसी ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति को ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उद्भूत होती है जो—

(i) ऐसे न्यास के तौर पर किया गया हो जो हिताधिकारी के जीवन काल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है, तथा अन्य किसी अंतरण की दशा में जो अंतरिती के जीवनकाल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है, या

(ii) 1961 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व किया गया हो जो छह वर्ष से अधिक की कालावधि तक प्रतिसंहरणीय नहीं है :

परन्तु यह तब जब कि अंतरक दोनों ही दशाओं में ऐसी आय से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई फायदा प्राप्त नहीं करता है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सब आय जो किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अंतरण के फलस्वरूप उद्भूत होती है, जैसे कि और जब कि अंतरण को प्रतिसंहृत करने की शक्ति उद्भूत हो, अंतरक की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी तब उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

63. "अंतरण" और "प्रतिसंहरणीय अंतरण" की परिभाषा—धारा 60, 61 और 62 के और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) अंतरण के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रतिसंहरणीय है यदि—

(i) उसमें संपूर्ण आय अथवा आस्तियों या उसके अथवा उनके किसी भाग का अंतरक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुन: अंतरण करने के लिए कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है, या

(ii) वह किसी भी रूप में अंतरक की संपूर्ण आय अथवा आस्तियों या उसके अथवा उनके किसी भाग की बाबत शक्तियों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पुन: ग्रहण करने का अधिकार देता है;

[1] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-4-1986 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 14 द्वारा (1-6-1976 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 14 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (2) तथा (3) का लोप किया गया ।

(ख) "अंतरण" के अंतर्गत कोई भी व्यवस्थापन, न्यास, प्रसंविदा, करार या ठहराव है ।

64. व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय का भी सम्मिलित होना—[1][(1) किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी सब आय सम्मिलित की जाएगी जो—

[2]* * * * *

(ii) किसी ऐसे समुत्थान से जिसमें उस व्यष्टि का पर्याप्त हित है, ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी का वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक से चाहे नकद या वस्तु रूप में :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात पति या पत्नी को उद्भूत होने वाली आय के संबंध में उस दशा में लागू नहीं होगी जिससे पति या पत्नी तकनीकी या वृत्तिक अर्हताएं रखते है और वह आय अनन्यत: उनके तकनीकी या वृत्तिक ज्ञान और अनुभव के प्रयोगों के फलस्वरूप हुई मानी जा सकती है;

[3]* * * * *

(iv) धारा 72 के खंड (i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए [3]*** ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को उन आस्तियों से जो व्यष्टि द्वारा पति या पत्नी को पर्याप्त प्रतिफलस्वरूप या अलग-अलग रहने के करार के संबंध में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अंतरित किए जाने से अन्यथा अंतरित की गई हो;

[4]* * * * *

(vi) ऐसे व्यष्टि की पुत्र वधू को [5]*** उन आस्तियों से जो ऐसे व्यष्टि द्वारा उस पुत्र वधू [3]*** 1973 के जून के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् पर्याप्त प्रतिफलस्वरूप प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अन्तरित किए जाने से अन्यथा अन्तरित की गई हो, और [6]***

(vii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम को उन आस्तियों से जो ऐसे व्यष्टि द्वारा उस व्यक्ति को या व्यक्तियों के संगम को पर्याप्त प्रतिफलस्वरूप प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अंतरित किए जाने से अन्यथा अंतरित की गई हों, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसी आस्तियों से होने वाली आय उसके पति या उसकी पत्नी के [7]*** तात्कालिक या आस्थगित फायदे के लिए है, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उद्भूत होती है; और]

[8][(viii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम को उन आस्तियों से जो ऐसे व्यष्टि द्वारा उस व्यक्ति को या व्यक्तियों के संगम को पर्याप्त प्रतिफलस्वरूप प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अन्तरित किए जाने से अन्यथा, 1 जून, 1973 को या उसके पश्चात्, अंतरित की गई हो, उस परिमाण तक जिस तक कि ऐसी आस्तियों से होने वाली आय उसकी पुत्र वधू के [9]*** तात्कालिक या आस्थगित फायदे के लिए है ।]

[10][**स्पष्टीकरण 1**—खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे व्यष्टि, जिसकी कुल आय की संगणना करने में उस खण्ड में निर्दिष्ट आय सम्मिलित की जानी है, वह पति होगा या पत्नी होगी जिसकी कुल आय (उस खंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर) अधिक है; और जहां ऐसी कोई आय पति या पत्नी में से किसी एक की कुल आय में एक बार सम्मिलित कर ली जाती है वहां किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली ऐसी कोई आय उस पति या पत्नी में से दूसरे की कुल आय में तब तक सम्मिलित नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी का, उस पति या पत्नी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण 2—खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका किसी समुत्थान में पर्याप्त हित है—

(i) उस दशा में जिसमें ऐसा समुत्थान कंपनी है यदि उसके शेयर (जो ऐसे नहीं हैं जिन पर केवल नियत दर पर लाभांश का हक है चाहे लाभ पाने का और अधिकार हो या नहीं) जिनमें 20 प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति है, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय ऐसे व्यक्ति के फायदाप्रद स्वामित्व में है, या भागत: ऐसे व्यक्ति के और भागत: उसके एक या अधिक नातेदारों के फायदाप्रद स्वामित्व में है;

---

[1] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 13 द्वारा (1-4-1971 से) धारा 64 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) को 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित किया गया ।

[2] खंड (i), (iii) और (v) का 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[4] खंड (i), (iii) और (v) का 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[6] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 17 द्वारा (1-4-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) "या अवयस्क सन्तान के या दोनों के" शब्दों का लोप किया गया ।

[8] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 17 द्वारा (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित ।

[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) "या पुत्र की अवयस्क सन्तान के या दोनों के" शब्दों का लोप किया गया ।

[10] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) स्पष्टीकरण 1 और 1क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) किसी अन्य दशा में जिसमें ऐसा व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति और उसके एक या अधिक नातेदार कुल मिलाकर, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे समुत्थान के बीस प्रतिशत से अन्यून लाभ के हकदार हैं।

[3]* * * * *

[1][**स्पष्टीकरण 3**—खंड (iv) और खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यष्टि द्वारा अपने पति या पत्नी अथवा पुत्र वधू को (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् "अन्तरिती" कहा गया है) प्रत्यक्षत: या अप्रतयक्षत: अन्तरित आस्तियों का अन्तरिती द्वारा विनिधान,—

(i) किसी कारबार में किया जाता है, ऐसा विनिधान, यथास्थिति, किसी फर्म में भागीदार की हैसियत में, या किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किए जाने के लिए, पूंजी अभिदाय के रूप में नहीं है वहां किसी पूर्ववर्ष में अन्तरिती को उस कारबार से उद्भूत होने वाली आय का वह भाग, जिसका उस कारबार से अन्तरिती को होने वाली आय से वही अनुपात है जो उस पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को पूर्वोक्त आस्तियों के मूल्य का उक्त दिन को अन्तरिती द्वारा उस कारबार में किए गए कुल विनिधान से है;

(ii) किसी फर्म में भागीदार की हैसियत में पूंजी अभिदाय के रूप में किया जाता है वहां किसी पूर्ववर्ष में अन्तरिती द्वारा उस फर्म से प्राप्य ब्याज का वह भाग जिनका उस फर्म से अन्तरिती द्वारा प्राप्य ब्याज से वही अनुपात है जो उस पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को पूर्वोक्त विनिधान के मूल्य का उक्त दिन को उस फर्म में भागीदार की हैसियत में पूंजी अभिदाय के रूप में किए गए कुल विनिधान से है,

उस पूर्ववर्ष में व्यष्टि की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा।]

[2][(1क) किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में, ऐसी सभी आय सम्मिलित की जाएगी जो उसकी अवयस्क संतान को उद्भूत या प्रोद्भूत होती है [3][जो धारा 80प में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी नि:शक्तता से पीड़ित अवयस्क संतान नहीं है] :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, ऐसी आय की बाबत लागू नहीं होगी जो अवयस्क संतान को,—

(क) उसके द्वारा किए गए किसी शारीरिक कार्य से; या

(ख) ऐसे क्रियाकलाप से, जिसमें उसके कौशल, प्रतिभा या विशेषज्ञीय ज्ञान और अनुभव का उपयोग हुआ है,

उद्भूत या प्रोद्भूत होती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अवयस्क संतान की आय,—

(क) जहां उसके माता या पिता का विवाह अस्तित्व में है वहां, उस माता या पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसकी कुल आय (इस उपधारा के अधीन सम्मिलित किए जाने योग्य आय को छोड़कर) अधिक है; या

(ख) जहां उसके माता या पिता का विवाह अस्तित्व में नहीं है वहां, उस माता या पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने पूर्ववर्ष में अवयस्क संतान का भरण-पोषण किया है,

और जहां ऐसी कोई आय माता या पिता में से किसी एक की कुल आय में एक बार सम्मिलित कर ली जाती है वहां किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली ऐसी कोई आय उस माता या पिता में से दूसरे की कुल आय में तब तक सम्मिलित नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी का, उस माता या पिता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है।]

[4][(2) जहां ऐसे व्यष्टि की दशा में जो हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, कोई संपत्ति, जो उसी व्यष्टि की पृथक् संपत्ति रही है, 1969 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात्, किसी समय उस व्यष्टि द्वारा उस पृथक् संपत्ति को कुटुम्ब की संपत्ति का रूप देकर या कुटुम्ब की सम्मिलित संपत्ति में मिलाकर, [5][कुटुम्ब की संपत्ति के रूप में संपरिवर्तित की गई है (ऐसी संपत्ति को इसमें आगे संपरिवर्तित संपत्ति कहा गया है),] वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को या तत्पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस व्यष्टि की कुल आय की इस अधिनियम के अधीन संगणना के प्रयोजन के लिए—

(क) यह समझा जाएगा कि उस व्यष्टि ने संपरिवर्तित संपत्ति को कुटुम्ब के माध्यम से कुटुम्ब के सदस्यों को उनके द्वारा संयुक्त रूप से धारण किए जाने के लिए, अंतरित कर दिया है;

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 20 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित किए जाएंगे।
[4] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 16 द्वारा (1-4-1971 से) अन्त:स्थापित।
[5] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (1-4-1980 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) संपरिवर्तित संपत्ति या उसके किसी भाग से व्युत्पन्न, [1]*** उस व्यष्टि को उद्‌भूत होने वाली समझी जाएगी, न कि कुटुम्ब को;

[2][(ग) जहां संपरिवर्तित संपत्ति कुटुम्ब के सदस्यों के बीच (आंशिक या पूर्ण) विभाजन का विषय रही है वहां ऐसी संपरिवर्तित संपत्ति से व्युत्पन्न आय जो पति या पत्नी [3]*** को विभाजन पर प्राप्त होती है, ऐसी आय समझी जाएगी कि वह उस व्यष्टि द्वारा उस पति या पत्नी [2]*** को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित आस्तियों से उस पति या पत्नी अथवा अवयस्क संतान को उद्‌भूत हुई है और उपधारा (1) के उपबंध यावत्शक्य तद्‌नुसार लागू होंगे :]

परन्तु खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आय व्यष्टि को कुल आय में सम्मिलित किए जाने पर, यथास्थिति, कुटुम्ब की अथवा व्यष्टि के पति, या पत्नी [2]*** की कुल आय में से निकाल दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण [4][1]—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

[5]*** "संपत्ति" के अन्तर्गत है जंगम या स्थावर संपत्ति में कोई हित, उसके विक्रय के आगम और तत्समय उसके विक्रय के आगम के रूप में कोई धन या विनिधान और जहां संपत्ति किसी भी ढंग से किसी अन्य संपत्ति में संपरिवर्तित की जाए वहां ऐसी अन्य संपत्ति;

[6]* * * * *

[7][**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आय" के अन्तर्गत हानि है ।]

65. व्यक्ति का ऐसी आय की बाबत दायित्व जो अन्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित है—जहां इस अध्याय में या धारा 27 के खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण, किसी आस्ति से होने वाली या निर्धारिती से भिन्न व्यक्ति की किसी फर्म में सदस्यता से होने वाली आय, निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है, वहां वह व्यक्ति जिसके नाम में ऐसी आस्ति है या जो फर्म का सदस्य है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा मांग की इस निमित्त सूचना की तामील पर, निर्धारिती पर लगाए गए कर के उस भाग को जो इस प्रकार सम्मिलित आय से हुआ माना जा सकता है, संदत्त करने के दायित्वाधीन होगा और अध्याय 17घ के उपबंध, यावत्शक्य, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु जहां ऐसी कोई आस्ति एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः धारित हो, वहां वे ऐसे कर का जो इस प्रकार सम्मिलित आस्ति से होने वाली आय से हुआ माना जा सकता है, संदाय करने के संयुक्ततः और पृथक्तः दायित्वाधीन होंगे ।

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (1-4-1976 से) "जहां तक वह कुटुम्ब की सम्पत्ति में उस व्यष्टि के हित के कारण मानी जा सकती है" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (1-4-1976 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 35 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[4] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (1-4-1980 से) पुन:संख्यांकित ।

[5] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (1-4-1976 से) स्पष्टीकरण के "(1)" कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया ।

[6] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (1-4-1976 से) स्पष्टीकरण के खण्ड (2) का लोप किया गया ।

[7] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (1-4-1980 से) अन्त:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।